खण्ड-280, अंक-9
बुधवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(11 मार्च, 1970 ई0)

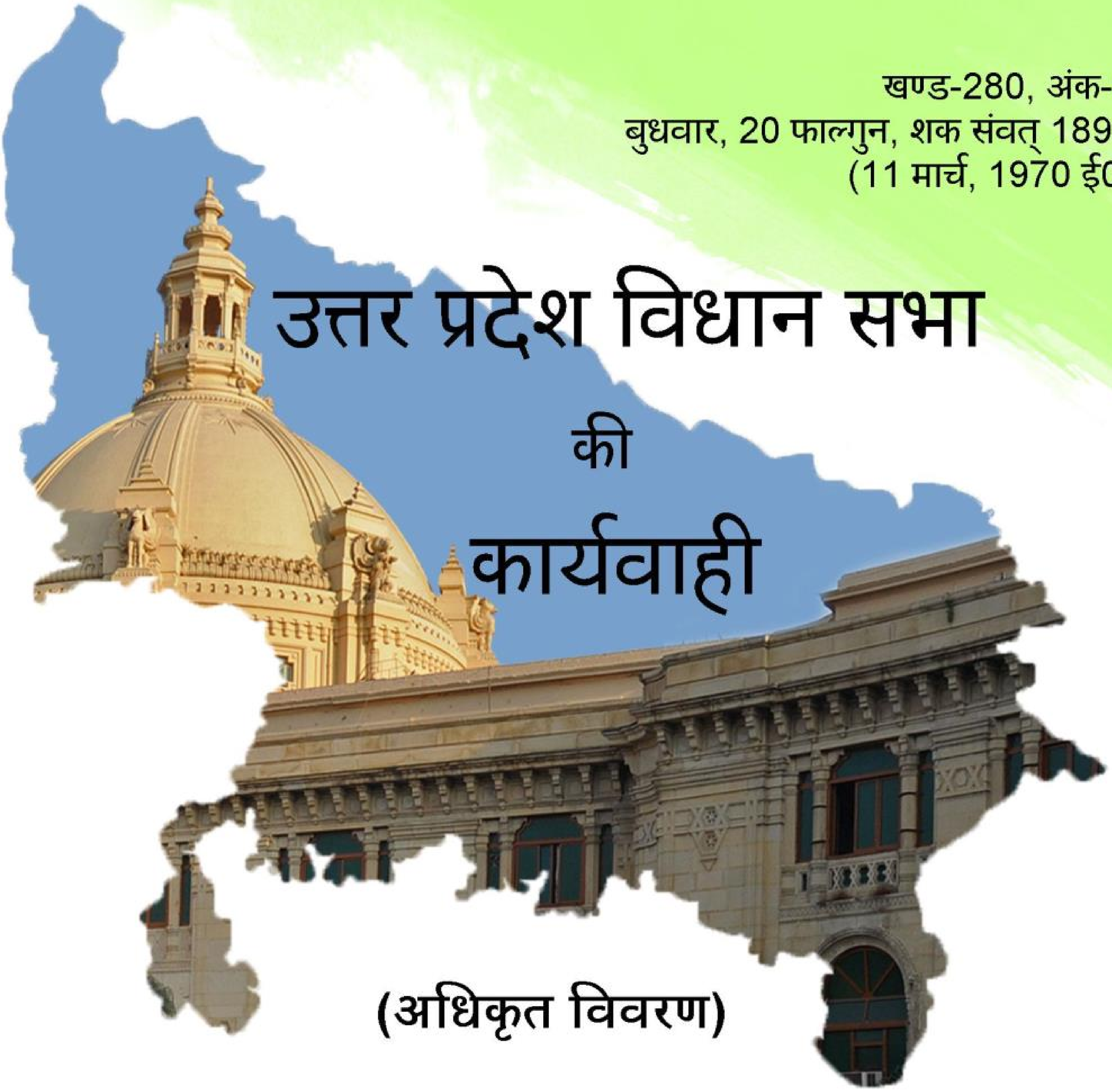

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०१९–१०२३
सदन की घंटी बिजली फेल होने के कारण बन्द होने की सूचना	१०२३–१०२४
प्रश्नोत्तर (जारी)	१०२४–१०२७
२६ अगस्त, १९६९ के तारांकित प्रश्न ६१ के मूल उत्तर का शोधन ..	१०२७–१०३१
प्रश्नोत्तर	१०३१–१०६१
धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन संबंधी पत्र ..	१०६२
श्री उपाध्यक्ष के साथ सदन में दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री शिवदास के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना	१०६२
सदन में आपत्तिजनक पर्चे बांटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	१०६२–१०६६
देवरिया रेलवे स्टेशन पर गांधी प्रदर्शनी ट्रेन देखने वालों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य	१०६६–१०६७
सदन में आपत्तिजनक पर्चे बांटने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१०६७
उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	१०६७–१०७७
उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	१०७७–१०८३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	१०८३–१०९६
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	१०९६–११०५
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधयक, १९६९ (विचारोपरान्त पारित)	११०५–१११६
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ (विचारोपरान्त पारित)	१११७–११२३
प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था बिगड़ने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	११२३
नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनायें	११२३–११२७
आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	११२७–११३६
प्रदेश में झुलसा एवं उपलवृष्टि से खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	११३६–११३९
नत्थियां	११४०–११४५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९१

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री

खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गुँदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगार सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिबेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन, बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दूर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुधधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मबीर सिंह श्री, (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री

प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय,, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री

रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर),
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांति प्रपन शर्मा, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री

शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह, दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, परिहार, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री श्री श्रीपति मिश्र, भी उपस्थित थे।

सदन की घंटी बिजली फेल होने के कारण बन्द होने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज बिजली की घंटी काम नहीं कर रही है क्योंकि कल जो बिजली कड़की उससे यह खराब हो गई है। चूंकि यहां डी० सी० है वही लाइन खराब हुई और वह आउट आफ आर्डर हो गई है। इसलिये मैंने हाथ की बजवाने वाली घंटी से ही लोगों को सूचना दी। इसी कारण मैं आज २–३ मिनट बाद से कार्य आरम्भ करूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय भी, दो मिनट बाद आये हैं इसलिये यह हाउज भी आउट आफ आर्डर हो गया है।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, आप जो भी चाहें कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो घड़ी भी बन्द कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य आरम्भ होगा ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ मार्च, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सुलतानपुर जिला परिषद् अध्यापकों के साथ अन्याय की शिकायत

**१—श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिला परिषद् के अध्यक्ष ने सदस्यों तथा सम्बन्धित अधिकारियों एवं राजाज्ञाओं की अवहेलना करके गत १५ अगस्त, १९६९ ई० के राष्ट्रीय पर्व पर किन पैंतालिस अध्यापकों को अनियमित ढंग से सेवा मुक्त कर दिया और बाद में इस संख्या में और भी वृद्धि हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुचित ढंग से निकाले गये इन अध्यापकों को रोजी देने की कोशिश करेगी ?

खाद्य तथा रसद उपमंत्री (श्री रामकिंकर)—

अध्यक्ष, जिला परिषद्, सुल्तानपुर के आदेश से १५ अगस्त, १९६९ को ४३ अध्यापक सेवा मुक्त किये गये और २ अध्यापक इसके बाद । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं हुई । इन ४५ अध्यापकों की सूची संलग्न है ।

चूंकि कोई अनियमितता नहीं हुई अतः अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११४० पर)

**२—श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिला परिषद् के अध्यक्ष ने पदासीन होते ही जातिवाद एवं गुटबाजी के आधार पर जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति ऐक्ट के नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से अपने पद का दुरुपयोग करके भारी संख्या में परिषदीय अध्यापकों का स्थानान्तरण दूर-दूर स्थानों में कर दिया और अब तक बराबर करते चले आ रहे हैं, जिससे जिले के प्रारम्भिक शिक्षा स्तर में गिरावट तथा अस्थिरता आ गई है ?

श्री रामकिंकर—

जी नहीं ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई है उसे जिले के दो अधिकारियों ने एक तो डी० पी० ओ० और दूसरी शिक्षा इन्सपेक्टर ने भेजी है ?

श्री रामकिंकर—

जी हां । जो रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक की आई है उसी के आधार पर उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मंत्री महोदय जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट को पढ़कर सदन को सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

पूरी रिपोर्ट के पढ़ने से तो बहुत अधिक देर हो जायगी। वे संक्षेप में इसको बता देंगे।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

कृपा कर मंत्री महोदय संक्षेप में ही उसको बताने की कृपा करें।

श्री रामकिंकर—

इस रिपोर्ट में दिया है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् ने बिना डिप्टी इन्सपेक्टर की राय के ही इन अध्यापकों का ट्रान्सफर कर दिया और कई अध्यापकों को सेवा मुक्त कर दिया और जो जिला परिषद् के लिपिक वर्ग हैं उन्होंने भी मनमानी की है।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि अध्यक्ष ने बिना जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित किये अध्यापकों का ट्रान्सफर किया और कुछ को सेवा मुक्त कर दिया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् की नियमावली १९६५ के नियम ४ और ५ के अनुसार इस प्रकार बगैर एस० डी० आई० की रिपोर्ट के क्या अध्यापकों का स्थानान्तरण करना उचित था?

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, अध्यक्ष जिला परिषद् को पूरी पावर्स हैं वे जिसको चाहें स्थानान्तरित कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आमतौर पर जिला परिषदों से इस प्रकार के मामले आते हैं। क्या राज्य सरकार का शिक्षा विभाग उन विद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने की योजना पर विचार करेगा?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको मौका दूंगा।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जो जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला नियोजन अधिकारी की रिपोर्ट मिली हैं क्या उनमें कोई अन्तर है या एक सी हैं?

श्री रामकिंकर—

मैंने बतलाया था कि दोनों की रिपोर्टों में अन्तर है। एक अधिकारी की रिपोर्ट है कि जाति के आधार पर ट्रांसफर्स किये गये और मनमानी की गयी। डी० पी० ओ० की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि जाति के आधार पर कोई ट्रांसफर्स नहीं किये गये। जो ट्रांसफर्स किये गये हैं उनके दूसरे कारण हैं। काजीपुर और सदर तहसील शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। लिहाजा इसी आधार पर अमेटी और मुसाफिरखाने की तहसीलों में भी ट्रांसफर्स किये गये।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

पचासों सदस्य बोलने के लिए खड़े हैं। इतने आदमी न खड़े हों।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

देवरिया और गोरखपुर जिलों में भी ऐसा हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहुत पुराने हैं। प्रश्न सुल्तानपुर के बारे में पूछा गया है। शिक्षा मंत्री और दूसरे जिलों के बारे में कैसे जवाब दे सकते हैं?

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

मैं दो बातों की तरफ शिक्षा मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। ४५ अध्यापक निकाले गये हैं जिनके विषय में जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह मान लिया है कि किसी अधिकारी ने उन्हें निकालने की रिपोर्ट नहीं की। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें निकालने का क्या कारण था? अब मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अध्यापकों का स्थानान्तरण) नियमावली, १९६५ के खंड ४ की ओर दिलाना चाहता हूं:—

"अवर आधारिक विद्यालयों के अध्यापकों के खंड के भीतर स्थानान्तरणों के प्रस्ताव विद्यालय अवर-उप-निरीक्षक। सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा क्षेत्र समिति के प्रमुख को किये जायेंगे, जो उन प्रस्तावों को अपनी सिफारिशों के साथ अध्यक्ष को भेजेगा। अध्यक्ष उक्त विषय में अन्तिम आदेश देगा और उनकी सूचना सम्बद्ध प्रमुख को देगा। स्थानान्तरण के आदेश तब प्रमुख के हस्ताक्षकर से जारी किये जायेंगे। ऐसे स्थानान्तरण किसी स्कूल वर्ष में खंड में अध्यापकों के कुल संख्या के ५ प्रतिशत तक सीमित होंगे। प्रमुख द्वारा दिये गये सभी स्थानान्तरण आदेशों की प्रतिलिपियां सूचनार्थ अध्यक्ष तथा शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेंगी।"

श्री अध्यक्ष—

आप इससे क्या अर्थ निकालते हैं?

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

इसके साथ ही धारा ५ में यह है :—

"इस नियमावली के अधीन स्थानान्तरण मुख्यतः छात्रों के हित में किये जायेंगे। स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से भी किये जा सकते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि छात्रों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि अध्यक्ष स्थानान्तरण करने की पूरी पावर्स रखते हैं। मगर नियमावली कुछ और बताती है। क्या उनको पूरा हक है?

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, हक है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मैं आपकी आज्ञा से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन अध्यापकों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं उनके विरुद्ध जिला परिषद् के अध्यक्ष ने क्या आरोप लगाए हैं?

श्री रामकिंकर—

जो निर्धारित योजना थी उसके अनुसार नहीं थे जब मालूम हुआ तो निकाल दिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लिपिकों ने जो मनमाने ढंग से काम किया तो उस मनमाने ढंग से काम करने का क्या रूप है?

श्री रामकिंकर—

इस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात ब्यौरे से नहीं आई सिवाय इसके कि लिपिकों ने मनमानी की। इसके लिए सूचना चाहिये।

श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

जिला परिषद से संबंधित डी० पी० ओ० होता है और जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। दोनों दो प्रकार की रिपोर्ट भेजें तो उसमें एक रिपोर्ट गलत मालूम पड़ती है। जिसने गलत रिपोर्ट दी उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री रामकिंकर—

कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई इसलिये कोई ऐक्शन लेने की बात नहीं है।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

मान्यवर यह सिद्ध हो गया कि दो जिम्मेदार अधिकारियों ने दो भिन्न प्रकार की रिपोर्ट दी। ऐसी अवस्था में शिक्षा मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस मामले की पूरी तरह से छानबीन करायेंगे ?

श्री रामकिंकर—

अगर माननीय सदस्य कोई लिखकर देंगे तो जांच करवा कर जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

जो अध्यापक निकाले गये उनका सेवाकाल कितना था, कितने किस जाति के थे और जब निकाले गये तो उन्हें तीन तीन महीने की तनख्वाह दी गई ?

श्री रामकिंकर—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

२६ अगस्त, १९६९ के तारांकित प्रश्न ६१ के मूल उत्तर का शोधन

मूल प्रश्न

*६१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक २९ जुलाई, १९६९ ई० के प्रश्न सं० ३४ के उत्तर के क्रम पर जैसा कि की गई कार्यवाही के विवरण में 'ग्राम पनियाली' की सिंचाई गूल निजी हैं, दिया है तो क्या उप मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि कटधरिया नहर से जो कुलाबा नं० ८ की गूल पक्की बनाई गई हैं यह किसके द्वारा बनाई गई और इस का आगणन क्या है ?

मूल उत्तर

सिंचाई उप मंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

नहर कठधारिया के कुलाबा नं० ८ की ४ फर्लांग ३३० फीट लम्बी गूल १९५४–५५ में में तराई भावर गवर्नमेंट इस्टेट द्वारा पक्की बनाई गई थी। इसका प्राक्कलन ११,३७९ रु० का था। १९६०–६१ में सिंचाई विभाग ने २ फर्लांग पक्का बनवाया जिस पर ५,७८५ रु० व्यय हुआ। यह सब रुपया ब्लाक बजट से व्यय हुआ था। सिंचाई विभाग के बजट में इनका कोई प्राविधान नहीं था।

संशोधित उत्तर

नहर कठघरिया के कुलाबा नं० ८ की ४ फर्लांग ३३० फीट लम्बी गूल १९५४-५५ में तराई भावर गवर्नमेंट इस्टेट द्वारा पक्की बनाई गई थी। इसका प्राक्कलन ११,३७९ रु० का था। १९६०-६१ में सिंचाई विभाग ने २ फर्लांग पक्का बनवाया, जिस पर ५,७८५ रु० व्यय हुआ। यह कार्य सिंचाई विभाग ने अपने विभागीय बजट में से कार्यान्वित किया था।

श्री इन्द्रलाल---

क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो उत्तर इस सदन में अगस्त, १९६९ में दिया गया था और जो संशोधित उत्तर आज ८ माह बाद दिया जाता है तो इतने समय तक जो गलत सूचना सदन में दी गई इसके लिये वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

पिछली गवर्नमेंट ने इस उत्तर को पढ़ा था। उसमें कुछ संशोधन रह गया था। चूंकि सेशन नहीं हुआ इसलिये वह नहीं पढ़ा जा सका। अब जो सेशन शुरू हुआ तो पढ़ दिया।

[श्री इन्द्रलाल---

प्रश्न यह है कि मूल प्रश्न के अंतिम उत्तर में यह बताया है कि ५,७८५ रुपया ब्लाक बजट से व्यय हुआ और दोबारा जब पूछा गया कि ब्लाक की किस मीटिंग में प्रस्ताव इस व्यय के लिये पास हुआ था तो संशोधित उत्तर दे दिया। तो सूचना देने में इस किस्म की जो लापरवाही हुई है इस पर मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

यह बहुत पुराना प्रश्न था जिसका गलत उत्तर दिया गया था और संशोधित उत्तर आज ही हम लोगों को मिला है। तो मैं इतना ही विश्वास माननीय सदस्य को दिला सकता हूं कि अगर और भी कोई फैक्ट्स हमारे नोटिस में वह लायेंगे तो जो समुचित कार्यवाही होगी वह जरूर की जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

इसके लिये प्राक्कलन था ११ हजार कुछ रुपये और खर्च हुआ केवल ५ हजार कुछ रुपये। तो प्राक्कलन गलत था या जो प्राक्कलित धनराशि थी उसको पूरा नहीं व्यय किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैंने इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों से सप्लीमेंटरी के बारे में बातचीत की थी। बताया यह गया कि चूंकि गलत उत्तर पहले दे दिया गया था, उसका संशोधित उत्तर ही देना है और इसमें सप्लीमेंटरी का कायदा नहीं है इस वजह से कोई सप्लीमेंटरीज का उत्तर मैं आज देने की स्थिति में नहीं हूं। अगर आप चाहें और इसमें सप्लीमेंटरीज का अधिकार होता है तो आप चाहें तो कल की तारीख रख दें वरना कोई और शिकायत की बात हो तो लिख कर दे दें, हम उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है। जो उत्तर सदन में दिया गया सरकार को यह महसूस हुआ कि वह गलत था इसलिये संशोधित रूप में वह उत्तर हमारे सामने आता है। तो क्या माननीय सदस्यों को अधिकार नहीं है कि प्रश्न पूछें ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

श्री अध्यक्ष—

मूल प्रश्न के बारे में आप पूछ सकते हैं। पहले वाला उत्तर गलत था अब सही कर दिया तो उसके बारे में आप क्या प्रश्न पूछेंगे।

श्री गोविन्दसिंह—

पहले वाला उत्तर तो गलत था। अब सही उत्तर आता है तो हमको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें तो इतना है कि कहां से खर्च हुआ यह रुपया। तो पहले बताया कि ब्लाक बजट से व्यय हुआ था और अब जवाब दिया है कि सिंचाई विभाग के बजट से व्यय हुआ।

श्री गोविन्दसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर सदन में कोई संशोधित उत्तर आता है तो उस पर पूरक प्रश्न करने का माननीय सदस्यों का अधिकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

संशोधित उत्तर जब दे दिया गया तो उसमें जो फर्क आया वह क्यों आया यह सब वह पूछ सकते हैं लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि हमको ख्याल था कि इस वक्त इसके बारे में नहीं पूछा जायगा, वह कहते हैं कि यह प्रथा रही होगी। सवाल अब यह है कि आप कोई चीज पूछना चाहते हैं और उसकी सूचना उनके पास नहीं है तो वह किसी दूसरे दिन देने को तैयार हैं।

श्री गोविन्दसिंह—

आप यह बताएं कि पूरक प्रश्न करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अधिकार तो है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यह जो श्रीमन, संशोधित उत्तर दिया गया है उसमें यह तसलीम किया गया है कि पहला उत्तर जो आया था वह गलत था, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह गलत उत्तर सदन में क्यों आया और क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस संबंध में क्या वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने तो श्री इन्द्रलाल जी के प्रश्न के उत्तर में विश्वास दिलाया है कि क्यों गलत उत्तर दिया गया और यह किस की जिम्मेदारी है यह तो हम अपने आप देखेंगे और इसके अलावा यदि कोई नये फैक्टस हमारे नोटिस में लाए जाएगें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या गलतबयानी करना और गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह करना सदन का अवमान नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस सबंध में अवमान की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न ६०–६१ के जमाने का है और उन्होंने कहा कि इसम जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अभी तक यहां की मान्यता है कि सदन में गलत-बयानी या मिसलीडिंग उत्तर नहीं दिये जायेंगे, लेकिन अगर वह दिये गये तो सदन का अवमान हुआ, तो मैं आश्वासन चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति में सदन कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री अध्यक्ष—

सदन कार्यवाही नहीं करेगा। यह इस पर निर्भर है अवमान की बात कि क्या मंत्री जी ने जानबूझकर गलत उत्तर दिया। अब यह कब की बात है क्या मंत्री जी बता सकेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह उत्तर २६ अगस्त, ६९ का है।

श्री अध्यक्ष—

अब उनको पूछना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ, अगर मंत्री जी के पास कोई सूचना आई है जो उत्तर दिया गया था उसकी तो मंत्री जी अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह अब वह मंत्री नहीं हैं। वह इसकी इन्क्वायरी कराएंगे लेकिन जिस मंत्री ने वह उत्तर दिया है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अब इतना स्पष्ट हो गया कि उत्तर अगस्त में आया और अब यह संशोधित उत्तर नये मंत्री जी के सामने आया तो क्या यह काफी नहीं था और उनको इस पर आगबबूला हो जाना चाहिये था और तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये थी। इस ढिलाई को सदन को बरदाश्त करना नहीं चाहिये। नये मंत्री या पुराने मंत्री का इसमें सवाल नहीं है सवाल यह है कि गलतबयानी हुई या नहीं ? और वह हुई। यह इस संशोधित उत्तर से स्पष्ट है। मैं निवेदन करूंगा कि शासन की यह जबरदस्त लापरवाही है कि इस उत्तर को देखने के बावजूद वह ऐसा कह रहे हैं। यह कल परसों उनके पास आया होगा, या तो वह प्रार्थना करके इसका स्थगन ले लेते लेकिन इस तरह से सदन का समय बरबाद करते हैं. . . . ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें अवमान का सवाल नहीं है यह मेरी रूलिंग है। वह इन्क्वायर करके इस पर जो ऐक्शन लेना हो वह लें। यह आप सदन की ओर से प्रस्ताव समझ लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा ही था। मंत्री जी सदन को सूचना देंगे जो वे इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन, १९५२ से एक टर्म को छोड़कर मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि अगर कोई गलत उत्तर हो गया तो उसका संशोधित उत्तर दे दिया जाता है। गलत उत्तर क्यों हुआ, उसकी जानकारी मंत्री महोदय को हो, वह अलग बात है लेकिन इस प्रकार से सप्लीमेंटरी प्रश्नों के पूछे जाने के बारे में इस सदन में पहले व्यवस्था नहीं थी। पर आगे के लिये आप इस प्रकार की व्यवस्था दें कि जो संशोधित उत्तर दिया जाय उसमें सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यदि वह नियमानुकूल हो तो आइन्दा के लिए हम लोग तैयार होकर आएं।

श्री अध्यक्ष---

यह मूल प्रश्न नहीं है ? आप केवल यह जांच करवा लें कि किसने गलत उत्तर दिलवाया और उसके बारे में जो आप संबंधित व्यक्ति को सजा दें, उससे सदन को अवगत करा दें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जरूर करा दूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मंत्री तो वही हैं, वे व्यक्ति नहीं हैं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

श्रीमन, मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया.....।

श्री अध्यक्ष---

मौका अवश्य मिलेगा ।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन, मैं निवेदन कर रहा था कि आपने अभी यह व्यवस्था दी थी कि वे मंत्री नहीं हैं लेकिन मंत्री तो वे ही हैं, व्यक्ति वे नहीं हैं । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---

अगर उनको मालूम नहीं है तो वे इन्क्वायरी करके आपके सामने रखेंगे ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिये । इसलिये इस पर आप आधे घन्टे की बहस कराने की इजाजत दे दीजिए ?

श्री अध्यक्ष---

आप नोटिस दे दीजिए ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिया गया तारांकित प्रश्न ।]

तहसील बिलारी में वाहपुर ग्राम के जल जमाव को निकालने की योजना

*१---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम वाहपुर तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के कृषि क्षेत्र की भूमि में लगातार छः मास तक पानी भरा रहता है जिसको गांगन नदी में डालने के लिये नाला खोदने की क्या कोई योजना बनी थी ? यदि हां, तो उसमें अनुमानित व्यय की धनराशि कितनी थी ?

सिंचाई उप मन्त्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)---

तहसील बिलारी के ग्राम वाहपुर व उसके आस पास के क्षेत्र में जल जमाव की समस्या रहती है । यह जल प्रभावित क्षेत्र गांगन नदी से लगभग ३ फरलांग की दूरी पर है । गागन

[श्री रामप्रसाद देशमुख]
नदी में इस क्षेत्र का जमा पानी ३ फरलांग लम्बे नाले से निकाला जा सकता है जिसकी लागत की अनुमानित धनराशि आठ हजार रुपये होगी। इस नाले के निर्माणार्थ अभी कोई योजना सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है।

श्री महीलाल---

क्या माननीय मंत्री जी इस योजना को भविष्य के लिये स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

मान्यवर, जांच के उपरान्त यह पता चला कि करीब २,५०० एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है और नाला सिर्फ ३ फरलांग का है जो २-१ गांव से होकर जाता है। इस पर जितना खर्चा होगा उससे ज्यादा क्षति हो जायेगी। इसलिये सरकार इसको बनवाने का विचार रखती है।

श्री महीलाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९७०-७१ वर्ष के बजट में इस नाले को बनवा दिया जायगा अर्थात आगामी वर्ष में ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा ---

जरूर कोशिश करूंगा।

[११ मार्च, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

दिवारी पाइप लाइन पेय-जल योजना

*१---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

विधान सभा की बैठक दिनांक १८ दिसम्बर, १९६७ के प्रश्न संख्या २ के उत्तर के संदर्भ में क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित योजना को स्वायत्त शासन (ख) विभाग कब तक पूर्ण करने जा रहा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)---

संबंधित योजना अर्थात जिला नैनीताल की दिवारी डुबसर ग्रामों की जल संपूर्ति पूरी हो चुकी है।

श्री इन्द्रलाल---

इस योजना पर कितना रुपया व्यय हुआ और यह कार्य किस ठेकेदार द्वारा संपन्न कराया गया ?

श्री अनवार अहमद---

इस योजना पर १८ हजार रुपया खर्च आया है। ठेकेदार के नाम की जानकारी इस समय मुझे नहीं है। उसके नाम का पता लगवाना पड़ेगा।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि यह योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो कार्य प्रारंभ किया गया था वह पूरा नहीं हुआ है और इस कार्य को ठेकेदार तथा ओवरसियर जनता की सुविधाओं को ध्यान में न रख कर बल्कि अपनी सुविधाओं के अनुसार कार्य को कर रहे हैं, इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अनवार अहमद---

जो सूचना मिली है वह यह है कि फरवरी, ७० में कार्य समाप्त हो गया। माननीय सदस्य अगर कोई लिखित सूचना देंगे तो जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

सूचना तो वे दे रहे हैं, इसी आधार पर क्या आप जानकारी कराएंगे ।

श्री अनवार अहमद—

इसकी जानकारी अवश्यक करा ली जायेगी ?

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी योजनाओं की जो २० हजार रुपये तक की होती हैं उनका कार्य बजाए ठेकेदार से कराने के कार्यकर्त्ताओं द्वारा कराने के आदेश देंगे ?

श्री अनवार अहमद—

इस संबंध में सोचा जा सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

यह ठेका जो दिया गया वह क्या कागज पर एग्रीमेंट के तौर पर दिया गया या जबानी दिया गया क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ठेकेदार का पता लगाना पड़ेगा ?

श्री अनवार अहमद—

मैंने कहा था कि ठेकेदार के नाम का पता लगवाना पड़ेगा । उसकी सूचना नहीं थी । ठेकेदार का पता लगाना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

किस अधिकारी ने यह सूचना सरकार को दी कि कार्य पूरा हो गया है ?

श्री अनवार अहमद—

यह सूचना संबंधित अधिकारी, जिला नैनीताल ने दी है ।

रुद्रपुर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा प्लाटों का नीलाम

*२—श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वाशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नगरपालिका, रुद्रपुर, जिला नैनीताल के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष-कम सेक्रेटेरी ने पिछली तारीखों पर २५ प्लाटों का नीलाम दिखा कर माह जून, १९६९ में रजिस्टरियां कराई हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इससे नगरपालिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा है ?

श्री अनवार अहमद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री इन्द्रलाल—

यह प्रश्न अगस्त सन १९६९ से चल रहा है । मैं जानना चाहूंगा कि सूचना एकत्र करने में कितने महीने अभी और लग जायेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

जो प्रश्न पूछा था वह बहुत साफ नहीं था । उसमें निश्चित तारीखें नहीं दी गयी थीं, बल्कि यह कहा गया था कि पिछली तारीखों में । इसलिये उन तारीखों की छानबीन में समय लग गया । जितनी जल्दी जानकारी प्राप्त होगी, माननीय सदस्य को उसकी इत्तला दे दी जायेगी ।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, २३ सितम्बर, १९६९ का प्रश्न है। एक जिले से सूचना आनी थी। इतना समय इसमें लग गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण थे जिनके कारण सूचना एकत्र करने में इतना समय लग रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

कारण तो उन्होंने बता दिए।

श्री गोविन्द सिंह---

कितना टाइम अभी और चाहते हैं मंत्री जी ?

श्री अनवार अहमद---

जो प्रश्न पूछा गया था वह बहुत साफ नहीं था। इसकी जानकारी भी कर ली जायेगी कि उनको इसकी सूचना भेजने में इतना टाइम क्यों लगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)

श्रीमन्, ५ महीने इस सवाल को सरकार को गये हुए हो गये, किन्तु उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह आगे के लिये कोई निश्चित समय अन्दाजन बताने की कृपा करेगी कि कितने दिन में जवाब आ जाएगा ?

श्री अनवार अहमद---

जितनी जल्दी सम्भव होगा, इसका जवाब दे दिया जायेगा। किन्तु कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मंत्री जी ने कहा है कि प्रश्न साफ नही है, मैं समझता हूं कि यह कहने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। यह आपका अधिकार है। प्रश्न साफ है या नहीं यह देखना। यदि प्रश्न साफ न होता तो आप उसका उत्तर ही न दिलवाते। उन्होंने बिना उत्तर दिये हुये, बचने के लिये कह दिया कि प्रश्न साफ नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने आपके अधिकारों का हनन किया है। अतः इस विषय में यहां पर विवाद होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष ---

यह उनको साफ नहीं मालूम पड़ा।

श्री अनवार अहमद---

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि प्रश्न साफ नहीं है, बल्कि बात जो पूछी गई है तारीखों के बारे में वह उसमें दी नहीं गई है, इसलिये उसको पता लगाने के लिये समय की आवश्यकता पड़ गई।

श्री महीलाल---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच के बाद यह निश्चित हो गया है कि जून मास के पश्चात् २५ प्लाटों का नीलाम किया गया है ?

श्री अनवार अहमद---

मान्यवर, मैंने कहा इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। जैसे ही आ जायेगी, पूरी सूचना सदन को दी जायेगी।

प्रतापगढ़ नगरपालिका में सड़कों पर गैर कानूनी कब्जा

*३—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में नगर पालिका के क्षेत्र में पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों की पटरियों पर तथा सरकारी नजूल भूमि पर लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करके ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। जांच हो चुकी है। गैर कानूनी कब्जा हटाने की कार्यवाही हो रही है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर कानूनी कब्जा करने के सिलसिले में कितने मुकदमें इजलास में दाखिल किये गये ? और अब तक कितनों का फैसला हुआ है ?

श्री अनवार अहमद—

६० दीवानी अदालत में मुकदमें दायर किये गये और इसके अतिरिक्त कुछ मुकदमें अभी और दायर करने हैं। दफा ४४७ क फौजदारी अदालत में ११६ मुकदमें दायर किये गये थे जिसमें से ६६ का फैसला हो चुका है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)

क्या मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार का पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर गैर कानूनी कब्जा एक ही जगह नहीं है, प्रदेश में व्यापक रूप से हो रहा है ? यदि हां तो क्या कोई ऐसा लेजिस्लेशन—नियम लागू करने जा रहे हैं जिससे इस प्रकार का कब्जा जल्दी हटाया जा सके ?

श्री अनवार अहमद—

मान्यवर, नियम मौजूद हैं—दीवानी और फौजदारी दोनों के कानून बने हुये हैं। इसलिये नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है और इसकी सूचना मंगानी पड़ेगी कि किस किस जगह अवैध कब्जे हैं।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

क्या मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो गरीब, भूमिहीन, छोटे-छोटे ठेले वाले इत्यादि गरीब आदमी कब्जा किये हुये हैं, उनको इसमें छोड़ दिया जाय ?

श्री अनवार अहमद—

मान्यवर, कानून में अमीर और गरीब सभी बराबर हैं। जो भी कानून होगा वह सब पर समान रूप से लागू होगा।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि ये मुकदमें दीवानी और फौजदारी की अदालतों में कब दायर हुये और उनके निर्णय के बाद किन जमीनों पर सरकार ने कब्जा कर लिया ?

श्री अनवार अहमद—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी कि कब दायर हुये।

श्री रियासत हुसैन---

बात यह है कि गरीब लोगों के मुकदमें फौजदारी में भेजे जाते हैं और बड़े लोगों के मुकदमें दीवानी में भेजे जाते हैं, क्या माननीय मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बड़े लोगों के मुकदमें भी फौजदारी में भेजे जाय ?

श्री अनवार अहमद---

ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि गरीबों के मुकदमें फौजदारी में भेजे जायं और बड़ों के मुकदमें दीवानी में भेजे जायं । कानून के अनुसार जिस मुकदमें की जैसी स्थिति होती है वैसी कार्यवाही की जाती है । अगर दीवानी में भेजने की जरूरत होती है तो दीवानी में भेजा जाता है और फौजदारी में भेजने की जरूरत होती है तो फौजदारी में भेजा जाता है ।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)---

माननीय मंत्री ने यह बताया कि इतने मुकदमों का फैसला हो गया, तो जिन मुकदमों का फैसला हो गया है उनमें ऐसे मुकदमें भी हैं जो कम्पाउंड किये गये हैं ?

श्री अनवार अहमद---

फैसलों में कम्पाउंड होने वाले मुकदमें भी आते हैं, वह मुकदमें भी आते हैं जिनमें सजा हो गयी और वह मुकदमें भी आते है जो छूट जाते हैं ।

श्री हरनरायन---

क्या माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे कि माननीय चरणसिंह ने बयान में बताया है कि जिन भूमिहीन, गरीब लोगों ने अपने मकान बना लिये हैं उनके लिये रियायत दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

आप चाहते हैं कि गरीब कब्जा कर लें, बगैर पूछे हुये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

प्रश्न यह था कि जो भूमिहीन ठेलेवाले हैं उनको रियायत देनी चाहिये । उसी का उत्तर मांग रहे हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि नगरपालिकाओं में इस तरह की व्यापक समस्या है इसके समाधान के लिये जो दूकानदार अपनी जगहों से हटाये जायेंगे उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अनवार अहमद---

ऐसी कोई सूचना सरकार को दी जायगी तो उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है।

प्रतापगढ़ जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*४---श्री इन्द्रलाल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १ जनवरी, १९६९ से १० सितम्बर, १९६९ तक जिला प्रतापगढ़ में आग लगने की कितनी घटनायें हुईं तथा उनके फलस्वरूप कितनी क्षति हुई और कितनी सरकारी सहायता दी गई ?

श्री रामकिंकर---

१०६ घटनायें हुईं । अनुमानित क्षति ३,०८,८२९ रुपया की हुई । सरकार द्वारा २,९४५ रु० की अहेतुक सहायता दी गई ।

श्री जयराम यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वास्तविक क्षति को देखते हुये बहुत कम सहायता दी गयी है, फिर से विचार करके और ज्यादा सहायता दी जायगी ?

श्री रामकिंकर—

यह सरकार के सामर्थ्य के बाहर है कि दैवी प्रकोप पर इतना रुपया दिया जा सके। शासन की इस तरह की कोई नीति नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि अब तक जो सरकारी आदेश हैं उसके अनुसार आग लगने पर फी परिवार केवल अधिक से अधिक २० रुपये की ही सहायता दी जाती है जो बहुत कम है क्या सरकार फिर से उस पर संशोधन करके कोई उचित सहायता देने पर विचार करेगी ?

श्री रामकिंकर—

दैवी आपदा में यह सरकार के लिये सम्भव नहीं है कि जितनी क्षति हो उसको, दे सके, लेकिन अभी तक जितना था उसके अनुसार घर बनाने के लिये ६५ रुपये दिया जाता था जिसको अब १०० रुपया कर दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि आग लगने के सिलसिले में जो सहायता दी जाती है वह बजाय मदद देने के आप बिना इन्टरेस्ट के लोन दें जिससे आग पीड़ित अपना मकान बनाना चाहें तो बना सकें ?

श्री रामकिंकर—

ऐसी सहायता तकावी लोन के रूप में भी दी जाती है।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

आग लगने की घटनायें छोटे-छोट जिलों में हो जाती हैं, तो इन जिलों में फायर ब्रिगेड रखने की सरकार व्यवस्था करेंगी ?

श्री रामकिंकर—

ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री इन्द्रमणी—

यह जो नियम आग लगने पर सहायता देने के बने हैं यह कब से बने हुए हैं?

श्री रामकिंकर—

शासनादेश तो पुराने हैं लेकिन अभी हाल ही में २३ सितम्बर, १९६९ को शासन का आदेश गया जिसके अनुसार देहातों मे कच्चे घर बनाने के लिए ६५ रुपये के स्थान पर १०० रुपया कर दिया गया है। कबाल टाउन में २५० रुपया तथा गांवों में पक्के मकान के लिए तथा अन्य नागर क्षेत्रों में सभी मकानों के लिए १२५ रुपया दिया जाता है।

स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूले के अनुसार बदायूं जिले में सड़कों का कोटा

*५—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टार एन्ड ग्रिड के अनुसार सड़क निर्माण हेतु जो कोटा जिलेवार नियुक्त किया गया था क्या उसके अनुसार बदायूं जिले को गलती से १००

[श्री मोहम्मद असरार अहमद]

मील सड़क कम हो गई और कई बार ध्यान दिलाने पर भी १०० मील कमी को पूरा नहीं किया गया ? क्या सरकार इस कमी को पूरा करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

जिला बदायूं में स्टार एण्ड ग्रिड फारमूला के अनुसार पक्की सड़कों की जो आवश्यकता आंकी गई थी उसमें कोई गलती नहीं थी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बतलायेगी कि सवाल का नोटिस देने के बाद सरकार ने कोई जांच कराई कि आज की तारीख में भी गलती है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—

श्रीमन्, प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह सही है और इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूले के अनुसार उन्होंने विभिन्न जिलों का क्या-क्या कोटा निश्चित किया है सड़कों का ?

श्री धर्मसिंह—

यह प्रश्न तो केवल बदायूं के सिलसिले में है और जिलों की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

अगर कोई गलती की है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक बदायूं जिले में कितने मील सड़कों का निर्माण हो गया था और स्टार ग्रिड फारमूले के अनुसार कितने मील और सड़कों का निर्माण होना चाहिये जिसकी व्यवस्था की गयी थी ?

श्री धर्मसिंह—

यह डिटेल का सवाल है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । उत्तर दिया गया कि डिटेल का सवाल है । मेरा प्रश्न तो केवल इतना था कि बदायूं जिले में कितने मील सड़क का निर्माण हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । यह जवाब दिया जा सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

नहीं दिया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—

आप यहां नहीं बैठे हैं । इस पर भी आप बहस कर रहे हैं ।

श्री मैनजर सिंह—

मैं बहस नहीं कर रहा हूं । प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री को यह जवाब देने का अधिकार है कि उनको सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हिम्मत सिंह—

स्टार एंड ग्रिड योजना के अन्तर्गत जिले मे जो कमी थी क्या उसे चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा कर दिया जायगा ?

श्री धर्मसिंह—

यह बात सही है और चौथी पंचवर्षीय योजना में उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

स्टार एन्ड ग्रिड योजना के अनुसार क्या जिले की आवश्यकताओं के अनुसार हर जिले का कोटा नियय किया जाता है या हर जिले का बराबर-बराबर कोटा नियत किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—

सन् ४३ में नागपुर में जो कान्फरेंस हुई थी उसमें २० वर्ष के लिये यह योजना बनी थी और उसमें बहुत सी बातों क आधार पर कुछ निर्णय लिये गये थे । जिलेवार उसकी सूची मेरे पास नहीं है लेकिन कुछ सिद्धान्त उसके थे ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

स्टार एंड ग्रिड के अनुसार कितना कोटा बदायूं का था और उसमें कितने मील बन चुका है और कितना बाकी रह गया ?

श्री धर्मसिंह—

उस फार्मूले के हिसाब से ३५८ मील बदायूं में होना चाहिये था । २५८ मील बना है । मार्च, ६९ तक स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने पर २८७ होगा । जैसा कि मैंने निवेदन किया चौथी पंचवर्षीय योजना तक की रूपरेखा बनाते समय सहानभूतिपूर्वक इस पर विचार किया जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने जो पहले प्रश्न किया था उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिटेल का सवाल है इसलिये नोटिस की आवश्यकता है लेकिन अभी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया वह वैसा ही प्रश्न था जैसा मैंने किया था और उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया । तो क्या यह सदन का अवमान नहीं है और पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—

पहले जो माननीय सदस्य ने सूचना मांगी थी वह मेरे पास नहीं थी । जहां तक गलती की बात थी तो इस मामले में कोई गलती नहीं की थी और उसका उत्तर दे दिया गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप देखें कि जो प्रश्न श्री कृष्ण स्वरूप जी ने किया है वैसा ही प्रश्न माननीय मैनेजर सिंह जी ने किया है या नहीं या यह उसके विपरीत प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता था ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे देख लूंगा ।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय निकाय वित्तीय साधन समिति की रिपोर्ट

*६—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री लोकल बाडीज रिसोरसेज कमेटी की रिपोर्ट जो अगस्त–सितम्बर, १९६८ में सरकार को प्राप्त हो गई है उसे सदन की मेज पर रखेंगे तथा यह बतलायेंगे कि सरकार ने इस रिपोर्ट की कौन-कौन सिफारिशें मान ली हैं ?

श्री अनवार अहमद—

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय निकाय वित्तीय साधन समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है और वह छप रही है। इस समिति की सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्यपाल के जमानें में और पिछली सरकार के जमाने में इस कमेटी की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया गया या नहीं ?

श्री अनवार अहमद—

इस कमेटी की रिपोर्ट आगई है और छप रही है। पिछली कैबिनेट की मीटिंग में यह पेश हुई थी तो स्थगित हुई। अब जब छपकर आयेगी तो विचार किया जायेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई ?

श्री अनवार अहमद—

यह कमेटी दो मर्तबा बैठी है। पहली की रिपोर्ट २१ अगस्त, १९६८ को और दूसरी की रिपोर्ट सितम्बर, १९६८ में मिली।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, उनका सवाल बिलकुल साफ था कि रिपोर्ट १९६८ में प्राप्त हुई उस समय राज्यपाल महोदय का शासन था तो क्या उसने इस पर विचार किया और किसी निर्णय पर पहुंचे ?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक राष्ट्रपति शासन का सवाल है उसके लिये सूचना प्राप्त करनी होगी।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें बतायेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

यह कमेटी इसलिये बनाई गई थी कि यह जो लोकल बाडीज, नगरपालिका और जिला परिषद् हैं, इनकी आमदनी कैसे बढाई जाय। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत-सी चीजें दी हैं। विस्तार से यह मेरे पास नहीं हैं। वह रिपोर्ट छप रही है। छप कर आने पर बता सकूंगा।

शिकोहाबाद नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

*७—श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि वर्ष १९६५ से वर्ष १९६७ तक म्युनिसिपल बोर्ड, शिकोहाबाद (मैनपुरी) के वर्तमान चेयरमैन के विरुद्ध कितनी शिकायतें सरकार को अथवा जिलाधीश या आयुक्त महोदय को प्राप्त हुई थीं और उपरोक्त चेयरमैन के विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे ?

नोट :— तारांकित प्रश्न ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अनवार अहमद—

वर्ष १९६५ से वर्ष १९६७ तक म्युनिसिपल बोर्ड शिकोहाबाद (मैनपुरी) के वर्तमान चेयरमैन के विरुद्ध शासन को १०, आयुक्त को २ तथा जिला मजिस्ट्रेट को १, शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध नगरपालिका के धन का दुरुपयोग, अनियमित रूप से बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये बिना धन का व्यय, राजकीय रोडग्रान्ट का दूसरे मदों में खर्च कर देना, अनियमित नियुक्तियां, कर्मचारियों का वेतन नियमित रुप से वितरित न किया जाना, बोर्ड की पिक-अप (Pick- p) का अनियमित रुप से प्रयोग किया जाना तथा अपनी पार्टी के लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने क आरोप थे।

*८—श्री मनसा राम—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सम्बन्धित जिलाधीश तथा आयुक्त महोदय ने अपनी जांच में उपरोक्त चेयरमैन को दोषी ठहराया है ? यदि हां, तो अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अनवार अहमद—

नगरपालिका के अध्यक्ष को शासन द्वारा एक आरोप पत्र दिया गया था तथा उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था। उसपर विचार करने के उपरान्त अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया।

जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

*९—श्री मंजूर अहमद—

[८ वें गुरुवार के प्र०सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०—श्री मंजूर अहमद—

[३रे मंगलवार के प्र०सं० ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[४थे बुद्धवार के लिए स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में मोहरावासी झींगुर हरिजन के परिवार की कथित भुखमरी

*१२—श्री हरिवंशसहाय (जिला देवरिया—)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना रुद्रपुर, ग्राम मोहरा के निवासी श्री झींगुर हरिजन, उम्र ४५ वर्ष, पत्नी महैसिया, उम्र ४० वर्ष, पुत्र विलास उम्र १८ वर्ष, दिनांक २९ अगस्त, १९६९ को ४ दिनों तक भूखा रहने के बाद आम की गुठली की रोटी खाये और दूसरे दिन ३० अगस्त, १९६९ को प्रातः काल बरहज अस्पताल आते समय रास्ते में मर गये ?

खाद्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

श्री झींगुर, उनकी पत्नी महेसिया तथा उनके पुत्र राम विलास ने २९ अगस्त, १९६९ को जौ तथा आम की गुठली की रोटियां खाई थीं। इसके बाद ही इन लोगों को भयंकर पेचिस हो गई जिसके कारण श्री राम विलास की मृत्यु २९ अगस्त, को तथा श्री झींगुर तथा श्रीमती महेशिया की मृत्यु ३० अगस्त, १९६९ को हो गई। आम की गुठली की रोटियां खाद्यान्न के अभाव के कारण नहीं बनाई गई थीं क्योंकि जिस दिन ये रोटियां बनीं थीं इस परिवार के पास खाद्यान्न था।

*१३—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम मोहरा, थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया राप्ती की बाढ़ से २० अगस्त, १९६९ से ही टापू बन गया था और वहां बाढ़ की सहायता झींगुर परिवार तक नहीं पहुंची थी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम मोहरा में बाढ़ का पानी २३ अगस्त, से बढ़ा था । बाढ़ के समय झींगुर परिवार को १० किलो चना, ३ किलो नमक, ४ दियासलाइयां तथा ७० रु० नकद की सहायता दी गई थी ।

गढ़वाल जिले में नयार नदी पर पुल निर्माण

*१४—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में नयार नदी पर स्थान बानघाट पर कब मोटर यातायातके लिए पुल स्वीकार किया गया था और वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—

जिला गढ़वाल में पश्चिमी नयार नदी पर स्थान बानघाट पर पुल निर्माण की स्वीकृत १४ सितम्बर, १९६७ को प्रदान की गई थी । इस पुल के मार्च, १९७२ तक तैयार हो जाने की आशा है ।

फूलपुर तहसील में सड़कें पक्की करने की जानकारी

*१५—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील फूलपुर में जिला इलाहाबाद में कौन-कौन सी कच्ची सड़कें पक्की कराने की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हैं और क्या कच्ची सड़क हनुमानगंज से भुगरसन होते हुए फूलपुर और गारापुर से सिकन्दरा और बाबूगंज से कनहटी की सड़कें इस वित्तीय वर्ष में पक्की कराने की योजना है ? यदि हां, तो कब काम शुरू होगा ?

श्री धर्मसिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के पूरे प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से निश्चित नहीं हुए हैं । प्रश्नगत सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में पक्का कराने की कोई योजना नहीं है ।

कनखल में घाटों का निर्माण कराने की प्रार्थना

*१६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कनखल, जिला सहारनपुर के नागरिकों की ओर से सरकार को बार बार प्रतिवेदन इस आशय के दिये गये कि कनखल (हरिद्वार) में घाटों का निर्माण किया जाय, यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां । इन घाटों की जिम्मेवारी नगर पालिका हरिद्वार पर है। नगर पालिका हरिद्वार को लिखा गया । धनाभाव के कारण वह इनका निर्माण कराने में असमर्थ है ।

*१७—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[माननीय सदस्य के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

इलाहाबाद महापालिका की अल्लापुर बाघम्बरी योजना

*१८—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्लापुर बाघम्बरी योजना के अन्तर्गत नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा भूमि प्राप्त करने का कोई प्लान है ? यदि हां, तो क्या उसमें बने हुए नये मकानातको नगर महापालिका गिरवाने जा रही है और उनकी अनुमानित मालियत क्या होगी ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां । अनधिकृत निर्माणों के गिराने की कार्यवाही कानून के अनुसार की जायगी। यह बताना अभी सम्भव नहीं है कि कौन मकान गिरेंगे और उनकी अनुमानित मालियत क्या होगी ।

इलाहाबाद जिले में सोरांव–कल्याणपुर, फूलपुर-होलागढ़ सड़कों का निर्माण

*१९—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

(क) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद में सोरांव से कल्याणपुर इंटरमीडियेट कालेज तक की ७ मील लम्बी सड़क जिला परिषद से सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर पक्की बनवाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की फूलपुर होलागढ़ सड़क का निर्माण कार्य, जो लगभग चार वर्ष से प्रारम्भ है, कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—

(क) जी नहीं ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२०—श्री शिवानन्द नौटियाल

[पुनरावृत्ति के कारण अपास्त]

गौरा बरहज नगरपालिका के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*२१—श्री रामपूजन पटेल तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका गौरा बरहज देवरिया में १,५०,००० रु० की गबन अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कमिश्नर गोरखपुर के आदेश से एस० डी० एम०, सलेमपुर ने की है ? क्या स्वायत्त शासन मंत्री उक्त जांच की रपट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां । रिपोर्ट मार्च २, १९७० को प्राप्त हो गई है और शासन के विचाराधीन है । इसे सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा ।

प्रतापगढ़ जिले में हौदनाथ-कुण्डा सड़क पर नदी का पुल न होना

*२२—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार को पता है कि जिला प्रतापगढ़ में हौदनाथ व कुंडा को मिलाने वाली सड़क के बीच में नदी के ऊपर पुल न होने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों के डूब जाने की कई वारदातें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल को बनाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री धर्मसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टोंस नदी पर पिपराघाट पुल से पथकर

*२३—श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बलिया के अन्तर्गत टौंस नदी पर बने पिपराघाट के पुल से १९६५ से लेकर ३१ मार्च, १९६९ तक कितना टोल टैक्स सरकार को प्राप्त हुआ ?

श्री धर्मसिंह—

इस पुल पर दिनांक १ सितम्बर, १९६६ से पथकर वसूली का कार्य आरम्भ हुआ है । मार्च, १९६९ तक ३,१४,९७१ रुपये प्राप्त हुये हैं ।

*२४—श्री नगीनासिंह—

उपरोक्त पिपराघाट पुल के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ है?

श्री धर्म सिंह—

१५,०५,१८६ रुपये ।

सगड़ी तहसील के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*२५—श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के बाढ़ पीड़ितों को किन-किन चीजों से इस वर्ष मदद पहुंचाई गई ? और किन-किन गांवों में कितनी कितनी मात्रा में ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के बाढ़ पीड़ितों को इस वर्ष खाद्यान्न, नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल एवं नकद सहायता के रूप में मदद दी गयी । गांववार सूची लम्बी है उसे मेरे कमरे में आकर देखा जा सकता है ।

*२६—श्री दलसिंगार—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बाढ़ से हानि का मूल्यांकन

*२७—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वर्ष १९६९ में प्रदेश में बाढ़ से हुई हानि का मूल्यांकन करने के लिए सितम्बर, १९६९ में उच्च अधिकारियों का कोई दल नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो दल के सदस्य कौन-कौन थे ? मूल्यांकन की विधि तथा आधार क्या रक्खे गये तथा उस दल की रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

ग्राम समाज बिसोखर की भूमि पर मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स का अनधिकृत कब्जा

*२८—श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ) तथा श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बिसोखर, तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ में ग्राम समाज की बहुत सी भूमि पर मोदी स्पीनिंग एन्ड वीविग मिल्स कम्पनी ने दिनांक १८ दिसम्बर, १९५६ से अवैध अधिकार कर रखा है? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने शांति स्वरूप ग्राम प्रधान बिसोखर द्वारा दायर की गई रिट पर दिनांक १८ सितम्बर, १९६४ को अपना निर्णय देते हुए उक्त कब्जे को अवैध ठहराया है? यदि हां, तो क्या कारण है कि यह भूमि ग्राम समाज बिसोखर को अब तक नहीं लौटाई गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। भूमि अध्याप्त अधिनियम की धारा ४ (१) के अन्तर्गत निर्गत विज्ञप्ति निरस्त होने के बाद भूमि को अध्याप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि जिलाधिकारी को लिखा गया कि मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग कं० के मालिकान को कहें कि ग्राम समाज बिसोखर को उपर्युक्त प्रतिकर दें वरना ग्राम समाज बिसोखर बेदखली की कार्यवाही कर सकती है। समझौते का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हाल में प्राप्त सूचना के अनुसार समझौते की बात चीत असफल हो गई है और न्यायालय में बेदखली का दावा दायर किया जा चुका है। इस भूमि पर मिल ने ६४ क्वार्टर्स, कुछ मिल के मकान और पानी की टंकी बनवा लिया है।

बदायूं जिले में नकशा दुरुस्ती के मामले

*२९—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला अन्तर्गत बदायूं, दातागंज, एवं बिसौली तहसीलों में तहसीलदार १ जनवरी, १९६९ से ३० अगस्त, १९६९ तक कितने नकशा दुरुस्ती एवं ठिया बन्दी के मुकदमें दायर हुये एवं उनमें से कितनों का निर्माण हो गया?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११४१ पर)

नियत प्राधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियों की स्वीकृति

*३०—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ नवम्बर, १९६७ से २० अगस्त, १९६९ तक नियत प्राधिकारी लखनऊ के पास प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, कितने अस्वीकार किये गये और कितनों में प्रमाणित प्रतिलिपि दी गई और इस मद से कितना धन वसूल हुआ और क्या वह धन सरकारी खाते में जमा न करके नियम के विरुद्ध नगर महापालिका के खातों में ही अभी जमा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अनवार अहमद—

दिनांक १ नवम्बर, १९६७ से २० अगस्त, १९६९ तक केवल ६८ प्रार्थना-पत्र प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए जिसमें से १८ प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये गये और ५० में प्रमाणित प्रतिलिपियां दी गई। इस मद में ४४५ रु० वसूल हुआ।

यह धन महापालिका कोष में जमा कर दिया गया था। इस धन को शासकीय कोष में जमा करने के लिए नगर महापालिका को लिखा गया था किन्तु उसने उसका पालन नहीं किया।

अब यह निश्चित किया गया है कि महापालिका क्षेत्र में नियत प्राधिकारी को प्राप्त होने वाली आय महापालिकाओं को दे दी जाय।

बसन्तपुर, परगना बलिया में ताल सुरहा की भूमि

*३१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिलान्तर्गत मौजा बसन्तपुर, परगना बलिया की आराजी नम्बर २८९, ताल सुरहा का कागजात में दर्ज कुल रकबा १३५९ फसली में कितना था ? क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सम्पूर्ण भू-भाग पर वर्तमान समय में भी खसरा में जिन्स कालम में पानी दर्ज है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मौजा बसन्तपुर परगना बलिया का आराजी नं० २८९ का सम्बन्ध ताल सुरहा से नहीं है। ताल सुरहा स्वयं एक माल का गांव है जिसका आराजी नं० २८९ का रकबा १३५९ फसली में १८२६-६५ एकड़ दर्ज था। वर्तमान समय में इस आराजी का क्षेत्रफल १८१४.४५ एकड़ अंकित है और इस सम्पूर्ण भाग पर 'पानी' अंकित नहीं है।

*३२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भूमि खंड राज्य द्वारा सन् १९४० में लावारिस घोषित जिला इलाहाबाद की रियासत आनापुर की जमींदारी में था ? यदि हां, तो जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त मध्यवर्ती के लिये उक्त भूमि की देय प्रतिकर तालिका किसके नाम से कितनी धनराशि की बनाई गई और उसका भुगतान जिस व्यक्ति को हुआ है उस व्यक्ति का उक्त रियासत से क्या सम्बन्ध है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त भूमि खण्ड (आराजी नं०) २८९ ग्राम ताल सुरहा का केवल ६२५.१० एकड़ क्षेत्रफल आनापुर स्टेट जिला इलाहाबाद की जमींदारी में अंकित था। यह रियासत लावारिस घोषित नहीं हुई है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग

*३३—श्री रामगोपाल सण्ड तथा श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के नगर महापालिका कर्मचारियों ने दिनांक २८ मार्च, १९६९ से हड़ताल किये जाने का नोटिस सरकार के आश्वासन स्वरूप वापस लिया। यदि हां, तो सरकार ने कर्मचारियों के लिये उनकी द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना की मांग, अन्तरिम सहायता, एक वर्ष से अधिक अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी करने सम्बन्धी मांगों के संबन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अनवार अहमद—

शासन ने एक वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उक्त आयोग स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी विषयों पर भी सिफारिश करेगा।

सचिवालय के राजस्व विभाग में पत्र व्यवहार की भाषा

*३४—श्री राम गोपाल सण्ड तथा श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २ मार्च, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक सरकारी सचिवालय के राजस्व विभाग द्वारा जो पत्र तथा परिपत्र जारी किये गये उनमें से कितने हिन्दी एवं कितने अंग्रेजी में थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

६,५६६ हिन्दी में तथा ५६४ अंग्रेजी में ।

उतरौला तहसील भवन

*३५ श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में उतरौला के तहसील के नये भवन के निर्माण करने का निश्चय सरकार ने किया है ? यदि हां, तो उस भवन को कब तक किस स्थान पर निर्मित किये जाने की योजना है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । इस तहसील के नये भवन का निर्माण, आशा है अगले वर्ष तक 'जिला स्थल चुनाव समिति' द्वारा उतरौला–मनकापुर रोड पर चयन की गई भूमि पर प्रारम्भ हो जायेगा ।

रामपुर जिले में रेवेन्यू की दर कम करने के सम्बन्ध में जानकारी

*३६—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में रेवेन्यू की दर में कमी करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जा चुका है या नहीं ? यदि अभी तक इस विषय पर निर्णय नहीं लिया गया तो यह निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता ।

विलासपुर स्वार सड़क का निर्माण

*३७—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में विलासपुर से स्वार तक की सड़क का निर्माण कब से प्रारम्भ हुआ तथा २५ जुलाई, १९६९ तक कितने मील सड़क बनकर तैयार हो चुकी है तथा शेष कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

श्री धर्मसिंह—

बिलासपुर से मिलक खानम के ८ मील ४ फर्लांग मार्ग का निर्माण अप्रैल, १९६३ में प्रारम्भ हुआ था और जुलाई, १९६९ में पूर्ण हो गया था । शेष भाग का निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ है ।

*३८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[माननीय प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

नैनीताल-कालाढूंगी सड़क का निर्माण

*३९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल कालाढूंगी मुरादाबाद रोड किस समय तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह--

नैनीताल से कालाढूंगी तक कच्चा पहाड़ी मोटर मार्ग पूर्ण हो चुका है । कालाढूंगी से बाजपुर तक के भाग का निर्माण हो रहा है । इसके जून, १९७१ तक पूर्ण हो जाने की आशा है । बाजपुर से रामपुर होकर मुरादाबाद तक का भाग पहले ही से बना है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मुरादाबाद जिले की सड़कें

*४०--श्री रियासत हुसैन--

जिला मुरादाबाद में चौथे पांचसाला प्लान में कौन-कौन सी सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है ?

श्री धर्मसिंह--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के पूरे प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से निश्चित नहीं हुये हैं ।

जिला बिजनौर में पंच के अधीन चकबन्दी के मुकदमे

*४१--कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर में चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन पंच (आर्बीट्रेटर) से निर्णय कराने हेतु कितने मुकदमें रुके पड़े हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जिला बिजनौर में चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन पंच (आर्बीट्रेटर) से निर्णय करने हेतु केवल तीन मुकदमें रुके पड़े हैं ।

*४२--कुंवर शिव महेन्द्र सिंह--

जिला बिजनौर में सरकार की ओर से क्या कोई पंच (आर्बीट्रेटर) नियुक्त है ? यदि नहीं, तो कब से नहीं हैं और क्या सरकार कोई नियुक्ति शीघ्र करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । इस समय जिला बिजनौर में पंच (आर्बीट्रेटर) नियुक्त हैं ।

बांसगांव तहसील में चकबन्दी के मुकदमे

*४३--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत जिला गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रीय चकबन्दी अधिकारी के क्षेत्र के कितने मुकदमें क्षेत्रीय चकबन्दी अधिकारी कोड़ीराम के न्यायालय में विचाराधीन है एवं कोड़ीराम क्षेत्रीय चकबन्दी अधिकारी के क्षेत्र के कितने मुकदमें बांसगांव क्षेत्रीय चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

चकबन्दी योजना के अन्तर्गत जिला गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रीय चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र के कोई भी मुकदमें क्षेत्रीय चकबन्दी अधिकारी कोड़ीराम के न्यायालय में विचाराधीन नहीं है । किन्तु कोड़ीराम क्षेत्रीय चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र के सात मुकदमें बांसगांव क्षेत्रीय चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में निस्तारण के लिये बाकी हैं ।

बलरामपुर के सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*४४—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा, तहसील बलरामपुर में जारनगहिया सर्किल के सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध वहां के एक लेखपाल ने माह अगस्त या सितम्बर सन् १९६९ में इस आशय की कोई सूचना श्रीमान् बन्दोबस्त अधिकारी महोदय को की थी कि स०च०अ० ने लेखपाल की स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार करने की चेष्टा की थी? यदि हां, तो शासन के उक्त स०च०अ० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, इस सूचना के उपरान्त उक्त लेखपाल का तबादला करने का क्या कारण था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सही है कि दिनांक २५ सितम्बर, १९६९ को श्री परम हंस, चकबन्दी लेखपाल ने एस०जी०सी० बलरामपुर को सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध दरख्वास्त की थी। एस०ओ०सी० ने तुरन्त जांच की किन्तु सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किसी अभद्र व्यवहार का आरोप सही नहीं पाया गया। प्रशासनिक दृष्टि से यह उचित समझा गया कि लेखपाल का उक्त सर्किल से तबादला कर दिया जावे।

ग्राम खेरी शीतल प्रसाद तथा देवरुवा में भूमि पर अनधिकृत कब्जेदार

*४५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खेरी, शीतल प्रसाद तथा देवरुवा, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती में १ जुलाई सन् १९५२ को कितनी बंजर भूमि थी और दिनांक ३० नवम्बर, १९६९ को कितनी है तथा किसके कब्जे में है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम खैरी शीतल प्रसाद तथा देवरूवा में १ जुलाई, १९५२ को क्रमशः १६२.०० तथा ६.७० एकड़ और ३० नवम्बर, १९६९ को क्रमशः ६८.०० व ३४.४४ एकड़ बंजर भूमि थी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त ग्रामों की क्रमशः ९४.०० व २.६५ एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों की ग्रामवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११४२ पर)

मेरठ नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतें

*४६—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका मेरठ में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के विषय में प्रश्नकर्ता का दिनांक ७ नवम्बर, १९६९ का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनवार अहमद—

जी हां। उस पर जांच कराई जा रही है।

रुड़की तहसील में गांव आने की को पक्की सड़क से मिलाने की प्रार्थना

*४७—श्री जगदीश गांधी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ग्राम सलेमपुर, आनेकी व औरंगाबाद (तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर) को पथरी पावर हाउस, बहादराबाद (जिला सहारनपुर) से मिलाने के लिये उक्त पावर हाउस से उसी तहसील के गांव औरंगाबाद तक पक्की सरकारी सड़क बनवाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

*४८—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जिला सहारनपुर व जिला देहरादून की प्राकृतिक सीमा शिवालिक पहाड़ी पर से होकर गंगा से जमुना तक जाने वाली सड़क से उक्त ग्राम आनेकी को मिलाने के लिये आनेकी से शिवालिक पहाड़ तक पक्की सरकारी सड़क बनवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं ।

मोतीराम-अड्डा-बोहावर सड़क बनाने की प्रार्थना

*४९—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत गोरखपुर, देवरिया रोड पर स्थित मोतीराम अड्डा से बरही होते हुये बोहावर तक जाने वाली सरकारी सड़क को वर्तमान बजट में बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं ।

*५०—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[४थे सोमवार के प्र० सं० ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरियाना, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की स्थायी सीमा निर्धारण करने का सुझाव

*५१—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के पश्चिमी जिला देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ व बुलन्दशहर तथा अलीगढ़ में जमुना नदी के कटाव के कारण प्रत्येक जिले में कितने सीमा सम्बन्धी मुकदमें व झगड़े उत्तर प्रदेश सरकार के हरियाना, देहली व हिमांचल प्रदेश की सरकारों से चल रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस प्रदेश सरकार का सीमा संबंधी कोई मुकदमा अथवा झगड़ा हरियाना, देहली तथा हिमांचल प्रदेश की सरकारों से नहीं चल रहा है ।

*५२—श्री राम चन्द्र विकल—

क्या सरकार उपरोक्त झगड़ों व मुकदमों को देखते हुये जमुना नदी के बजाय प्रदेश की अन्य कोई स्थाई सीमा निश्चित कराने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

हरियाना तथा देहली राज्यों और उत्तर प्रदेश के बीच वर्तमान यमुना नदी की परिवर्तनशील सीमा के स्थान पर एक स्थायी सीमा निश्चित किये जाने का सुझाव इस राज्य सरकार ने पहले से ही भारत सरकार को भेज रखा है ।

चोपनकोटा–कोन-विंढमगंज–मिर्जापुर सड़क का निर्माण

*५३—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चोपनकोटा–कोन–विंढमगंज–मिर्जापुर सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु टेण्डर कराने की आज्ञा जारी करने जा रहें हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्म सिंह—

इस सड़क का निर्माण शासन के विचाराधीन है ।

परसा–परशुरामपुर, कलवारी–छावनी सड़कों में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*५४—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परसा से परशुरामपुर सड़क तथा कलवारी से छावनी सड़क, जिला बस्ती में बन रही है । उसमें कितनी जमीन किसानों की सड़क के अन्दर ली गई, कितने किसानों को मुआवजा दिया गया, कितना बाकी है ? बाकी होने का क्या कारण है ?

*५५—परसा से परशुरामपुर तथा कलवारी से छावनी सड़क बन कर तैयार होने का सरकार का लक्ष्य किस समय तक था ? यदि निश्चित लक्ष्य से विलम्ब हुआ तो क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नौतनवा टाउन एरिया में जमींदारी कर वसूल करने की शिकायत

*५६—श्री राम लगन दुबे—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू कर दिये जाने के बावजूद गोरखपुर जनपद की टाउन एरिया नौतनवा की सीमा के अन्तर्गत व्यवसायियों अथवा किसानों के द्वारा बिक्री के लिये लाये जाने वाले सामानों पर भूतपूर्व जमींदारों के द्वारा जमींदारी–कर वसूल किया जाता है ?

*५७—क्या मन्त्री जी इस वसूली से किसानों तथा व्यवसायियों को संरक्षण दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र लखनऊ के विचाराधीन अपीलें

*५८—श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश निर्माण कार्यों के विनियमन अधिनियम, १९५८ के अधीन कितनी अपीलें नियन्त्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के यहां लम्बित हैं और कितने–कितने समय से ?

श्री अनवार अहमद—

सर्वश्री उमाशंकर, राम अवतार तथा रमापति राम की तीन अपीलें क्रमशः २९ मई, १९६९, ५ सितम्बर, १९६९ तथा १९ दिसम्बर, १९६९ से लम्बित हैं ।

सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल, बिठूर मे बेदखली की कार्यवाही

*५९—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया दिनांक २७ अगस्त, १९६५ को श्री शारदानन्द विधायक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ व ३२ के उत्तर के सन्दर्भ में बतलाने की कृपा करेंगे कि सुपरवाइजर कानूनगो, सर्किल बिठूर, तहसील कानपुर ने गांव सभा की भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वाले जिन व्यक्तियों का नाम जिमन ४ में दर्ज किया था, उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही हेतु ३१ दिसम्बर, १९६५ तक तहसील कानपुर में कितने मुकदमें चलाये गये और ३० जून, १९६९ तक लगान की कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

३१ दिसम्बर, १९६५ तक ४४३ मुकदमें बेदखली के चलाये गये। ३० जून, १९६९ तक ४३२.२३ रुपये हरजाने के रूप में वसूल किये जा चुके हैं।

*६०—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित सुपरवाइजर कानूनगो को निलम्बित करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उन्हें किस तिथि को निलम्बित किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

निलम्बन के कोई आदेश नहीं दिये गये थे।

फतेहगंज-गढियारंगी सड़क

*६१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली से गढियारंगी जिला शाहजहांपुर तक एक पक्की सड़क बनाने हेतु स्थानीय जनता एवं विधायक, जिलाधीश शाहजहांपुर तथा आयुक्त बरेली ने अक्तूबर, नवम्बर, १९६९ के महीने में राज्य सरकार से सिफारिश की है ? यदि हां, तो अब तक सड़क निर्माण के लिये क्या कार्यवाही हुई और निर्माण कार्य कब से शुरु होगा ?

श्री धर्म सिंह—

जी हां। लेकिन प्रश्नगत सड़क का निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ है, अतः निर्माण कार्य शुरु होने का प्रश्न नहीं उठता।

मुसाफिरखाना तहसील में चकबन्दी

*६२—श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील के जिस आधे भाग (गौरा जामों परगना) में अभी तक चकबन्दी नहीं प्रारम्भ की गई है इसका क्या कारण है तथा वहां चकबन्दी कब तक प्रारम्भ कराई जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिर खाना में चकबन्दी क्रियाओं का प्रसार सन १९५४ में किया गया था परन्तु इस तहसील के उस भाग को जो वृहत नहर निर्माण योजना से प्रभावित था चकबन्दी से अलग कर दिया गया था। इसी कारण गौरा जामों परगना भी चकबन्दी से अलग किया गया था।

इस तहसील के अवशेष भाग में चकबन्दी क्रियाओं का प्रसार कदाचित् १९७५ तक हो पायेगा ।

गोंडा कलेक्टरी में हरिजन कर्मचारी

*६३—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोन्डा कलेक्टरी में कुल कितने लिपिक व चपरासी, चौकीदार, टाइप बाबू हैं और उनमें कितने हरिजन हैं और किस पद पर ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११४३ पर)

*६४—श्री गंगा प्रसाद—

क्या यह सही है कि गत अक्तूबर व नवम्बर, १९६९ में जनगणना के सम्बन्ध में कलेक्टरी में कुछ लिपिक, चपरासी भर्ती किये गये हैं ? उन में कितने हरिजन हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गत अक्तूबर व नवम्बर, १९६९ में जनगणना के सम्बन्ध में ६ लिपिक अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये । उन में से एक हरिजन है । उक्त अवधि में कोई चपरासी नियुक्त नहीं किया गया ।

*६५-६६—श्री जगन्नाथ राव—

[दिनांक ९ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६४-६५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया]

उन्नाव जिले में नलकूप

*६७—श्री सजीवन लाल तथा श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कितने सरकारी ट्यूबवेल हैं और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने नये ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग—एक भी नहीं है ।

द्वितीय भाग—नये राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम अब उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बनता है । अतः यह बताना कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अगले वर्षों में किसी जिले में कितने नलकूप लगेंगे, सम्भव नहीं है ।

मेरठ जिले के मुरादनगर क्षेत्र में असिंचित भूमि

*६८—श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में मुरादनगर विकास क्षेत्र में कितनी भूमि सिंचित है व कितनी असिंचित है ?

श्री वीरन्द्र वर्मा—

मेरठ जिले के मुरादनगर विकास क्षेत्र में राजकीय, निजी तथा अन्य साधनों से ३५,६२५ एकड़ भूमि सिंचित है तथा १४,५२५ एकड़ असिंचित है ।

सिंचाई विभाग, जौनपुर के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*६९—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, जौनपुर में राजपत्रित तथा अराजपत्रित कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण १ जून, १९६९ से दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ तक किया गया तथा स्थानान्तरण आदेश देने के बाद कितनों को रोक दिया गया तथा क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत १ जून, १९६९ से ३१ अगस्त, १९६९ तक जौनपुर जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा जौनपुर से जिले के बाहर केवल १ राजपत्रित तथा ८५ अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये। इनमें से ४ अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थानान्तरण कार्य हित में अथवा उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर रोक दिये गये थे।

प्रतापगढ़ जिले में नलकूप

*७०—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत १९६९ ई० में निर्माण के लिये जो पांच राजकीय ट्यूबवेल स्वीकृत हुये हैं वे जिले के किन-किन गांवों में लगाये जा रहे हैं या लगायें जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९६९–७०) में छः राजकीय नलकूप निर्माण के लिये स्वीकृत किये गये थे। इन नलकूपों की बोरिंग निम्नलिखित गांवों में की गई है :—

(१) धनुआ, (२) रूपीपुर, (३) बैरमपुर, (४) बिट्ठलपुर, (५) पूरा भोगी, तथा (६) विजयमऊ।

इन नलकूपों के अतिरिक्त तीन एक्सप्लोरेटरी नलकूप भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल संगठन द्वारा निम्नलिखित गांवों में खोदे गये हैं :—

(१) लछमनपुर, (२) कन्हाई, तथा (३) अन्तू।

बांधों मे दरारें

*७१—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के बांधों में आये दिन दरार पड़ती है ? यदि हां, तो सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की योजना बना रही है कि बांधों में क्या मूलभूत कमियां हैं और वह कैसे दूर हों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रान्त के बांधों में आये दिन दरारें नहीं पड़ती हैं। केवल बरसात के दिनों में कभी-कभी मिट्टी के बांधों में वर्षा के कारण कहीं-कहीं कटाव हो जाते हैं जो कि स्वाभाविक है तथा जिनकी मरम्मत के लिये तत्काल व्यवस्था कर दी जाती है। वैसे भी बांधों की सुरक्षा की जांच के लिये शासन द्वारा अक्तूबर, १९६७ में एक सतर्कता समिति बनाई गई है जिसमें दो मुख्य अभियन्ता व निदेशक, केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, सिंचाई विभाग हैं। अब केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ के अधीन सर्वेक्षण तथा परीक्षण खण्ड की स्थापना भी कर दी गई है। जिन मिट्टी के बांधों पर विशेष समस्यायें हैं उनकी छानबीन केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय अलग से कर रहा है। अन्य बांधों की सुरक्षा संबंधी छानबीन एक-एक करके सर्वेक्षण तथा परीक्षण खण्ड कर रहा है। जिसकी रिपोर्ट पर सतर्कता समिति विचार करेगी और आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायगी।

छितौनी बांध पर बोल्डर में वायड का प्रयोग

*७२—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के बड़ी गण्डक में छितौनी बांध पर बोल्डर में २५ प्रतिशत वायड के स्थान पर ५० प्रतिशत वायड प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*७३—श्री गया प्रसाद तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि बोल्डर बनाने के जी० आई० वायर जो आर० के० वायर कानपुर से मंगाया जाता है वह टेस्टेड नहीं है बल्कि रिजक्टेड वायर है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

केवल गन्डक नहर निर्माण खण्ड सप्तम, गोरखपुर द्वारा मेसर्स आर० के० वायर, कानपुर से जी० आई० वायर मंगाया गया । यह सत्य नहीं है कि उक्त जी० आई० वायर टेस्टेड नहीं है और यह भी सत्य नहीं है कि उक्त वायर रिजेक्टेड है ।

*७४-७५—श्री भगवती सिंह विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जौनपुर जिले में अधिशासी अभियन्ता, श्री त्रिवेदी के विरुद्ध कथित गबन का मामला

*७६—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के वर्तमान ट्यूबवेल के अधिशासी अभियंता श्री रमाकांत त्रिवेदी द्वारा ओबरा (मिर्जापुर) में किये गये गबन के सिलसिले में सरकार के समक्ष कोई जांच हुई ? यदि हां, तो उपरोक्त जांच में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अधिशासी अभियंता, श्री त्रिवेदी के विरुद्ध संबंधित मंडल में गबन का कोई मामला नहीं था । अतः उस सिलसिले में सरकार के समक्ष कोई जांच कराने या उस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर जिले में सिंचाई की सुविधायें देने की प्रार्थना

*७७—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर) तथा श्री शिवलाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक अमरौधा व घाटमपुर में सेंगुर, जमुना तथा नौन नदी से प्रभावित जमुना तथा सिंचित सुविधायें उपलब्ध करने की कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो कौन-सी योजनायें हैं ? उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रस्तावित क्षेत्र की सिंचाई के लिए कोई निश्चित योजना तैयार नहीं की गई है । इस क्षेत्र में लिफ्ट नहरें और राजकीय नलकूप लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और उपयुक्त स्थानों पर इनका निर्माण किया जायगा ।

*७८—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील तथा श्री शिवलाल—

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि कानपुर जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र इटावा डिवीजन में मिला दिये जाने से भोगनीपुर तथा घाटमपुर तहसील के संबंधित रजबहों तथा माइनरों से पहले जैसी सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है ? क्या मंत्री जी इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त तहसीलों की सभी माइनरों को इटावा डिवीजन से हटाकर पूर्व स्थिति में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह सत्य नहीं है कि कानपुर जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र इटावा डिवीजन में मिला दिये जाने से भोगनीपुर तथा घाटमपुर तहसीलों के संबंधित रजबहों तथा माइनरों से पहले जैसी सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस पुनर्गठन से उपरोक्त तहसीलों की सिंचाई सुविधा में कोई कमी नहीं हुई है। अतः इन तहसीलों के सभी माइनरों को इटावा डिवीजन से हटाकर पूर्व स्थिति में लाने का कोई विचार नहीं है।

नारायणी नहर की खजुरिया शाखा पर पुल बनवाने की योजना

*७९—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के रामकोला ब्लाक के अन्तर्गत जो नहर नारायणी से निकाली जा रही है उसमें जो खजुरिया शाखा है उस पर सोहसा मठियां इंटर कालेज के सामने १ मील रेलिंग बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

देवरिया जिले के रामकोला ब्लाक के अन्तर्गत बनवाई जा रही खजुरिया शाखा पर सोहसामंठिया इंटर कालेज के सामने रेलिंग बनवाने की इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।

*८०—श्री बांकेलाल—

यदि नहीं, तो २ हजार छात्रों और छात्राओं के आने-जाने की कौन सी व्यवस्था होगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस इंटर कालेज से लगभग ५०० फिट की दूरी पर समस्त जनता के आने-जाने के लिए खजुरिया शाखा पर एक पक्के पुल बनाये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मिर्जापुर जिले में नहरों से पानी न मिलने की शिकायत

*८१—श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला मिर्जापुर की नहरों में पिछली खरीफ में विलम्ब से पानी पहुंचने के कारण जगह-जगह नहरों की कटाई हुई जिसके कारण उन नहरों के टेल पर स्थित खेतों की सिंचाई नहीं हो सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किसानों की क्षतिपूर्ति पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मिर्जापुर की नहरें पिछली खरीफ १३७६ फसली में ठीक समय पर चलाई गई थीं। अतः नहरों के चलाने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। फसल के मध्य में माह सितम्बर, १९६८ से ही वर्षा पर्याप्त न होने के कारण सूखा व्याप्त हो गया। कुछ नहरों में कुछ स्थानों पर काश्तकारों द्वारा कटिंग की गई जिसके कारण वर्षा का अभाव तथा जलस्रोतों में पानी की

कमी थी। नहरों के चलने पर पानी प्राय: नहरों की टेलों पर पहुंचा था लेकिन पूरी तौर से नहीं पहुंच पाया। पानी की कमी के कारण जिन खेतों में क्षति हुई उससे संबंधित किसानों को नहरी कर में छूट दी जा चुकी है।

आजमगढ़ जिले में सेमरी-जमालपुर ड्रेन का निर्माण

*८२---श्री लालसा (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत तहसील घोसी में सेमरी जमालपुर ड्रेन निर्माण हेतु सरकार का अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

कथित ड्रेन के निर्माण पर अब तक कुल रु० ११,२७४.४१ व्यय हो चुका है।

*८३---श्री लालसा---

क्या सरकार मौके की जांच करके यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सेमरी जमालपुर ड्रेन का निर्माण हुआ है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

पहला भाग---इस ड्रेन का निर्माण हुआ है। केवल लगभग १,००० फिट की लम्बाई में ग्रामवासियों के विवाद के कारण काम नहीं किया जा सका।

दूसरा भाग---प्रश्न नहीं उठता।

*८४---श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी---

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*८५---श्री महीलाल---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

वाराणसी जिले में भिटहनी बंधे से माइनर निकालने की प्रार्थना

*८६---श्री सजीवन लाल---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें एक प्रार्थना-पत्र तारीख १६ सितम्बर, १९६९ को गांव रामपुर कलां, राम लक्षिमनपुर वगैरह, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के किसानों का मिला है जिसमें भिटहनी बंधे से एक माइनर निकाल कर जेलखाते में मिलाने की प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इस विषय में १५ सितम्बर, १९६९ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। सर्वे कराने से ज्ञात हुआ कि निकोइया नहर (भिटहनी बांध) से माइनर बनाना संभव न हो सकेगा, क्योंकि गनेशपुर बांध का जल स्तर ३११.४ है और निकोइया नहर का जल स्तर २९७.०५ है। इसलिये निकोइया नहर का पानी किसी भी प्रकार से गनेशपुर बांध में नहीं डाला जा सकता है।

सिंचाई विभाग से अंग्रेजी में जारी पत्र

*८७--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९६९ तक सिंचाई विभाग द्वारा शासकीय अथवा अर्धशासकीय कुल कितने पत्र, परिपत्र, शासनादेश, विज्ञप्ति आदि केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को जारी किये गये तथा उनमें से कितनों की भाषा अंग्रेजी थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

प्रश्नगत अवधि में शासन के सिंचाई विभाग से लगभग १५,५३७ पत्र तथा तार आदि जारी किये गये । जिसमें से केवल १२ तार की भाषा अंग्रेजी थी ।

पटियाली क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें बढ़ाने की प्रार्थना

*८८--श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला एटा के अन्तर्गत क्षेत्र पटियाली ३४८ में सिंचाई का साधन नहीं है, उस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के साधन देने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जिला एटा के अन्तर्गत पटियाली ३४८ क्षेत्र का कुल रकबा १,५१,११० एकड़ है जिसमें मौजूदा नहरों तथा नलकूपों द्वारा ४२,९१६ एकड़ सिंचित है।

इस क्षेत्र में और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत पटियाली नाम की नई माइनर बनाने तथा मौजूदा रजबहों के पुनरुद्धार की योजना है जिससे २,६७९ एकड़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शेष १,०५,५१५ एकड़ भूमि में से लगभग १,०३,९७४ एकड़ खादर क्षेत्र है, जहां पर सिंचाई हेतु नहर अथवा नलकूपों की योजना सम्भव नहीं है।

बस्ती जिले में बानगंगा नहर से सिंचाई कर

*८९--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में नौगढ़ तहसील में बान गंगा नहर किस श्रेणी की है तथा उसे सिंचित क्षेत्र से किस-किस श्रेणी का महसूल वसूल किया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

बस्ती जिलान्तर्गत नौगढ़ तहसील में स्थित बानगंगा नहर प्रणाली अनुसूची १ की है और उसी अनुसूची के अनुकूल सिंचाई का महसूल वसूल किया जाता है।

कालागढ़ परियोजना में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*९०--श्री शौनाथ सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार कालागढ़ परियोजना की नहर के क्षेत्रफल में जिन ग्रामों की भूमि आई है उन ग्रामों की भूमि का मुआवजा काश्तकारों को भूमि के ही रूप में देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कालागढ़ परियोजना के अन्तर्गत जिन काश्तकारों की भूमि आई है उसका मुआविजा उसको भूमि के ही रूप में देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*९१-९२—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[प्रश्नकर्ता का चुनाव अवैध घोषित होने के कारण अपास्त।]

अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, गोरखपुर द्वारा नलकूपों संबंधी सामान की जांच

*९३—श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री हरिबंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप खंड, बस्ती के सहायक अभियंता प्रथम ने माह अक्तूबर, १९६६ में दौरा करके अपने मुआयने में १०,००० रुपये का सामान पकड़ा था जो कि हिसाब में नलकूपों पर लगाना दिखाया गया था किन्तु वास्तव में लगाया नहीं गया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। ऐसा एक मामला सहायक अभियंता द्वारा नहीं बल्कि अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर द्वारा पकड़ा गया था।

इलाहाबाद जिले के लिये नलकूप

*९४—श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के ब्लाक फूलपुर में स्थित ग्राम मुबारकपुर, ढेलहा, पहसी आदि गांवों में सिंचाई के लिए कोई ट्यूबवेल नहीं है ? यदि हां, तो क्या १९६९-७० में इन गांवों में कोई ट्यूबवेल लगाये जाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्नगत ग्रामों में कोई राजकीय नलकूप नहीं है। इस वर्ष (१९६९-७०) इन ग्रामों में कोई नलकूप लगाने का प्रस्ताव भी नहीं है।

*९५—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के प्रतापपुर ब्लाक में स्थित चौका, उलेंद, पतैया, केवलापुर, बरेंद ग्राम के निवासियों ने नलकूप लगवाने के लिए बांड भरे हैं ? यदि हां, तो क्या इन गांवों में १९६९-७० में नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दिनांक १ नवम्बर, १९६९ से पूर्व किसी स्थान पर नये नलकूप निर्माण के लिए यह आवश्यक था कि ३०० एकड़ क्षेत्र के किसान नलकूपों पर लागू द्विभागीय उपकर पद्धति की स्वीकृति के फार्म भर कर दें। केवल ग्राम पतैया के निवासियों ने उन दरों की स्वीकृति के फार्म भरे थे और इस वर्ष (१९६९-७०) वहां एक नलकूप लगाना प्रस्तावित है। १ नवम्बर, १९६९ से नलकूपों पर द्विभागीय दरें समाप्त कर दी गई हैं।

नलकूप खण्ड पूर्व बुलन्दशहर के अधिशासी अभियन्ता को गबन सम्बन्धी शिकायत

*९६—श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड पूर्व बुलन्दशहर के अधिशासी अभियंता को वहां के तृतीय खंड के सहायक अभियंता ने १६ मार्च, सन् १९६९ को रुपये ४,७१६.५० के गबन के संबंध में कोई सूचना दी थी ? यदि हां, तो वहां के अधिशासी अभियंता ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पहला भाग—जी नहीं ।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप विभाग जिला जौनपुर के ओवरसियरों के खिलाफ शिकायतें

*९७—श्री उमानाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप विभाग जिला जौनपुर में कार्यरत कितने ओवरसियरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं संबंधी शिकायतें जनता द्वारा जुलाई, १९६९ से दिसम्बर, १९६९ के बीच, अधिशासी अभियंता नलकूप विभाग, जौनपुर तथा नलकूप निदेशक को मिली तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्नगत अवधि में ऐसे कुल चार शिकायती पत्र प्राप्त हुये जिन का संबंध ३ ओवरसियरों से था । इनमें से जांच के उपरान्त दो के विरुद्ध शिकायतें निराधार पाई गईं । तीसरे के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का मामला विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले के बहादुरपुर ब्लाक में नलकूप

१—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहादुरपुर ब्लाक, जनपद इलाहाबाद में कुल कितने राजकीय नलकूप अब तक लग गये और वित्तीय वर्ष १९६९-७० में इस क्षेत्र में और कितने राजकीय नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इलाहाबाद जिले के बहादुरपुर ब्लाक में अब तक ३५ राजकीय नलकूप चल रहे हैं तथा वर्ष १९६९-७० में इस क्षेत्र में ५ और नलकूप लगने की योजना है ।

रामपुर जिले में लालपुर बांध से सिंचाई

२—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में कोसी नदी द्वारा लालपुर बांध से निकलने वाली नहरों से वर्ष १९६०, १९६१ तथा १९६२ के अप्रैल, मई तथा जून में कितने कितने क्षेत्र की सिंचाई होती थी तथा १९६८ तथा १९६९ के इन्हीं महीनों में कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वर्ष १९६०-६१-६२ तथा १९६८-६९ के अप्रैल, मई तथा जून से रामपुर जिले में कोसी नदी द्वारा लालपुर बांध से निकलने वाली नहरों से किये गये क्षेत्रों की सिंचाई का ब्योरेवार वर्णन निम्न तालिका में दिया गया है :—

माह	आबपाशी का प्रत्येक वर्ष का अलग-अलग विवरण (एकड़ में)				
	१९६०	१९६१	१९६२	१९६८	१९६९
अप्रैल ..	१,०११	१,६६३	७०१	१९४	३०७
मई ..	१,०८६	१,५३९	९५८	६९१	१,३२३
जून ..	३९५	४६९	२८३	४९६	१९६
योग ..	२,४९२	३,६७१	१९४२	१३८१	१,८२६

गाजियाबाद तहसील के लिये नलकूप

३—श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में वित्तीय वर्ष १९६९-७० में कितने राजकीय नलकूप लगाने का विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वर्ष १९६९-७० में मेरठ जिले की गाजियाबाद तहसील में कोई नया राजकीय नलकूप नहीं बनाया जा रहा है ।

बलिया जिले में घाघरा के कटाव पर सुरेमनपुर ठोकर की मरम्मत

४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला में घाघरा के कटाव पर सुरेमनपुर ठोकर की मरम्मत और रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में कितने रुपये खर्च किये गये हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस ठोकर की मरम्मत और रख रखाव पर वर्ष १९६८-६९ में रु० ८०,६८४.७० खर्च हुए थे ।

५—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त ठोकर की मरम्मत के लिए उक्त अवधि में कुछ कार्यों के सम्पादन हेतु ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन वस्तुओं के कितनी-कितनी धनराशि के तथा किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग—जी हां ।

दूसरा भाग—इसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११४४–११४५ पर)

धन्यवाद के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का आभार प्रदर्शन संबंधी पत्र

श्री अध्यक्ष—

श्री राज्यपाल जी को धन्यवाद का प्रस्ताव मैंने प्रत्यक्ष दिया । उसके जवाब में उनका पत्र दिनांक ११-३-७० आया है । मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं:—

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके पत्र दिनांक १० मार्च, १९७० के लिए, जिसे आपने श्री उपाध्यक्ष ने, तथा सदन के सचिवों ने स्वयं आकर मुझे भेंट किया, अनुग्रहीत हूं । मैंने विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण २६ फरवरी, १९७० को दिया उसके प्रति विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा की ५ मार्च, १९७० की बैठक में तद्विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करके धन्यवाद की जो अभिव्यक्ति की है, उसे मैंने परम संतोषपूर्वक प्राप्त किया । उसमें निहित भावना के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, जो पत्र यहां से भेजा गया वह क्या सर्वसम्मत कर के लिखा गया था ।

श्री अध्यक्ष—

यह उसमें नहीं लिखा गया था ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, इस संबंध में यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी ओर से यह भी लिखा गया था कि हम लोगों ने उस संबंध में यह कहा था कि वह अवैधानिक कार्यवाही हुई थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह उसमें नहीं लिखा जाता ।

श्री उपाध्यक्ष के साथ सदन में दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में श्री शिवदास के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जो अवमान का प्रश्न उठाया गया था उसके बारे में कल मैंने नेता विरोधी दल, नेता सदन तथा अन्य नेताओं से एक साथ प्रार्थना की थी कि मैं इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं । लेकिन जिनके ऊपर आरोप थे वे नहीं मिले । इसलिये हमने यह निश्चय किया कि उनको १३ तारीख तक का मौका और दे दिया जाय । मालूम हुआ कि वे शायद घर चले गये हैं, मैंने उन्हें सूचना देने के लिए डी० एम० को लिखा है कि उनके ऊपर आरोप है कृपा कर के १३ तारीख के १० बजे तक उसके संबंध में जो कुछ कहना हो कहें । अतः इस प्रश्न को मैं १३ तारीख को रखूंगा । उस निश्चय के अनुसार मैं सदन को सूचना दे रहा हूं कि आज उसके ऊपर चर्चा न होगी बल्कि १३ तारीख को होगी ।

सदन में आपत्तिजनक पर्चे बांटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक और विशेषाधिकार का प्रश्न आया है । किसी ने यहां पर कुछ छपे हुए परचे बांटे और किसी को अपनी टेबिल पर वह पड़ा हुआ मिला । पहले इस विषय में सचिव इंक्वायरी करेंगे । इंक्वायरी करने के बाद ही मैं इस संबंध में फैसला दे सकूंगा क्योंकि अभी यह मालूम नहीं कि यह पर्चा किसने बांटा है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

आप क्या जांच कराने जा रहे हैं यह तो पहले मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

अभी जब पता ही नहीं है किसने बांटा है, तो कैसे उसको ले लूं ?

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

यह किसकी शिकायत है कि पर्चा बंटा और पर्चे में क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक उसके बारे में जांच नहीं कर लूंगा तब तक कैसे बताऊंगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आपने सूचना दी है कि किसी माननीय सदस्य ने आपको अवगत कराया कि यहां पर एक पर्चा बांटा गया है और कोई पर्चा भी आपको दिया। जिन सम्मानित सदस्य ने आपको सूचना दी, उनका तो आपने विश्वास नहीं किया और सचिव से आप जांच करा रहे हैं। मैं मान्यवर, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि क्या यह माननीय सदस्य के अपमान का प्रश्न न होगा कि आपने उनकी बात तो नहीं मानी और सचिव से जांच करा रहे हैं। मैं इस संबंध में आपका संरक्षण चाहता हूं कि कृपा करके इस प्रकार से माननीय सदस्यों का अपमान न किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन माननीय सदस्य से पूछा कि आपने किसी को पर्चा बांटते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं देखा, अगर वह कह देते कि देखा तो मैं उनकी बात को मान लेता। वह कहते हैं कि उस बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम, उन्हें तो पड़ा हुआ मिला। इसलिये जब तक बांटने वाले का पता न लगा लिया जाय तब तक किस प्रकार से कोई ऐक्शन ले लिया जाय क्योंकि सदन के नियमों में यह है कि बिना मेरे पूछे हुए सदन में कोई पर्चा नहीं बांटा जा सकता। इसलिये पहले मैं उसकी इंक्वायरी करूंगा कि वह पर्चा कैसे बंटा।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि सदन में कोई पर्चा बंटा और आप उसकी कागमीजेंस भी ले रहे हैं, जांच भी करा रहे हैं। लेकिन वह पर्चा क्या है उसको आपने पढ़ कर सुनाया नहीं। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बात लिखी हो जिसमें जांच की कोई आवश्यकता ही न हो।

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं यह न समझ लूं कि उसमें सदन का अपमान है, तब तक उसको प्रकाशित करना नहीं चाहता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

किन सज्जन ने शिकायत की है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी कुछ करने वाला नहीं हूं। कल जांच करने के बाद ही कुछ कहूंगा। मैं उनको सैटिसफाई कर रहा हूं। आपका सवाल मैं आज नहीं लेता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

न तो आप माननीय सदस्य का नाम बतला रहे हैं और न यह बतला रहे हैं कि परचे में क्या लिखा है । तो क्या इस गोपनीय इन्क्वायरी को सदन के सम्मुख नहीं लाना चाहिये । सदन के सम्मुख आई चीज गोपनीय नहीं हो सकती है । सेक्रेटरी साहब इन्क्वायरी सारे सदन की करेंगे यह सदन का अवमान है ।

श्री अध्यक्ष—

यह अवमान नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बात समझ में नहीं आती है कि शिकायत करने वाले का नाम नहीं मालूम है और विषय भी नहीं मालूम है लेकिन आपने इन्क्वायरी करने के लिए सुपुर्द कर दी हमारे सचिव महोदय को । वह कैसे इन्क्वायरी करेंगे ? जब यह मालूम न हो कि किस व्यक्ति ने दिया है तो मान्यवर वह किससे पूछेंगे । तो विषय तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं स्वीकृत करूं या न करूं । इसके लिए मुझे जानकारी चाहिये और यह ठीक भी है । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनसे कह दिया कि जांच करूंगा तभी फैसला दूंगा ।

एक सदस्य—

परचे में क्या लिखा है ?

श्री अध्यक्ष—

सदन में बगैर मेरी आज्ञा पैम्फलेट नहीं बांटा जा सकता है तो यह कैसे आया उसके बारे में मैं जानकारी कर रहा हूं । अगर उसमें किसी की बदनामी लिखी है तो मैं उसे यहां पेश नहीं करूंगा । यह मैं सिर्फ इसलिये कहना चाहता हूं कि इस सदन में बंटा, जब तक इस बात की इन्क्वायरी न हो जाय तब तक मैं उसमें क्या लिखा है यह नहीं कहूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री जायसवाल के बाद बोलने के लिए मौका दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

आप बोलिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि उसमें क्या लिखा है लेकिन व्यवस्था दे दी जाय । जब आप इस सदन में उस इश्तहार को ले आये तो क्या आप उसको इस सदन की प्रापरटी नहीं मानते हैं और सदन से आप उसको अलग रक्खेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं उसके ऊपर कोई कार्यवाही करने का आदेश न दूं तब तक सदन की प्रापरटी नहीं होता है ।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । जब आपने एक सवाल पर निर्णय दे दिया तो बार-बार प्रश्न यहां क्यों उठाये जाते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह तय कर लिया जाय कि जब विरोधी दल के लोग व्यवस्था की बात कहते हैं तो उधर से आपत्ति क्यों उठाई जाती है । इसके ऊपर फैसला आप करें । हमको अधिकार है कि हम पूंछ सकते हैं तो फिर महीलाल जी मार्शल बने हैं यह ठीक नहीं है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं इसका एतराज करता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं तो विनम्रतापूर्वक इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं । जरा सा श्रीमन् सोचें कि एक ओर तो किसी माननीय सदस्य ने श्रीमान को यह सूचना दी कि अमुक सज्जन ने इसको बांटा लेकिन स्वयं यह भी कहा कि उन्होंने यह बांटते हुये नहीं देखा ।

श्री अध्यक्ष—

बांटने की बात उन्होंने नहीं कही उन्होंने कहा कि यह पर्चा हमें पड़ा हुआ मिला ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं समझूं, जब कि एक चीज पड़ी हुई मिली तब यह कैसे निश्चय कर सकता है कि अमुक व्यक्ति ने बांटा, फिर कौन सा प्रश्न है इस सदन के सामने । कोई पर्चा यहां बंट भी गया, और किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार से अन्दर आ गया तो उसमें सदन का कहां प्रश्न आ जाता है । यदि श्रीमन, किसी माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि किसी व्यक्ति ने बांटा और उन्होंने इसको नहीं देखा है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब आपके पास यह साक्ष्य तक नहीं है कि किसने बांटा तो सदन के सामने यह विषय कैसे आ सकता है, यह जरा सा बतला दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह चीज जो यहां छेड़ दी गयी है, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है । आजकल अक्सर गेट पर बहुत से सज्जन तरह-तरह के लीफलेट्स लिये हुये खड़े रहते हैं और उजलत में आते समय सदस्यों तक के हाथ में पकड़ा देते हैं । यहां पर आकर कोई आदमी यह कहे कि बांटा मैंने तो जरूर कहे लेकिन माननीय सदस्यों की शान में कोई ऐसा नहीं कह सकता । आपको किसी ने इत्तला दी और आपने एक प्रश्न को छेड़ कर नाहक हैजान पैदा कर दिया । इस जमाने में तो तरह-तरह के लीफलेट्स हमारे खिलाफ, श्रीमान के खिलाफ और गवनमेंट के खिलाफ निकलते रहते हैं । आपने तुरन्त हुक्म दे दिया कि सचिव महोदय इसकी इनक्वायरी करेंगे । इससे तो मुझे बड़ा खतरा मालूम पड़ता है कि इस ढंग से न मालूम आप कहां-कहां इनक्वायरी करावेंगे । आपने फरमाया कि यह यहां पर बंटा है । हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं । मैं अपने अधिकारों की बात नहीं कहता हूं, अपने कर्तव्यों की बात कहता हूं और आपसे

[श्री रामकुमार शास्त्री]

विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि जब आप कोई व्यवस्था की बात कहें, या कोई इनफारमेशन देने की बात करें तो इसका पूरा ध्यान रखें क्योंकि जैसे कोई वकील अपने पक्ष की बात कहते-कहते विरोध पक्ष की बात कहने लगता है, उसी तरह श्री महीलाल जैसे माननीय सदस्य पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ और कहने लगते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में एक स्पोर्ट समैन वाली स्पिरिट में इसको देखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि अभी आपने यह कहा कि जो पर्चा यहां पर बंटा है उसके सम्बन्ध में आप अपने सचिव महोदय से इसकी इनक्वायरी करावेंगे। अगर निश्चित रूप से यहां पर पर्चा बंटा है तब तो वह प्रश्न प्रिविलेज का बनता है और वह प्रिविलेज कमेटी के सामने जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं होगा कि ऐसे विषय को आप इनक्वायरी के लिये अपने सचिव महोदय के सुपुर्द करें। मेरा आग्रह यह है कि आप स्वयं इसकी इनक्वायरी करने की बात करें बजाय इसके कि सचिव महोदय उसकी इनक्वायरी करें।

(व्यवधान)

देवरिया रेलवे स्टेशन पर गांधी प्रदर्शनी ट्रेन देखने वालों पर लाठी चार्ज के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मैं सूचना देता हूं कि देवरिया के रेलवे स्टेशन पर गांधी प्रदर्शनी ट्रेन देखनेवालों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

नियोजन उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

गांधी दर्शन प्रदर्शनी रेलगाड़ी २ मार्च, १९७० को ८.१७ बजे प्रातः देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं० १ पर आई और ३-३-७० को ०.४० बजे उसी प्लेटफार्म से चली गई।

प्लेटफार्म नं० १ पर प्रदर्शनी गाड़ी को देखने के लिये आने वाले लोगों की भीड़ होने की संभावना को ध्यान में रखते हुये उस प्लेटफार्म के उस भाग को जिस पर प्रदर्शनी गाड़ी खड़ी थी, केवल दर्शकों के लिये सुरक्षित रखा गया था। दर्शकगण सुविधापूर्वक प्रदर्शनी देख सकें इसके लिये प्रदर्शनी गाड़ी के प्रवेश द्वार के सामने उचित व्यवस्था की गई थी और प्रदर्शनी देखने के बाद दर्शकों के दूसरे द्वार से बाहर जाने की व्यवस्था थी। स्टेशन पर शान्ति एवं व्यवस्था के लिये समुचित प्रबन्ध किया गया था तथा शान्ति व्यवस्था पूर्णरूप से बनी रही।

पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का न तो कोई अवसर उत्पन्न हुआ और न लाठी चार्ज हुआ। अतः यह कहना सही नहीं है कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिससे एक दर्जन व्यक्ति आहत हुये।

रेलवे कर्मचारियों की भी तथा कथित लाठी चार्ज से घायल होने की बात निराधार है। ज्ञात हुआ है कि रेलवे के तीन टी० टी० आई० प्रदर्शनी गाड़ी पर ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के कारण सक्षम रेलवे अधिकारी द्वारा निलम्बित किये गये।

श्री अध्यक्ष—

अब आबकारी मंत्री जी के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर.....

(व्यवधान)

श्री कृष्णा नन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि वहां पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है और फिर यह कहा है कि अधिकारी निलम्बित कर दिये गये। यह किस प्रकार से हो सकता है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष---

आप तो स्वयं मंत्री रह चुके हैं और इसको आप जानते हैं इसकी क्या प्रणाली होती है।

श्री राम धारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैंने ४ तारीख को एक प्रीविलेज का सवाल आपके सम्मुख दिया था। आपने कहा था कि कल उसका उत्तर दिलवायेंगे। श्रीमान्, वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न का आपने स्वयं कहा था उसको मैं देख नहीं सका हूं।

श्री अध्यक्ष---

वह मेरे घर पर पड़ा रह गया जिसके लिये मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूं। उसका मुझको निर्णय लेना था। बहुत सी किताबें मैंने मंगवाई थीं। उसको कल मैं दे दूंगा।

सदन में आपत्तिजनक पर्चे बांटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, जो पर्चा यहां मिला क्या उसके विषय में कोई शिकायत की गई है? क्या मान्यवर यह भी सही है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का वक्तव्य यहां पर हो चुका है और वह कह चुके हैं कि यह पर्चा गलत है?

(व्यवधान)

एक सदस्य---

जब माननीय अध्यक्ष महोदय इस विषय में व्यवस्था दे चुके हैं तब उसके ऊपर फिर से विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह कह चुके हैं कि जो आरोप हैं वे बिलकुल ही निराधार हैं, गलत हैं। इससे हमारे मंत्री जी के ऊपर आक्षेप भी होता है और उनके काम में बाधा भी होती है। इस पर्चे में मुद्रक का नाम और पता भी दिया है कि स्वदेश प्रेस, लखनऊ में यह छपा है। श्रीमन्, इसमें तो जांच की आवश्यकता ही नहीं रह गई है।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० (क्रमागत)†

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)---

मैं कल आबकारी विधेयक पर, जिसमें माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने संशोधन रखा था उस पर बोल रहा था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† १० मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

[श्री पन्नालाल]

आपने छोटे आदमियों का जिक्र अपने संशोधन में किया था, मगर जहां तक बड़े आदमियों का सम्बन्ध है उनको किसी ने छूआ नहीं है और टच नहीं किया। उनको जानकारी में नहीं रखा गया। उन लोगों की सोसायटी में उनका आना-जाना नहीं रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

शराबखोरों में मेरा आना-जाना कम है।

श्री पन्ना लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से हाउस को यह बताना चाहता हूं कि आज शराब की खपत जितनी बड़े आदमियों में है उतनी छोटे लोगों में नहीं है। बड़े आदमियों के लड़के जितनी शराब पीते हैं उतनी मात्रा में छोटे लोगों के लड़के नहीं पीते हैं। छोटे लोगों में तो शराब पीने की आदत कम होती जा रही है। उनमें से कोई कबीर पंथी हो रहा है तो कोई आर्य समाजी हो रहा है। तो श्रीमन्, उनका नशा तो दूर होता जा रहा है और हम लोगों में जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, शराब का नशा बढ़ता जा रहा है। हमारे एक मित्र थे। वे लाला भाई थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम शराब नहीं पीते हो। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी शराब पी रखी है कि उसी का नशा बाकी है और हम क्या पियें। तो श्रीमन्, शराब का नशा पुश्त दर पुश्त चल रहा है। मेरे मित्र के बुजुर्गों ने शराब खूब पी, मगर उसका नशा उनकी पुश्त में अभी चल रहा है। हम लोग तो कभी शराब नहीं पीते थे। क्योंकि हमारे भाई साहब का इधर ध्यान नहीं गया, इसीलिये कल मैंने कहा था। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर सिर्फ लाइसेंस फीस ली जाती है जबकि मामूली शराब की दुकानें नीलाम होती हैं। इन मामूली दुकानों पर यह पाबन्दी है कि इतनी सप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिये छूट है। वे जितनी सप्लाई करनी चाहें करें और कितने आदमियों को बेचें। सिवाय लाइसेंस फीस लेने के उन पर और कोई पाबन्दी नहीं है। तो मेरा सुझाव यह है कि जैसे देशी शराब की दुकानें नीलाम की जाती है उसी प्रकार से अंग्रेजी शराब की दुकानें भी नीलाम की जायें। देशी शराब तो गरीब लोग ही पीते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है केन्द्रीय सरकार ने इस पर कुछ किया है और टैक्स भी बढ़ाये हैं, मगर जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में है वह नहीं हो रहा है। क्या हम उन दूकानों को नीलाम नहीं कर सकते हैं? यदि हम उन दूकानों को नीलाम करते हैं तो हमारे पास शायद ज्यादा पैसा आयेगा और सरकार की पूंजी बढ़ेगी। जो व्यक्ति १०० रु० की बोतल खरीद सकता है वह ११० रु० भी दे सकता है। जो पैसे की कमी देशी शराब की दुकानों से होगी वह अंग्रेजी शराब की दुकानों से पूरी हो जायगी। मान्यवर, मुझे यह भी कहना है कि आज तो सभी पार्टियां सोशलिज्म का नारा, समाजवाद का नारा लगा रही हैं। गांधी जी की दुहाई भी सभी लोग दे रहे हैं। यहां तक कि हमारे जनसंघ पार्टी के भाई भी गांधीजी के चरणों में कुछ सीख रहे हैं। बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि वे सीख तो रहे हैं। देर आयद दुरुस्त आयद।

तो मेरा निश्चित सुझाव है कि आप अंग्रेजी शराब की दुकानों को नीलाम करें और उनसे जो पैसा आये वह गरीबों में बांटा जाये। गांधी जी का समाजवाद यही है कि हम बड़े आदमियों को बढ़ायेंगे नहीं और न ही गरीब आदमियों को जलायेंगे। समाजवाद एक नुस्खा है। बड़े आदमियों पर जब चर्बी बढ़ जाती है तो उनको जुलाब दिया जाता है ताकि उनकी चर्बी घट जाय, उनका मुटापा कम हो जाय और उनका शरीर सुडौल हो जाय। गरीब आदमी जब अपना खून खो देता है और उसके हाज्मे की शक्ति क्षीण हो जाती है तो वैद्य लोगों द्वारा उसको चूरन दिया जाता है ताकि उसका हाज्मा दुरुस्त हो जाय। अगर शराब छोड़ने की आदत बड़े आदमियों में बढ़ जायगी तो उनकी तन्दुरुस्ती भी ठीक हो जायगी। यह समाजवाद बड़ा ही सुन्दर नुस्खा है। बड़े आदमियों में भांति-भांति की बुराइयां हैं। वे शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अंग्रेजी शराब की दूकानें भी नीलाम की जायें। सरकार को इस ओर

कदम उठाने चाहियें, जो अभी तक नहीं उठाये जा रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके द्वारा सरकार तक यह बात पहुंच जाय कि इनको नीलाम करें। इन बातों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री माधव प्रसाद जी के द्वारा रखे गये संशोधन का समर्थन करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजा जाय। अध्यक्ष महोदय, पिछले छः महीनों के अन्दर एक्साइज विभाग ने, नेपाल से जो भांग और गांजे का तस्कर व्यापार होता है उसको पकड़ा है। आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि लगभग ५ लाख का गांजा मुट्ठीगंज (इलाहाबाद) के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी द्वारा नेपाल से तस्करी द्वारा लाया गया और वह छापा मार कर पकड़ा गया। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वह गांजा उसी व्यापारी को रिलीज कर दिया गया और कोई मुकदमा उस पर नहीं चला। श्रीमन्, न केवल इलाहाबाद में ही बल्कि अन्य जगहों पर भी बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापारी गांजा लाते हैं, जिससे कि प्रदेश का काफी नुकसान होता है। इस तस्करी के व्यापार से बड़े-बड़े व्यापारी और राजनीतिक दलों के लोग सम्बन्धित हैं। मेरा यह सुझाव है कि इसकी सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन से जांच कराई जाय और सोचा जाय कि किस प्रकार इस तस्करी के व्यापार को रोका जा सकता है। मान्यवर, दिल्ली में जनसंघ का प्रशासन है और वहां श्री विजय मलहोत्रा प्रमुख हैं। उन्होंने पटना सम्मेलन में बतलाया कि विदेशी शराब का लाइसेंस जो दिया जाता है उसकी फीस एक लाख रुपया है और ७० दुकानों से ७० लाख रुपया मिलता है। इसको बन्द करना तो मुश्किल है लेकिन उन्होंने बतलाया कि इस रुपये से झुग्गी वालों के लिये फ्लेट्स बना दिये हैं। इस प्रकार यहां भी जो तस्करी का माल पकड़ा जाता है और जो विदेशी शराब के लाइसेन्स से आमदनी होती है उससे गरीबों के लिये, हरिजनों के लिये मकान बनवाने का प्रबन्ध करें।

अन्तिम बात यह है कि यह सही बात है, जैसा माननीय पन्ना लाल जी ने कहा कि बड़ी मात्रा में उच्च वर्ग के लड़के शराब पीते हैं और उसे रोकने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है। अभी श्री पन्ना लाल जी ने एक बात और कही कि जनसंघ के लोग गांधी जी के चरणों में बैठने लगे हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि जनसंघ में ऐसे लोग हुये जिनका सम्बन्ध ऋषि परम्परा से था और इसी परम्परा में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने हमें प्रेरणा दी और हम गांधी जी का प्रातःकाल स्मरण करते हैं। लेकिन अगर मंत्री जी जांच करवायें तो अनेक केन्द्र के मंत्री और राज्य के मंत्री और सम्भवतः उसी तरफ के होंगे जिसे इंडीकेट कहते हैं जो शराब पीते हैं। यह बात छिपी नहीं है। डा० सुशीला नैयर ने, जो यहां से चुनी हुई सदस्या हैं, कहा कि अगर मद्य निषेध नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल करूंगी। मैं चरणसिंह जी और कमलापति त्रिपाठी के सहयोगियों से प्रार्थना करूंगा कि वे खोजबीन करें कि ऐसे कौन से मंत्री हैं प्रदेश के अन्दर जो शराब पीते हैं। जो स्वयं शराब पीते हैं, वह शराबबंदी का नारा नहीं लगा सकते। माननीय गांधी जी की बात कही जाती है तो गांधी जी किसी एक दल के नहीं, राष्ट्र के हैं। वह राष्ट्र के हैं और पन्नालाल जी को यह जान कर हर्ष होना चाहिये कि गांधी जी को एक राष्ट्र पुरुष मानते हैं और प्रति दिन प्रातः उनका स्मरण करते हैं। इसलिये आप यह न कहा करिये कि देर आयद दुरुस्त आयद। आप स्वयं उनके पद चिन्हों पर चलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसलाल (जिला बाराबंकी)---

आपने मत विभाजन कराया और वायस वोट से फैसला दे दिया कि 'न' की संख्या अधिक है और वह चैलेन्ज भी नहीं हुआ। इसलिये आपका जो निर्णय था वह पारित हो गया और अब उसको खोला नहीं जा सकता।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)---

श्रीमन्, जहां तक मद्यनिषेध का सवाल है इसमें कोई दो रायें नहीं कि मद्यनिषेध होना चाहिये लेकिन इस सूबे की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये सरकार फैसला करेगी। अभी जो प्रस्ताव यहां उपस्थित है और उसमें जो संशोधन का प्रस्ताव है मैं उसका विरोध करता हूं। इसमें संदेह नहीं कि आज इस सारे प्रदेश में और खासतौर से देहात के इलाके में कच्ची और नाजायज शराबें बड़े व्यापक तौर पर बेची जा रही है.....

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

व्यवस्था का प्रश्न है। लगता है कि जिस अधिनियम पर विचार हो रहा है उसको देखें तो इसमें दिया हुआ है:

"यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० की धारा २८ तथा ४६ में राज्य सरकार को आबकारी वस्तुओं पर ऐसी दर से आबकारी शुल्क लगाने का अधिकार है जो राज्य सरकार समय-समय पर निदेश करे। इन धाराओं के अन्तर्गत आबकारी शुल्क की न तो कोई अधिकतम सीमा नियत थी और न ऐसे सिद्धान्तों का कोई निदेश था जिनके आधार पर राज्य सरकार आबकारी शुल्क की दरें निर्धारित करती। हाल ही में उच्च न्यायालय में लगभग ९० समादेश याचिकायें दायर हुई जिसमें आबकारी से संबंधित अन्य बातों के अतिरिक्त उक्त धाराओं में राज्य सरकार को दिये गये आबकारी शुल्क के लगाने के अधिकार को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि उक्त धाराओं में विधान मंडल ने शासन को बिना किसी उचित पथ प्रदर्शन, निर्बन्धन तथा सीमा के कर लगाने का अधिकार दिया है और इस प्रकार वह अत्यधिक प्रतिनिधान (एक्सेसिव डेलीगेशन) है। यदि यह तर्क स्वीकार हो जाता तो राज्य सरकार को आबकारी राजस्व में भारी हानि होती। अतएव, इस बात को संदेह से परे करने के लिये उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६९ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ८, १९६९) प्रख्यापित कर के आबकारी शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है और यह व्यवस्था भी की गई है कि राज्य सरकार उक्त अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुये शुल्क निर्धारित करते समय संविधान के अनुच्छेद ४७ के निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से यह विधेयक तदनुसार प्रस्तुत किया जाता है।" इसमें साथ ही साथ आप यह भी देखें कि मूल धारा २८ का संशोधन प्रस्तावित है कि "धारा २८ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय और सदैव से पुनः संख्यांकित समझी जाय और उसके बाद एक नई उपधारा जोड़ दी जाय कि राज्य सरकार, उपर्युक्त उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) या प्रति शुल्क (काउन्टरवेलिंग ड्यूटी) आरोपित करने में और उसकी दर निश्चित करने में भारत के संविधान के अनुच्छेड ४७ में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी।" मेरा निवेदन है कि जितने भाषण हो रहे हैं वे सब असंगत हैं. बगैर भाषण के ही इसे पास कर देना चाहिये था। किसी का ध्यान नहीं गया इस ओर। यह राजस्व का मामला था इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिये थी। मैं क्लोजर मूव करता हूं और यह बिना आगे विवाद के पास कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

एक बात उन्होंने बहुत ठीक कही कि यह जो भाषण में व्यापक कर दिया गया है वह नहीं होना चाहिये था, मेरी समझ में यह पहले ही आ गया था मैंने बातचीत भी की लेकिन यह भाषण

शुरू हो गये थे, सब कल से बोलते चले जा रहे थे। इसमें जो उनका संशोधन था उसमें यह था कि इस को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो, तो चूंकि परिधि बढ़ाने का अधिकार शामिल हो गया और उस वक्त मेरे पहले उपाध्यक्ष जी बैठे थे उन्होंने इस परिधि की वजह से ही बोलने की परिधि में भी छूट दे दी, अब वह इजाजत हो गई थी लेकिन आपने ठीक कहा तो अब मैं समझता हूं कि बहुत संक्षेप में और जो बोल रहे हैं वह समाप्त कर ले उसके बाद मैं क्लोजर की राय लिये लेता हूं। चूंकि बीच में यह सवाल आया है इसलिये श्री भारत सिंह समाप्त कर लें।

श्री भारत सिंह चौहान--

मैं भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आपको धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह संशोधन मैंने कल प्रस्तुत किया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि इस संशोधन पर विचार व्यक्त करते समय हमारे माननीय सदस्यों ने इस विषय के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। हमारा दुर्भाग्य है कि किसी कारणवश माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं थे अगर रहे होते तो उनको भी यह मालूम हो जाता है कि कितनी बात ऐसी हैं जिन पर अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है, जो विचारणीय विषय है और जिस पर उनकी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अभी मैंने पढ़ा शायद माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधान परिषद् में भाषण दिया है कि बावजूद इसके कि विभाग से इतनी आय होती है लेकिन हम सोच रहे हैं कि पूरा प्राहिबिशन कर दें। अगर गलत हो तो मुख्य मंत्री जी ठीक कर दें।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

गलत नहीं है, आधा सही है। मैंने कहा था कि धीरे-धीरे हम पूरे प्राहिबिशन की ओर जाने की कोशिश करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर यह धीरे-धीरे की राजनैतिक भाषा बोलते हैं तब तो इतने से हमें सन्तोष नहीं है लेकिन अगर धीरे धीरे का मतलब यह है कि इसका प्रथम चरण वह इसी वर्ष आरम्भ कर देंगे तो हमें सन्तोष होगा। इस पर वह २ शब्द कह दें तो मैं आगे बढ़ूं। वह बतायें कि इस दिशा में प्रारम्भिक कदम कब आरम्भ होगा। प्रवर समिति का जो मन्तव्य था वह अब पूरा हो गया है। एक बात अब अवश्य कहूंगा।

सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

बड़े आदमियों को तो छोड़ दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इन्होंने कहा कि बड़े आदमियों को तो छोड़ दिया लेकिन छोटे आदमियों के बारे में क्या हुआ। इसके २ पहलू हैं। उस क्षेत्र की तो मुझे बहुत कम जानकारी है, कभी-कभी जाना होता है, उन्हीं को ज्यादा जानकारी होगी। मेरा कहना यह है कि अगर किसी के पास ५० रुपये हैं, वह भी पीता है तो बुरा करता है। अगर उसके पास रुपया है तो उसका सदुपयोग हो तो ज्यादा अच्छा है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मेरी कठिनाई यह है कि जब बड़े आदमियों के बारे में कोई बात करता हूं तो कहा जाता है कि छोटे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा और अगर छोटे लोगों के बारे में कहता हूं तो कहा जाता है कि बड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं इस समय केवल माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक्साइज विभाग पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है और ऐसे ही अवसर आते हैं जबकि आपको मौका मिलता है कि पूरा हाउस सारे पहलुओं पर विचार करें और तदनुसार संशोधन करे या संशोधन लाये। यह बहुत ही पुराना ऐक्ट है। इसमें परिवर्तन करना या इस पर संशोधन लाना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक दृष्टि से, रेवेन्यू की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि सदन इस पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

(श्री बलबीर सिंह जी के खड़े होने पर)

*श्री चरण सिंह---

इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी से शत प्रतिशत सहमत हूं। शराब पीने से हमारे बहुत से घर बिगड़ते हैं गरीबी बढ़ती है, स्वास्थ्य खराब होता है और भी खराबियां पैदा होती हैं जिनसे हमारे समाज की नैतिकता का जो स्टैन्डर्ड है, वह गिरता है। इसमें इधर के बैठने वालों और उधर के बैठने वालों में कोई मतभेद नहीं है। अब सवाल केवल यह है कि कम्पलीट प्रोहिबिशन किया जाय या न किया जाय और अगर किया जाय तो कैसे किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह कम्पलीट प्रोहिबिशन एक हमारा आदर्श है लेकिन प्रश्न यह है कि वह कैसे पूरा हो। मेरे विचार में अगर किसी मुल्क में कोशिश हुयी तो वह केवल यू० एस० ए० में हुयी। बहुत रुपया खर्चा किया और कई साल तक कोशिश की लेकिन अन्त में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कम्पलीट प्रोहिबिशन यानी पूरी तरह से मद्यनिषेध करना मुमकिन नहीं है और उन्होंने अपनी वह नीति छोड़ दी। एक या दो प्रदेशों में हमारे यहां पर भी कोशिश की गयी, बम्बई और मद्रास, में, लेकिन उनके अनुभव क्या हैं, उनको भी हमें दृष्टि में रखना है। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये अपने दोस्तों की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि उनसे मश्विरा करके ही हम इस सिलसिले में कोई नीति बनाने का विचार रखते हैं कि जिससे हमारे सब के उद्देश्य पूरे हो जायं।

एक सदस्य---

कब तक यह होगा ?

श्री चरण सिंह---

जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अब आप जल्द से जल्द का मतलब पूछेंगे इससे मेरा मतलब है कि ऐसी कोशिश करेंगे जिसमें देर न हो (हंसी)। मेरे मित्र सहमत होंगे कि इस समय इसे प्रवर समिति में भेजकर सारी नीति पर विचार हो, मैं समझता हूं कि इसका मौका नहीं है। फिर कभी इस इसलिले में बात कर लेंगे।

एक सदस्य---

टोटल प्रोहिबिशन के बारे में आप कितना समय लेंगे ? यह तो बता दीजिए कि एक साल लेंगे, २ साल लेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, इस पर वोट करा लें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३, ४, ५, १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये, और तदधीन किये गये कतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम

२--यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २८ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय और सदैव से पुनः संख्यांकित समझी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं और सदव से बढ़ायी गयी समझी जायं, अर्थात्-- — धारा २८ का संशोधन

"(२) राज्य सरकार, उपर्युक्त उत्पादन-शुल्क (एक्साइज डयूटी) या प्रति-शुल्क (काउन्टरवेलिंग डयूटी) आरोपित करने में और उसकी दर निश्चित करने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद ४७ में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी ।

(३) ऐसा शुल्क एतद्पश्चात् उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगा :

(ए) धारा १२ (१) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति शुल्क :--

पद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
१	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	२० रुपये प्रति लीटर
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो; और शोधित स्प्रिट--	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	२ रुपय प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा रासायनिक विनिर्मि-	१५ रुपये प्रति लीटर

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
	तियों को छोड़कर) ।	
	(सी) वाइन	८ रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियों जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधियों तथा भेषजों को छोड़कर)	७० रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन बिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अयन्था उल्लेख न किया गया हो ।	६० रुपये प्रति लीटर अलकोहल
३	गांजा	३०० रुपये प्रति किलोग्राम
४	भांग	१४ रुपये प्रति कि०ग्रा०
	(बी) धारा १३ के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क:—	
१	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर) ।	०.७० पैसे प्रति लीटर अलकोहल
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो (बियर को छोड़कर) ।	०.७० पैसे प्रति लीटर अलकोहल
३	भारत में यवासवित बियर	०.२० पैसे प्रति लीटर
४	गांजा	१५० रुपये प्रति कि०ग्रा०
५	भांग	४ रुपये प्रति कि० ग्रा०
	(सी) परिवहन किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क—	
१	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	२० रुपये प्रति लीटर
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	२ रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर) ।	१५ रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	८ रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर) ।	७० रुपये प्रति लीटर

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	६० रुपये प्रति लीटर अलकोहल
३	गांजा	३०० रुपये प्रति कि० ग्राम
४	भांग	१४ रुपये प्रति कि० ग्राम

(डी) धारा १७ के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित, कर्षित या संगृहीत उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क—

१	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	२० रुपये प्रति लीटर
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो; और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	२ रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	१५ रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	८ रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्य जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	७० रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	६० रुपये प्रति लीटर अलकोहल
३	गाँजा	३०० रुपये प्रति किलो ग्राम
४	भांग	१४ रुपये प्रति किलो ग्राम

(ई) धारा १८ के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवानी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क:—

१	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)।	२० रुपये प्रति लीटर
२	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो; और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	२ रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	१५ रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	८ रुपये प्रति लीटर

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर) ।	७० रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।"	६० रुपये प्रति लीटर अल्कोहल

धारा ४६ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४६ में द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात :—

"ऐसा शुल्क प्रत्येक छिद्रित वृक्ष पर या उस वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाय, कर द्वारा लगाया जायगा, और इसकी दर धारा २८ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये निश्चित की जायगी और प्रति वृक्ष एक वर्ष या उसके भाग के लिये साठ रुपये से अधिक न होगा ।"

वैधीकरण

४—किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किसी शुल्क का आरोपण, लगाया जाना या वसूल किया जाना या तात्पर्यित आरोपण लगाया जाना या वसूल किया जाना, व उसके संबंध में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत, विशेतया, मूल अधिनियम की धारा २८ या धारा ४६ के अधीन जारी किया गया या की गयी या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई अधिसूचना भी शामिल है, वैध तथा प्रभावी समझे जायेंगे, व सदैव से वैध तथा प्रभावी समझे जायेंगे, मानो ऐसा आरोपण, लगाया जाना या वसूल किया जाना अथवा ऐसा कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया हो या की गयी हो, और तदनुसार :—

(क) ऐसा शुल्क आरोपित करने, लगाने या वसूल करने के संबंध में राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी कृत्य, की गयी सभी कार्यवाहियां या किये गये सभी कार्य, सभी प्रयोजनों के लिये, विधि के अनुसार किये गये समझे जायेंगे और सदैव से समझे जायेंगे ;

(ख) किसी ऐसे शुल्क के प्रतिदान के लिये किसी न्यायालय म, या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां न तो ली जायंगी और न जारी रखी जायंगी; और

(ग) कोई भी न्यायालय कोई ऐसी डिक्री या आदेश, जिसमें किसी ऐसे शुल्क के प्रतिदान का निदेश किया गया हो लागू नहीं करेगा ।

५—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीअरण) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । — उ० प्र० अध्यादेश संख्या ८, १९६९ निरसन

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई संशोधन नहीं है, अतः मैं सब खंडों को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०†

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धम की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय । मान्यवर, यह विधेयक बहुत साधारण और नन्हा सा है । इसको लाने की आवश्यता इसलिये पड़ी कि इस संबंध में जो अधिनियम, १९६५ का था उसकी धारा ३ संविधान के अनुच्छेद १४ के विपरीत थी । कानून की निगाह में हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन इस धारा के अनुसार सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी बकायादार से वसूली मालगुजारी के बकाये की तरह से करे या चाहे तो उसकी वसूली दीवानी में मुकदमा दायर करके करे । हाई कोर्ट ने तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस धारा को अवैध घोषित किया है । इसलिये सब के लिये एक समान नीति अपनाने की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है । आशा है माननीय त्रिपाठी जी अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे और इसे पास हो जाने देंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) ।

मान्यवर, यह बात सही है कि जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कठिनाई बताई है और हाईकोर्ट का जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिये और वह संशोधन लाया गया है, उचित है । लेकिन जैसा अन्य संशोधनों के बारे में मैंने कहा, वैसा इसके बारे में भी कहता हूं बहैसियत वकील, बहैसियत मुवक्किल और काश्तकार के। इस कानून के कारण मैंने अनेक जगह पर कठिनाइयां देखीं उसी को सरकार के सामने रखना चाहता हूं और इसके सिवा कौन अवसर आयेगा जनता की तकलीफों को सरकार के सामने रखने का । मैं उनसे बात भी करने जाऊं तो दो मिनट से अधिक की उनको फुरसत नहीं मिलेगी । तो आखिर कैसे उनका ध्यान आकर्षित किया जाये कि आज समाज को इसके कारण कितनी कठिनाइयों झेलनी पड़ रही हैं । अभी मैं उनकी कठिनाईयों को अवश्य सदन के सामने और सरकार के सामने रखूंगा फिर उचित समझूंगा तो भले ही इसे वापस ले लूंगा । लेकिन कठिनाई सुनकर कोई इसका निराकरण हो, मुख्य मंत्री महोदय, इसके बारे में विचार करें कि इसके अन्तर्गत पेश कठिनाइयों से जनता अधिकारियों से अधिकाधिक त्रस्त है । पहली बात तो रह है कि दुखी आदमी दीवानी अदालत में जायेगा । सही बात होगी, उसका केस वकील के द्वारा सामने रखा जायेगा, उसको न्याय उसको न्याय दिलाने का

---

†२६ फरवरी, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

प्रयत्न किया जायेगा । एक अदालत वहां पर बैठती है, जो निष्पक्ष रूप से बिना सरकारी और असरकारी पक्ष में विभेद किये हुए अपना फैसला देती है, जिससे लोगों को राहत मिलती है । फंस गया तो किस्मत को अपनी कोसेगा । किन्तु आज आप यह करने जा रहे हैं कि मालगुजारी की तरह से उसको वसूल करेंगे । यह कोअर्सिव मेजर है, दबाव और तकलीफ के जरिये वसूल करने का तरीका है। जो कि उसके सारे सामान को नीलाम आदि करने का तरीका एडाप्ट करेगी । इस सदन में अनेक बार इस तरह के सवाल आये कि किसी आदमी ने पांच सौ रुपया इंडस्ट्री के लिए लिया और ७ सौ रुपया उसके नाम लिख दिया गया और यह भी है कि लेने वाला कोई दूसरा है किन्तु हस्ताक्षर उसके हैं, इसलिये उससे जबरन वसूल किया जा रहा है बिना कुछ देखे समझे । आप मालगुजारी की तरह वसूल कर रहे हैं, अब उसे अदालत में जाने की जरूरत नहीं है । उसको अधिकार नहीं रह जाता है । वह कह रहा है कि मेरे दस्तखत नहीं है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा और उससे जबरिया वसूल लिया जायेगा। ।

मैं इस संबंध में अपने यहां का एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो स्मरण आ गया । श्री राम अनन्त पुत्र राम प्रसाद, साकिन ग्राम कुड़ी के ऊपर ५ सौ रुपया की खाद लेने की आज्ञा जारी हो गई कि वसूल किया जाये । उसके पास ५ बीघा जमीन-खेती है । वह कहता है कि मैंने खाद नहीं ली और मैं इतनी खाद लेकर क्या करूंगा मेरे पास तो कुल ५ बीघा जमीन है । उसने कहा बांड दिखाओ । उससे मालूम हुआ कि उसमें अमुक अमुक गवाह व्यक्तियों के दस्तखत हैं और पटवारी ने उन्हें तस्दीक किया है । इस पर उन गवाहों को बुलवाया गया और उन्होंने कहा यह मेरे दस्तखत नहीं हैं । इस पर पटवारी को बुलाने की आवश्यकता पड़ी । किन्तु आज तक पटवारी हाजिर नहीं हुआ, लेकिन उससे ५ सौ रुपया वसूल होने लगा है। अब उसको या उसके ऐसे हजारों गरीबों के पास इतना रुपया कहां है कि वह हजारों रुपया लगाकर कोर्ट में जाये, वह कहां से कोर्टफीस लगाये । फ्री होता तो वह जाता । इससे अब उसको इंसाफ नहीं मिलता है । आपकी सरकार ऐसे व्यक्तियों से रुपया वसूल लेगी जिनको कोर्ट में जाने की शक्ति नहीं है । यही हाल तकावी का है । ऐसा ही हाल मेरे यहां का है । मेरे भाई ने ४७ रुपया दे डाला । उसके नाम ४७ रुपया बकाया का निकला बताया गया है । रियासत ने लिया बांसी से । बांसी वाले ने अदा कर दिया लेकिन उसी कीमत की खाद हरैया से ली गयी । मैं उसमें था । मैंने कहा कि बांड दिखाओ । आज तक बांड सामने नहीं आया । ये मुसीबतें बड़े आदमी पैसा देकर झेल लेंगे । लेकिन छोटा आदमी क्या करे ? आप कानून में संशोधन करने जा रहे हैं । आपके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आयी हैं । लाखों आदमी इससे त्रस्त हैं । एक मर्तबा अदायगी कर देते हैं तो खारजा और दाखिला होता है, वह भी मुनासिब तरीके से नहीं लिखा जाता । दोबारा वसूल होने लगता है । नीलाम से वसूल हो जायगा । कैसे वापस करवायें ? पांच पैसे वापस करवाने के लिए पांच वर्ष और पचास रुपया लग जायें । कोई सुनने वाला नहीं । पैसा दीजिये तब पहुंच जाइये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गरीब जनता को राहत दीजिये कुर्क अमीनों से, ग्रामसेवकों से, इंडस्ट्री के इन्सपेक्टरों से जिनको लोकधन बांटने को देते हैं ।

बहुत से लोग खाद नहीं लेना चाहते इसलिये दस रुपये की खाद लेंगे और सौ रुपये लिख दिया जायगा । दस रुपये की खाद ली, १०० रुपये बांड में लिख देंगे और ९० रुपये की खाद दूसरे को बेंच देंगे । तीन वर्ष के बाद उसी गरीब से १०० रुपये वसूल किये जायें । सबसे आसान तरीका यह है कि मालगुजारी की तरह वसूल किया जाय । जांच-पड़ताल की जरूरत नहीं । तहसीलदार के पास रिकवरी स्लिप पहुंच जाय और फौरन कुर्की नीलाम जारी कर दिया । ऐसे बहुत से मामले हैं । हम क्या करें ? अगर प्रवर समिति का प्रस्ताव सामने न लायें तो मिनिस्टर तो समय देने के लिए तैयार नहीं होंगे

कि हमसे आकर बात कीजिये । चिट्ठी भेजी जाती है तो जल्दी जवाब नहीं मिलता । बहरहाल, वह दूसरा सवाल है । आज गरीब के लिए सरकार क्या राहत दे रही है ? उन्हीं कारणों से मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा है । मैं अब अच्छी तरह से जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कष्ट मालूम है । यह दूसरी बात है कि खेती की ऐक्चुअल बर्किंग से दूर हो गये हों । लेकिन माननीय सदस्यों को निश्चित मालूम होगा, कष्ट बढ़ता जा रहा है । इसके अलावा कोई दूसरा तरीका निकालिये जिससे यदि किसी को शंका हो, आवश्यकता हो, तो उस अधिकारी के पास जाय । वह देखेगा और निर्णय करेगा । मान लीजिये हम कहते हैं कि कोई कहता है कि हमारा अंगूठा नहीं है तो उससे कहा जाता है कि तुम साबित करो वह रुड़की भेजे जहां ढाई सौ रुपये से कम नहीं लगता । गरीब आदमी न रुड़की को भेज सकता है, न वकील को कर सकता है । बर्डेन आफ प्रूफ उसी आदमी पर आ जायगा । आप वह कीजिये केवल पटवारी शिनाख्त करेगा । पटवारी की तनख्वाह से कटने लगे । मैं इतनी जल्दी में तरीका नहीं बता सकता । मैंने गरीब आदमी के कष्ट को रखने के लिए ही यह प्रस्ताव किया है । यह इधर या उधर का प्रश्न नहीं है । बड़ा गहन प्रश्न है । इससे जनता त्रस्त है । लोग सरकारी कर्जा लेने से हिचकते हैं, पता नहीं कितना लिखा कर वसूल कर लें । इसलिए प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें तो इसकी परिधि भी बढ़ा सके ।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो माननीय त्रिपाठी जी से मुझको एक शिकायत है । जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि उन्होंने दो बार यह कहा कि किसी मंत्री को फुरसत नहीं है उनसे बात करने की । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस मंत्री ने उनसे बात करने से इंकार किया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने कहा कि मंत्रियों को फुरसत नहीं है । एक मंत्री को मैंने लिख कर दिया मगर उनका उत्तर नहीं मिला । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता पर्सनल बात हो जायगी । मैं पर्सनल होना नहीं चाहता ।

श्री चरण सिंह--

वाकई मुझे इस बात से तकलीफ है कि आप चाहते थे और वह नहीं मिले । जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं जब भी वह चाहें मंत्रियों से मिल सकते हैं और खासतौर से जो मुख्तलिफ पार्टी के नेता हैं, अगर वह किसी सार्वजनिक प्रश्न पर बातचीत करने के लिए आते हैं तो हमें उनसे बात करने में खुशी होती है । हम उनके सुझावों का स्वागत करते हैं और करेंगे । सिर्फ सवाल यह है कि अब तक कि असेम्बली चल रही है और हर तरफ से मिनिस्टरों के वक्त पर प्रैशर है तो उस वक्त नीति प्रश्न पर विचार-विमर्श नहीं हो सकता । वह तो कभी बाद में सहूलियत के साथ होगा । विचार-विमर्श हो तो उसमें एक घंटा लगे दो घंटा लगे । उसके लिए पहले से नोट हो और पहले से आप लिखकर भेजें तब उस पर विचार करें, अपने विशेषज्ञों से राय लें तब कहीं वह विचार हो सकता है । १,२ मिनट या १० मिनट किसी को फुरसत मिल गई तो उससे काम नहीं होता है । इसलिये मैं उस शिकायत को नाजायज समझता हूं ? बाकी जो बातें त्रिपाठी जी ने कहीं हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूं ।

यह जो कानून बनाया गया है यह जो गवर्नमेंट के देय, टैक्स हैं उनको वसूल करने के लिए बनाया गया है । वे टैक्स दो तरह से वसूल हो सकते हैं । एक तो अदालत में बाकायदा दावा करके यानी रेगुलर सूट से और दूसरे सरसरी तरीक से मालगुजारी की तरह ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

जो शिकायत है वह तकावी और फरटीलाइजर की है। जो और टैक्स बाकी हैं उन सब के लिए असेसी को अपील करने का मौका मिलता है। उस डिपार्टमेंट के सामन, उसके अफसर के सामने, अदालत के सामने और हाईकोर्ट के सामने जाने का अवसर होता है तब वह टैक्स फाइनल होता है। मसलन सेल्स टैक्स है। उसकी बहुत लम्बी प्रोसीडिंग चलती है। वह सब जाब्ते की कार्यवाही हो जाने के बाद वह टैक्स फाइनल होता है।....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे इससे शिकायत नहीं है।

श्री चरण सिंह—

आपको शिकायत तकावी से है। फर्टीलाइजर की भी तकावी है। उस तकावी के वसूल करने में धांधली है लेकिन जैसा आपने बताया ऐसी धांधली नहीं है। जिस तरीके से वह दर्ज की जाती है उसमें गलती होती है, उसमें गैरईमानदारी होती है। इसमें आपको शिकायत है तो फिर आपकी शिकायत बहुत महदूद हो गई....

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं देख रहा हूं कि यह जो चौधरी साहब के पीछे वाली खिड़की का दरवाजा है उसमें चौन्धियापन आ रहा है तो उसको बन्द कर दिया जाय। चौधरी साहब की शकल मुझे दिखाई नहीं देती है।

(मार्शल ने उस खिड़की को बन्द कर दिया।)

श्री चरणसिंह—

आप मेरी शकल से चौन्धिया रहे हैं या खिड़की की रोशनी से यह मुझे पता नहीं लेकिन यह आपका प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हुआ। मैं यह अर्ज कर रहा था कि अनेक गवर्नमेंट ड्यूज हैं। वह सब मालगुजारी की तरह से वसूल होते हैं। तो उन सब के मुताल्लिक आपको शिकायत नहीं है। शिकायत तकावी के मुताल्लिक है। तकावी भी इस किस्म की बहुत बड़े पैमाने पर लाखों-करोड़ों आदमियों को १०,२० वर्ष से दी जाने लगी है। पहले जो तकावी दी जाती थी वह केवल १८८२,१८८३ के मुताबिक अग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिये होती थी। छोटी-छोटी तकावी फार्टिलाइजर, बीज, इंसेक्टिसाइड के सिलसिले में ली जाती हैं। मैं त्रिपाठी जी से सहमत हूं कि इसमें बहुत बार गलती होती है और गलत आदमी से वसूली होती है। लोगों को शिकायत होती है कि यह ऋण हमने नहीं लिया और फरजी दस्तखत अथवा अंगूठे के निशान हैं। इसको कैसे रोका जाय इस पर हम सबको बैठ कर विचार करना है और माननीय मित्र कोई रास्ता बतलायें तो मैं उस पर विचार करूंगा। लेकिन यह रास्ता हो नहीं सकता कि हर मामले में सरकार नालिश करे। करोड़ों आदमी पर नालिशें हो जायंगी और फिर कोई काम चल नहीं सकेगा। (व्यवधान) लिहाजा जो गलतियों के रास्ते हैं उनको हमको प्लक करना है इसके लिये मैं तैयार हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस आश्वासन देने के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा संधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, ४, ५, ६ तथा १

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २५, १९६५ का संशोधन

२—लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ की धारा ३, दिनांक ४ दिसम्बर, १९६५ से, निरस्त की जाती है और इस परिष्कार के साथ पुनः अधिनियमित की जाती है कि—

(१) उपधारा (१) में शब्द "तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" निकाल दिये जायें ।

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(३) उपर्युक्त प्रकार की देय किसी धनराशि की वसूली के लिए उप-धारा (१) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से—

(क) राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी, स्टेट बैंक आफ इंडिया या किसी अन्य अनुसूचित बैंक के हक में किसी बंधक, भार या किसी गिरवी के संबंध में उक्त व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं समझी जायगी और न किसी अन्य अधिकार या प्रत्युपाय पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी अनुबन्ध के संबंध में की गयी क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने पर रोक नहीं समझी जायगी और न किसी अन्य अधिकार या प्रत्यपाय पर प्रभाव पड़ेगा ।"

कतिपय दशाओं में दीवानी वाद पर रोक

३—(१) (क) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, चाहे वह संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व पारित किया गया हो या उसके पश्चात्, भारित, आरोपित या संगृहीत किसी कर, उपकर, शुल्क, उपशुल्क या किसी अन्य महसूल, चाहे उसका कोई भी नाम हो, यदि किसी अधिनियमिति में यह व्यवस्था हो कि उसे मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

(ख) तकावी या अन्य किसी देय, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, किन्तु खंड (क) में व लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ में अभिदिष्ट देयों से भिन्न हो, यदि किसी उत्तर प्रदेश की अधिनियमिति में, चाहे वह संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व पारित की गयी हो या उसके पश्चात्, यह व्यवस्था हो कि उसे मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है;

की वसूली के लिये कोई भी वाद न तो दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायगा और न २५ जनवरी, १९५० के पश्चात् किसी समय, कभी प्रस्तुत किये जाने के योग्य समझा जायगा ।

(२) ऐसी प्रत्येक अधिनियमिति जिसमें उप-धारा (१) में अभिदिष्ट किसी धनराशि की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली के लिए व्यवस्था हो, उसके

प्रारम्भ होने के मूल दिनांक से, निरस्त की जाती है और इस प्रकार पुनः अधिनियमित की जाती है, जिससे कि वह उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी रहे ।

(३) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी ऐसी अधिनियमिति के संबंध में लागू होती है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या तो समाप्त हो गई थी या निरस्त कर दी गई थी ।

वैधीकरण

४---किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ की धारा ३ में या इस अधिनियम की धारा ३ में अभिदिष्ट किसी धनराशि की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई या करने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही, और उक्त कार्यवाही के अनुसरण में या उसके फलस्वरूप की गई या करने के लिए तात्पर्यित क्रिया या कार्यवाही, यथास्थिति, धारा २ या धारा ३ द्वारा पुनः अधिनियमित संगत अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन व उनके प्रभाव से की गयी और सदैव से की गई समझी जायगी तथा वह उतनी ही वैध समझी जायगी और सदैव से वैध समझी जायगी मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे

अपवाद

५---धारा २ और ३ की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उनमें अभिदिष्ट किन्हीं धनराशि की वसूली के लिए किसी दीवानी न्यायालय द्वारा किसी वाद में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, दी गई किसी डिक्री की वैधता या निष्पादेयता पर प्रभाव पड़ता है:

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, मालगुजारी की बकाया के रूप में किसी ऐसे निर्णीत ऋण की वसूली के लिए कोई कार्यवाही संधार्य न होती

उ०प्र० अध्यादेश संख्या १, १९७० का निरसन

६---उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २,३,४,५,६ व १ इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक-धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ का अग्रेतर संशोधन करने और कतिपय करों की वसूली के निमित्त दीवानी वादों पर रोक लगाने की व्यवस्था करने और कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामकिंकर—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर तथा लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर तथा अन्य लोक धन की वसूली (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०† पर विचार

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।)

अध्यक्ष महोदय, बिक्री-कर सरकार के साधन, स्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है । लेकिन हमारा बिक्री-कर अधिनियम इतना उलझा हुआ है जिसके कारण मध्यम वर्गीय व्यापारी जो ईमानदारी से राजस्व देना चाहता है वह नहीं दे पाता और नियम इतने काम्पलीकेटेड हैं कि जिससे उसको बेईमानी करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है जिसका परिणाम कर बंचना होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको सरलीकरण और इतना सादा करें कि अनपढ़ व्यापारी वर्ग भी इसको सुगमता के साथ समझने लगे ।

एक प्रश्न यह है कि हमारे यहां बहु सूत्रीय कर भी है और अधिकांश चीजों पर एक सूत्री कर है। जहां उत्पादन होता है वहीं पर सूत्री कर लगाया जाय जिससे सरकार को भी अधिक लाभ होगा। हमने देखा कि सरकारी रिपोर्ट बताती है कि चाय पर पहले मल्टीपिल टैक्स था जब उसको सिंगल परपज टैक्स किया गया तो सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा आया। हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में बिक्री कर अधिक है । जैसे ऊनी होजरी पर दिल्ली में एक प्रतिशत कर है लेकिन हमारे यहां ६ प्रतिशत है । इसी तरह से ग्लास शीटस पर बिहार में ५ प्रतिशत है लेकिन हमारे यहां १० प्रतिशत है, टैक्सटाइल्स पर दिल्ली में ५ प्रतिशत है जब कि हमारे यहां दस प्रतिशत है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जिस चीज पर

---

†२६ फरवरी, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्ण स्वरूप]

दिल्ली में टैक्स कम है और हमारे यहां ज्यादा है तो व्यापारी उस चीज को दिल्ली से लाना पसन्द करेगा। उससे हमें नुकसान हो जायगा। इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि सिंगिल प्वाइन्टस टैक्स किया जाय जिससे करों की जो चोरी होती है, वह न हो तथा चीजें भी सस्ती बिकें।

अब बिक्री-कर विभाग के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बिक्री-कर की अपीलें जज रिवीजन सुनता है जो सेल्स टैक्स कमिश्नर के अन्डर में होता है। वह निष्पक्ष नहीं हो सकता इसलिये उसको जुडीशियरी के अन्डर में कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

मर्केन्डाइज की जो भिन्न-भिन्न चीजें हैं उनका अलग-अलग टैक्स लगता है। एक समान वस्तुओं पर एक समान टैक्स लगना चाहिये जिससे लिखा, पढ़ी में चोरी करने का दूकानदारों को प्रोत्साहन न मिले। खाद्य पदार्थों पर साधारण रूप से कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। लेकिन मैदा पर भी टैक्स, आटे पर भी टैक्स और उनसे बनी हुई हलवाइयों की वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया जाता है, हलवाई जो मध्यम वर्ग का है, इससे उसको बहुत नुकसान होता है। वह हिसाब-किताब भी नहीं रख सकता है। इसलिये उसके लिये एक कम्पोजिट सिस्टम कर दिया जाय। जैसे २५ हजार तक एक रेट दिया जाय और ५० हजार पर दूसरा टैक्स रख दिया जाय और ७५ हजार पर तीसरा रेट रख दिया जाय। कुछ लाइसेंस सिस्टम रख दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री बलबीर सिंह—

ऐसा ही संशोधन तो किया जा रहा है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

उसमें केवल २५ हजार है। मैं कह रहा हूं, २५ हजार ५० हजार और ७५ हजार कर दिया जाय। उसमें यह दिया हुआ है कि अगर किसी की बिक्री २५ हजार वार्षिक से अधिक न हो तो उसको हिसाब-किताब रखने की आवश्यकता न होगी। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

जहां तक चूड़ियों का सवाल है, हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि सादा चूड़ी और अलंकृत चूड़ी में कोई फर्क नहीं है। उसके कारण कुछ दूकानदारों की अपील स्वीकृत हो गयी है। सरकार को उनका पैसा वापस करना पड़ेगा इसलिये यह संशोधन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सादा चूड़ी तो प्रत्येक सुहागिन महिला का चिह्न है। इसलिये आप केवल अलंकृत चूड़ी पर ही बिक्री-कर रखें और सादा चूड़ी पर से टैक्स को बिलकुल माफ कर दें।

दालें भी खाद्यान्न में आती हैं जो कि काफी मैन की आवश्यकता की चीज है। इसलिये उन पर से टैक्स हटा दिया जाना चाहिये और ऐशोआराम की चीजों पर अधिक टैक्स लगाया जा सकता है। खाद्यान्न पर अधिक टैक्स लगाने से उन चीजों का मूल्य बढ़ जाता है और मध्यम वर्ग के लोगों को उससे कष्ट होता है।

इसलिये मेरा कहना है कि बिक्री-कर को आप सिंगिल प्लाइन्टस कर दें जिससे हिसाब-किताब रखने में दूकानदारों को तकलीफ न हो, सरकार की आमदनी बढ़ जाय और जो दूकानदार ईमानदारी से कानूनों का पालन करना चाहते हैं वे भी कर सकें। एक सूत्री कर करने से कानून सरल हो जायगा और आपके खजाने में भी ज्यादा रुपया आ सकेगा। कर इतना लिया जाय कि लोग चोरी न करें। आज दूसरे प्रदेशों में जहां सिंगिल प्वाइन्टस टैक्स है वहां सरकारी खजाने में पैसा ज्यादा पहुंचता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करना उचित होगा। मैं इन शब्दों के साथ प्रार्थना करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री बलबीर सिंह--

जहां तक यह प्रश्न रक्खा गया है कि बहुसूत्री को एक सूत्री किया जाय, इसके सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ऐसा किया जा चुका है और करीब-करीब ७० फीसदी चीजों पर ऐसी ही है। अन्य चीजों के सम्बन्ध में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने निर्णय लिये हैं कि इस तरह करना संभव नहीं है। दूसरे प्रदेशों में भी उनके बारे में ऐसी ही व्यवस्था चल रही है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसको प्रवर समिति को सौपने का प्रश्न है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दाल और चूड़ी ऐसी वस्तुयें हैं जिन पर लोग उच्च न्यायालय में गये और न्यायालय ने यह फैसला दिया कि दली हुई दाल और वगैर दली हुई दाल एक ही वस्तु है इसलिये इस पर अलग-अलग टैक्स नही लेना चाहिये। इसी तरह से चूड़ी का मामला है। इसमें भी सादा चूड़ी और अलंकृत चूड़ी के सम्बन्ध में ऐसा ही जजमेन्ट दिया गया। इस फैसले का न केवल आयन्दा टैक्स पर ही असर पड़ा बल्कि जो लोग दे चुके हैं वह भी रुपया वापस मांगने लगे। तो ऐसी हालत में आरडीनेन्स जारी करना जरूरी हो गया। यह आरडीनेन्स पहले की सरकार ने जारी किया था और उसको रिप्लेस करने के लिये यह कानून रक्खा गया है। इसमें श्रीमन्, एक धारा ७ (घ) (१) रक्खी गई है जिसकी रूह से व्यापारी जिसका विक्रय धन किसी कर-निर्धारण वर्ष में २५,००० रुपये से अधिक न हो, कर निर्धारण वर्ष की प्रथम तिमाही की समाप्ति के पूर्व कर-निर्धारक अधिकारी को यह आवेदन दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में उसे राजी नामों के रूप में धनराशि, जिसे आगे राजीनामा शुल्क कहा गया है, देने की अनुज्ञा दी जाय। तो जैसा कि माननीय सदस्य चाहते थे २५,००० रुपये तक का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा यह भी देखने में आया था कि कुछ लोग सेल्स टैक्स में इक्जम्प्शन चाहते हैं। वेल्यू के कारण हैं इसलिये इक्जम्प्शन दिया जाय और इक्जम्प्शन होना चाहिये। तो यह रख दिया गया है कि जैसा कि दीवानी और फौजदारी में सभी जगह है कि जो व्यक्ति इस तरह कोई इक्जम्प्शन चाहता है तो यह मिलना चाहिये। तो इसमें यह प्राविधान किया गया है कि वह लोग खुद साबित करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आरडीनेन्स रिप्लेस करना है और अब मौका नहीं है कि यह प्रवर समिति में जाय। इसके लिये नाम आने में देरी होती है और ९ अप्रैल तक पास होना चाहिये। तो यह संभव नहीं है। यह कोई नया आरडीनेन्स नहीं है। यह तो पुराना ही है। जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसकी लाइट में यह कोशिश की गई है कि इसको अमेन्ड कर दिया जाय। तो माननीय सदस्य से जिन्होंने इस संशोधन को रक्खा है, यह निवेदन करूंगा कि मैंने विस्तारपूर्वक सभी बातों को रक्खा है और इसके अलावा जैसा कि कहा गया था मैं हर समय माननीय सदस्यों की कोई भी राय हो सुनने के लिये तैयार हूं। तो बजाय इसके कि इसमें देर लगाई जाय हर समय दरवाजा खुला हुआ है और मैं सजेशन सुनकर बहुत खुश होऊंगा जिससे अच्छी तरह काम हो सके।

श्री कृष्ण स्वरूप--

श्रीमन्, मैं इसको वापस नहीं ले रहा हूं। इस पर कुछ और सुझाव आ जायं तो अच्छा रहेगा।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

श्रीमन्, यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं जनतंत्र से बहुत दूर चले जा रहे हैं। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आज हमें यह बताया गया है कि अदालत ने कुछ ऐसे निर्णय कर लिये और इन निर्णयों की वजह से हमें यह गलती दोबारा करनी पड़ रही है। इस सम्बन्ध में अपने माननीय मंत्री जी से पहले मेरा कहना यह है कि हमें जनतंत्र में न्यायालयों के निर्णय की प्रतिष्ठा करना भी सीखना चाहिये। मैं कहता हूं कि ये जो साधारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

किसान है वे भी महसूस करेंगे कि दाल में जो दो दो बिक्री-कर लगाया जा रहा है वह बिलकुल अनैतिक और अव्यावहारिक है। मुख्य रूप से दालों में अरहर, चना और मसूर का नाम आता है। एक बार जब अरहर बाजार में बिकने के लिये आयी तब उस पर बिक्री-कर लगा और जब अरहर को छांट करके उसकी दाल तैयार की गयी तब फिर उस पर बिक्री-कर लगा। यही हालत मसूर की भी है। मैं समझता हूं कि इस तरह से एक ही माल पर दो दो बार बिक्री-कर लगाना उचित नहीं है और इस दृष्टिकोण से न्यायाधीशों ने जो फैसला किया है, वह इतना उचित है कि इस सदन को उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये और उसकी सराहना करनी चाहिये। लेकिन सराहना करने के बजाव हम उसे अवैध करार दे रहे हैं।

इसी तरह से चूड़ी का सवाल भी है। जो महिलायें सोने की चूड़ियां पहनती हैं उन के लिये मैं कुछ नहीं कहता लेकिन जो अन्य साधारण चूड़ियां हैं और जो बाद में अलंकृत की जाती हैं उन पर दो दो बार बिक्री-कर लगाया जाता है और इसी दृष्टिकोण से न्यायाधीशों ने यह निर्णय किया है। तो जहां तक अनुच्छेद (२) का सम्बन्ध है, इस आधार पर उसका पुरजोर विरोध करता हूं तथा माननीय कृष्ण स्वरूप जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें कि किसानों के हित में यही है कि वे इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो सकती है और मैं आपको साफ बतला दूं कि इसका एक असर यही नहीं होगा, बल्कि इसका असर खेती के उत्पादन पर भी पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम कृषकों को सहायता देंगे, क्या सहायता देंगे? जब कि एक ही चीज पर और उसी मात्रा पर दो दो बार टैक्स लेंगे। जब इस तरह की गलत चीजें की जायेंगी तो फिर फिर किसान आपको क्या समझेंगे। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

जहां तक २५ ००० रुपये से कम विक्रय धन का सम्बन्ध है, इसके लिये उसे एक राजीनामा लिख कर देना होगा। फिर वह राजीनामा किसके साथ? उस बिक्री-कर निर्धारक अधिकारी के साथ जो सबसे बड़ा घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारी है। आप किसी से इस बात को पूछ सकते हैं कि बिक्री-कर अधिकारी थोड़े दिनों के अन्दर ही लाखों की सम्पत्ति पैदा कर लेते हैं। ऐसे छोटे कर्मचारी बहुत से हैं जिनके चंगुल में अक्सर लोग फंस जाते हैं। इसलिये आप कोई ऐसा प्रबन्ध करें जिससे जनता बिक्री-कर अधिकारी के चंगुल से तो बच जाय। इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिये मैं कहता हूं कि ऐसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये।

अन्न पर तो कोई बिक्री-कर होना ही नहीं चाहिये। फिर दाल पर बिक्री-कर लगाने की व्यवस्था आप क्यों कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी शायद यह सोचते हों कि यह तो दूसरी सरकार की बात है, इसलिये इसे सदन के सामने पेश कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करने के लिये वे इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बड़ा आभारी हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इसको प्रवर समिति में भेजने के सुझाव के साथ साथ इस अधिनियम के अन्दर किस प्रकार की गड़बड़ी है उसकी ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। परसों मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसका लिखित उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया था। १८ करोड़ ५४ लाख रु० बिक्री-कर का उत्तर प्रदेश में बकाया है। पूरक प्रश्न में उन्होंने बताया था कि २९ लोगों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। प्रदेश में किसी पर भी १० लाख या ५ लाख रुपये का बकाया है वह प्रदेश के बड़े व्यापारी ही हैं वे चाहे कानपुर के हों, बनारस, बरेली या किसी स्थान के हों और उनसे वे रुपये वसूल नहीं कर पाते हैं। फिर भी प्रदेश में ऐसी वस्तुओं पर जैसे कि दाल और चूड़ी पर बिक्री-कर लगा रहे हैं, जो अनुपयुक्त है। मैं कृष्ण स्वरूप जी का समर्थन करता हूं। प्रदेश की ९० प्रतिशत सौभाग्यवती स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। ये चड़ियां अधिकतर फिरोजाबाद में

बनती हैं और अगर इस पर बिक्री-कर न लगाया जाय तो अच्छा होगा। दाल पर भी न लगाया जाय तो और अच्छा होगा।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने कल प्रदर्शन किया था और उनकी मांग थी कि समान काम करने वालों को समान वेतन दिया जाय। यदि केन्द्र के समान उनको वेतन दिया जाय तो इससे केवल ३, ४ करोड़ रुपये का अन्तर पड़ेगा। साथ ही यदि प्रोफेशन टैक्स भी हटा दिया जाय तो प्रदेश में पौने दो करोड़ रुपये का ही अन्तर पड़ता है। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। परन्तु इसका प्रभाव बहुत बड़े तबके पर पड़ जायगा। साथ ही साथ यदि माननीय वित्त मंत्री जी १८ करोड़ रुपये का बिक्री-कर का बकाया वसूल कर लें, जो बड़े-बड़े व्यापारियों से किया जा सकता है, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करने से सरकारी कर्मचारियों तथा अध्यापकों की समस्याओं का समाधान हो जायगा। बड़े-बड़े व्यापारी जो कानपुर आदि स्थानों के हैं, उनसे इस कर को कड़ाई के साथ वसूल किया जाय और सरकारी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की जाय।

*श्री राजाराम (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूड़ी में जो कर लगाया गया है उस पर कुछ कहना चाहता हूं, फिरोजाबाद चूड़ी बनाने का केन्द्र है। मैं वहीं का रहने वाला हूं और वहां की स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूं। फिरोजाबाद में कारखानेदारों से खरीदकर जो चूड़ी खरीदते हैं उस वक्त वे उनको ७ परसेंट का बिक्री-कर अदा करते हैं। उसके बाद उन निर्माताओं पर ३ परसेंट यह टैक्स लगाया जाता है। ३ परसेंट के हिसाब से हाई कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। जहां पर चूड़ी बनाने का उद्योग है, चूड़ी बनाने वाले जो बेचते हैं वह थोकदार से लेकर बेचते हैं और ७ परसेंट बिक्री-टैक्स लिया जाता है। ७ परसेंट के ऊपर ६२–६३ में ८४ लाख ६७ हजार ४०० रु० टैक्स हुआ और ३ परसेंट के हिसाब से सरकार ने ७१ लाख ६२ हजार २०० रु० वसूल किया। अब ५, ५ परसेंट के हिसाब से जो लगाया है वह जैसा कि श्री कृष्ण स्वरूप जी ने कहा है, नहीं लगाया जाना चाहिये। मैं भी कहता हूं कि इस पर बिलकुल नहीं लगाया जाना चाहिये। खासतौर से जो सादी चूड़ी पर लगाया गया है उस पर तो नहीं लगाया जाना चाहिये।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने विधेयक रखा है और जो प्रवर समिति के लिये रखने का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने बताया था कि इस सिलसिले में कुछ मुकदमे हाई कोर्ट में चले जिन पर खिलाफ रूलिंग हुई और उसके आधार पर संशोधन रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जहां सेल्स टैक्स के नाम पर उनके यहां लेबर टैक्स लिया जाता है। मजदूरों पर आप टैक्स लगाते हैं। मुरादाबाद शहर में बर्तनों का काम होता है और यहां की ७०,००० आबादी बर्तनों के काम से ही अपनी आजीविका कमाती है। उसकी आजीविका का यही एक आधार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट या किसी अदालत से कुछ रूलिंग हुयीं जिसके आधार पर मन्त्री जी ने यह संशोधन विधेयक पारित कर दिया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुरादाबाद के गैर मुकम्मिल बर्तन बनाने वालों का खयाल नहीं रखा गया। मुरादाबाद में कारखानेदार गैर मुकम्मिल बर्तन बनाते हैं। उनके ऊपर टैक्स लगाने के बारे में १९६६ में उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। इसके चेयरमैन जो डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर थे, श्री जय राम वर्मा बनाये गये और उनकी अध्यक्षता में वह कमेटी मुरादाबाद गयी। उस कमेटी ने आन दि स्पाट इनक्वायरी की कि आया उन लोगों के ऊपर, जो मजदूरी करते हैं, जो छोटे छोटे कारखानेदार हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, सिर्फ सांचे में ढाल कर भट्टी में बर्तन को पकाते हैं, टैक्स लगाया जाय। ये लोग अध बने बर्तनों को बड़े दूकानदारों के पास ले जाते हैं, जो नक्काशी करते हैं और उनको खूबसूरत बनाते हैं। तो श्रीमन्, इन गैर मुकम्मिल बर्तनों पर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

टैक्स का प्रोपोजल था और अब भी है। सन् १९५७ का झगड़ा अभी तक चल रहा है। अभी भी यह मामला स्टे है। १९६६ में वह कमेटी खुद गयी और उसने देखा कि क्या यह सब ठीक है कि इन लोगों पर टैक्स लगना चाहिये या नहीं। तो मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उस कमेटी ने युनानिमस रिपोर्ट दी और उसमें आदरणीय गेंदा सिंह और जगदीश-शरण अग्रवाल, जो पहले स्पीकर थे, सदस्य थे। उन लोगों ने यह रिपोर्ट दी कि यह बर्तन के बनने की बीच की स्टेज है। ढालने के बाद वे लोग दुकानदारों के पास ले जाते हैं जो नक्काशी करते हैं और उनको मुकम्मिल कराते हैं। उन अध-बने बर्तनों को कोई भी इन्सान दो पैसे में खरीदने के लिये तैयार नहीं होगा अपने इस्तेमाल के लिये। तो मेरा सुझाव है कि जो अन-फिनिश्ड बर्तन हैं, उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिये यही उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी। यह कहा गया था कि कुछ कानूनी परेशानी हैं और कानूनी रुकावट है जिसकी वजह से वह कमेटी रिक-मेंडेशन नहीं कर सकी कि जो कर लगा हुआ है वह खत्म किया जा सकता है। उनका यह कहना था कि जब तक मौजूदा ऐक्ट में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक यह नहीं हो सकता है। १९६६ से १९७० हो गया है, मगर उसके बारे में अभी तक कोई भी संशोधन विधेयक नहीं आ पाया। उस कमेटी की रिपोर्ट पर भी अमलदरामद नहीं हुआ जिसमें ऐसे ऐसे आदरणीय मेम्बर्स थे और जब कि उनकी युनेनिमस रिपोर्ट थी।

उसके पश्चात् दूसरी टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी ब - जिसका मंत्री जी ने हवाला दिया। उस कमेटी ने भी मुरादाबाद के बर्तन बनाने वालों के बारे में गौर किया और देखा कि इस इंडस्ट्री में बिना पढ़े लिखे लोग हैं और मजदूर हैं। में उन्होंने सुझाव दिया कि जिन पर १२,००० टैक्स है उसको बढ़ाकर २५,००० कर दिया जाय और जिनके पास सिर्फ २ भट्टियां हैं उन पर कोई टक्स न लगाया जाये। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब १९७० हो गया है, मगर १९६६ की रिपोर्ट पर कोई अमलदरामद नहीं हुआ।

दूसरी बात मुझे असेसमेंट्स के मुताल्लिक कहनी है जो सेल्स टैक्स आफिसर्स द्वारा किया जाता है। वे लोग हर साल असेसमेंट के नोटिस भेजते रहते हैं। आप ताज्जुब करेंगे मान्यवर, कि ऐसे--ऐसे लोगों के नाम नोटिस आ जाते हैं जो मर गये हैं और उनको मरे हुए ५-६ साल हो गये हैं और उन कारखानेदारों का पता नहीं है। ऐसा हुआ है कि बाप कारखानेदार था, मगर उसका बेटा रिक्शा चला रहा है, और बेटे के पास नोटिस चला गया तो हर साल फर्जी असेसमेंट होता रहता है। मौके पर कारखानेदार नहीं है, मगर सरकारी कागजों में उसका नाम चल रहा है। एक मजदूर की गाढ़े पसीने की कमाई इस गलत असेसमेंट होने की वजह से खर्च की जाती है। उसको वकील करना पड़ता है। यह बात तो गलत है, मेरी कोई भट्टी नहीं है इत्यादि इत्यादि। वह वकील इसलिये नहीं करता कि वह समझता है कि न मेरे पास भट्टी है, न कारखाना तो मेरे ऊपर सेल्स टैक्स का क्या सवाल है। लेकिन उस पर एक्स पार्टी असेसमेंट हो जाता है यह कह कर कि यह तो आया ही नहीं। या तो वह रिक्शा खींचने वाला अपनी कमाई से पचास साठ रुपया वकील को दे और वह अदालत में कहे कि हम इस काम को नहीं करते और मेरे ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं करता तो एक्स-पार्टी असेसमेंट हो जाता है। नतीजा यह है कि करीब १६।१७ लाख रुपया इस तरह का मुरादाबाद के कारखानेदारों पर बकाया है। इनकी हालत ऐसी है कि पुश्तों से यह इस काम को कर रहे हैं लेकिन अगर दीवार गिर गयी तो उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। आपके मि० भिडे जब फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो वह खुद मुरादाबाद गये और उन्होंने उनकी हालत देखकर अफसोस जाहिर किया और उन्होंने कहा कि इनकी हालत सुधारने की तरकीब होनी चाहिये। इसके लिए यह हुआ कि सोसाइटी के जरिये रुपया मिलेगा। लेबर तो बेचारा बिना पढ़ा लिखा आदमी है। कुछ गिने चुने लोगों ने फर्जी सोसाइटी बना ली और रजिस्टर करवा ली। आठ दस आदमी हैं जो एक्सपोर्टर कहलाते हैं, उन्होंने करोड़ों का माल फारेन कंट्री भेजा जिस पर उन्हें ७० परसेंट का इंसेंटिव रा मैटीरियल की शक्ल में मिल गया और फिर उसी

रा मैटीरियल को इन्हीं मजदूरों को दिया तो उस पर सेल्स टैक्स लिया । जब वह लोटा या गिलास बनाकर ले गया तो फिर उससे सेल्स टैक्स लिया गया । यह जो सेल्स टक्स लिया गया यह एक तरह से उसकी लेबर पर लिया गया क्योंकि इसने अगर सौ अदद गिलास या लोटा बनाया तो सौ दुअन्नी उसको मिली और उस पर सेल्स टक्स लिया । तो एक तरह से उसकी लेबर टैक्स हो गयी । इसके बाद फिर जब यह सामान पालिश होकर मार्केट में आया तो टैक्स लिया गया । इस तरह आप देखें कि तीन जगह एक बर्तन पर सेल्स टैक्स लेने की बात है । इसलिये मेरी यह अपील है कि आप यह देखें कि सेल्स टैक्स ईमानदारी से जहां लेना चाहिये वहीं ले रहे हैं या कहीं लेबर पर तो सेल्स टैक्स नहीं लग रहा है । इसी के साथ यह भी देखें कि जिस पर यह टैक्स लगा रहे हैं वह जिन्दा भी है या नहीं ? इसी का नतीजा यह है कि आपका १८ करोड़ बकाया है और इस १८ करोड़ में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होगी कि जिनके ऊपर असलियत में टैक्स नहीं लगना चाहिये । सरकार चाहती है कि काटेज इंडस्ट्री बढ़े लेकिन इस तरह कैसे बढ़ सकती है । चाहे मुरादाबाद के बर्तन वाले हों, या फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले हों या अलीगढ़ के ताला बनाने वाले हों या आगरे के जूता बनाने वाले हों, ये सभी इस मुसीबत में हैं । भारतीय क्रांति दल की पार्टी का यही नारा है कि काटेज इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करके सरकार में लेना चाहिये । ऐसी हालत में मेरी यह गुजारिश है कि मुरादाबाद के जो कारखानेदार हैं, उनके बारे में जल्दी ही कोई बात सोचें ।

सन् ६६ में सेल्स टैक्स कमेटी बैठी । उसकी रिपोर्ट भी पड़ी है । एक एक के ऊपर पिछले १६-१६ साल का असेसमेंट हो कर आता है तो कह कैसे देंगे ? फिर आपको भी परेशानी, हमको भी परेशानी । मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मुरादाबाद में जा कर, म आपको दावत देता हूं, उनकी हालत को देखें और फिर अगर आप यह समझें कि उन लोगों के ऊपर टैक्स लगना चाहिये तो मैं सब से पहले आपकी मदद करूंगा कि हां, लगना चाहिये और अगर आप देखते हैं कि लगने लायक नहीं है तो तुरन्त उसके ऊपर अमलदरामद कीजिये । मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि कृष्णस्वरूप जी के इस संशोधन के द्वारा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, आपने उन गरीब लोगों के बारे में कुछ कहने का अवसर मुझे दिया ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । माननीय रियासत हुसेन साहब ने जो तकरीर की है वह वैसे अत्यन्त मुनासिब है लेकिन सवाल यह है कि हमारे सामने तो बहुत छोटा सा प्रश्न है । अब इस पर अगर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की सारी पालिसी पर तकरीर होगी तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है । आप से पहले अभी स्पीकर साहब ने एक दूसरे विधेयक पर जब विचार हो रहा था तो उन्होंने यही मत दिया था कि सीमित होनी चाहिये डिबेट और उस डिपार्टमेंट या जिस ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा हो उसकी सारी पालिसी पर बहस नहीं होने देनी चाहिये । अब आप जैसा उचित समझें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर पूरी बहस नहीं होनी चाहिये इसमें संशोधन और फिर बहस माननीय सदस्य दोनों करते हैं इसलिये मैं वोट लेते समय दोनों को एक साथ ले लेता हूं । संशोधन, उसके बाद फिर प्रस्ताव पर वोट ले लेता हूं ।

*श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । यह बड़ा व्यापक विषय है,। मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि इसको पालिसी के बारे में ज्यादा चर्चा न की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्यान सिंह]

इसलिये मैं ज्यादा न कह कर केवल संकेत मात्र कहूंगा कि १० मार्च, १९७० को उनकी सेवा में मैंने एक पत्र लिखा है जिसकी प्रतियां वित्त मंत्री, वित्त सचिव और राजस्व मंत्री को भी दी हैं। मेरा सुझाव यह है कि १९६८–६९ की उत्तर प्रदेश कर जांच समिति का एक प्रतिवेदन था, उसमें जो प्रश्न दिये गये थे उनके उत्तर मांगे गये थे। उस उत्तर के संबंध में यह जो बुकलेट है छोटी सी मेरे हाथ में मैंने उसका बड़ी गम्भीरता से अध्ययन किया है। इसके सुझाव बड़े वैज्ञानिक हैं। उसमें यह सुझाव दिया गया है कि बिना नये टैक्स लगाये हम किस तरह से ३० से ४० करोड़ तक वार्षिक आमदनी बढ़ा सकते हैं। आज बिक्री-कर की जब चर्चा चलती है तो कहा जाता है कि व्यापारी बेईमान है। व्यापारी कहता है कि हमको पब्लिक मजबूर करती है बेइमानी के लिये, वह सेल्स टैक्स देना नहीं चाहती। मेरा कहना यह है कि ये नियम उसको मजबूर करते हैं बेइमानी करने के लिये। तो क्या ऐसे नियम नहीं बनाये जा सकते जो उसको ईमानदार बनाये? मेरे पास ऐसे सुझाव हैं जो आदमी को ईमानदार बना सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस अधिवेशन के पश्चात् किसी दिन निश्चित कर दें अपनी सुविधा के अनुसार जब वह, वित्त मंत्री जी, वित्त सचिव और मैं अपने २–३ साथियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श कर सकें जिससे राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। मैं केवल तीन चीजों की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुख्य समस्या इसके अन्दर एक यह भी है—मुख्य मंत्रीजी क्षमा करेंगे, कह देंगे कि पालिसी से संबंध है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि क्या कर प्रवंचना से व्यवसायी को लाभ होता है? मैं समझता हूं कि नहीं। कर प्रवंचना वह इसलिये करता है कि उसे बाजार की प्रतियोगिता में ठहरना पड़ता है। कर प्रवंचना तभी होती है जब बिक्री छिपा ली जाती है और बिक्री छिपाई जा सकती है, तभी जब खरीद छिपा ली जाय। और खरीद तब छिपाई जाती है जब सूबे में फर्जी नामों से लदान माल का और उसका छुटान होता है यानी माल का डिसपैच व डिलीवरी फर्जी नामों से होती है। फर्जी नामों से माल मंगाया और छुड़ाया जाता है उसका नतीजा यह होता है कि सेल्स टैक्स वसूल नहीं हो पाता है। जो व्यापारी ईमानदारी से सेल्ट टैक्स देना चाहते हैं वे भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको बाजार के कम्पटीशन में ठहरना होता है और इसलिये वह भी मजबूरी हालत में चोरी करते हैं। मेरा सुझाव है कि यह जो सेल्स टैक्स की नीति है, उसको बदला जाय।

मैं इस संबंध में तीन सुझाव देना चाहता हूं, मेरा पहला सुझाव यह है कि यह जो सेल्ट टैक्स की विभिन्न दरें हैं यह भी बेईमानी का मूल कारण हैं। यह १ प्रतिशत से १० प्रतिशत की दरें उचित नहीं हैं। दर एक ही होनी चाहिये और उसकी ३ श्रेणियां हों, २ श्रेणियां तो आज भी हैं लेकिन मेरा कहना है कि ३ श्रेणियां हों। पहली श्रेणी में टैक्स फ्री कैटेगरी हो, दूसरी में इसेन्शियल कमोडिटीज हों और तीसरी में नानइसेंशियल कमोडिटीज हों। इन पर अलग-अलग कर की सीमा हो, पहले इसेंशियल चीजों को कर दें और उसके बाद जो बचें वे तीसरी श्रेणी में आ जायं। एक ही दर से कर लगे। व्यापारी आज करते यह हैं कि वह चीजें खरीद कर लाते हैं जिन पर १० प्रतिशत कर है लेकिन दिखलाते वह चीजें हैं जिन पर केवल २–३ प्रतिशत ही कर देना होता है। इसके अतिरिक्त यह जो बहुसूत्री दरें कर की हैं वे भी बहुत गलत हैं, हमारी एकसूत्री कर प्रणाली होनी चाहिये। सरकार का खयाल है कि एक सूत्री में हानि होती है बहुसूत्री में कई हाथ पर बिक्री-कर मिल जाता है। मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद अपने यह सुझाव रखे हैं। कभी ३ हाथ से यह कर वसूल नहीं होता केवल डेढ़ हाथ से ही हो पाता है, बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी की मदद करते हैं और मिलकर गड़बड़ करते हैं जो २ और १ मिलाकर ३ से मिलना चाहिये वह उसका आधा डेढ़ प्वाइंट पर ही मिल पाता है। मेरा कहना है कि इस तरह से राजस्व खाते में केवल चौथाई बिक्री-कर ही आ पाता है और हानि होती है। मेरा सुझाव है कि उसको समाप्त करके सिंगिल प्वाइंट कर होना चाहिये। दूसरे इस पर भी विचार करना चाहिये कि फर्जी नामों से डिसपैच डिलीवरी होती हैं वे कैसे रोकी जायं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय हो गया, अब आप समाप्त करें ।

श्री कल्यान सिंह---

आधा मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं । आप इस तरह का नियम बना दें कि कोई भी अनरजिस्टर्ड व्यापारी न माल डिसपैच कर सके और न डिलीवरी ले सकेगा, इसी तरह की हिदायत रेल के अलावा ट्रांसपोर्ट वालों को भी दी जायं कि जो रजिस्टर्ड फर्म नहीं है उसका कोई माल वे नहीं ढोयेंगे । लखनऊ नगरपालिका में माल की डेलीवरी नहीं दी जाती जब तक यह निश्चय नहीं कर लेते कि वह रजिस्टर्ड व्यवसायी है । अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य कोई समय हमें दें, उनके विभागीय अधिकारी भी हों और मैं उनके सामने अपने विचार रख दूंगा ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाद-विवाद समाप्त किया जाय । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मेरी बातचीत नेता विरोधी दल, नेता जनसंघ तथा नेता समाजवादी दल से हो गई है और वे सब इसके लिए सहमत हो गये हैं कि आज का जो यह कार्यक्रम है, जो इसके विधेयक हैं वह ४ बजे तक समाप्त हो जायं । इसीलिये मैंने अब प्रश्न उपस्थित करने को कहा है, आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, अभी जो माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे उन्होंने मुझसे अपने सुझाव देने के लिए कुछ समय चाहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं बहुत खुश होऊंगा, वह कोई समय बता दें जब हमारे विशेषज्ञ भी हों और वह अपने सुझाव पहले भेज दें ताकि उन पर विचार करके तैयार हो जायं । वह अपने साथ दूसरे माननीय सदस्य भी लाना चाहें तो ले आयें, मैं यह मानता हूं कि सेल्स टैक्स में कोई खराबी है, नाजायज तरीके से वसूली होती है या कोई कानूनी खराबी है या अधिकारियों की खराबी की वजह से कुछ तकलीफ है तो वह चीज दूर हो जानी चाहिये । साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि सेल्स टैक्स की जो चोरी होती है या इसके एरियर्स होते हैं, उन पर विचार करें कि इस संबंध में क्या कदम उठाया जा सकता है जिनसे एरियर्स न रहें और सारी वसूलयाबी हो सके । इसके अलावा जो आपने पुस्तिका के बारे में कहा है, उनमें कई बातों पर विचार हुआ है । फिरोजाबाद में ५ के बजाय १० प्रतिशत लगाया जाय । इसके बारे में शासन को भी सूचना मिली और बिक्री-कर के आयोग से कहा है कि वे फिरोजाबाद जाकर जांच करें और वह जांच भी की जायगी । साथ ही हमारे माननीय रियासत साहब ने यह भी कहा है कि लेबर पर भी टैक्स होता है। मैं इस बारे में याद दिलाना चाहता हूं कि इस सिलसिले में अगर वे एक डिक्लेरेशन दे दें सेल्स-टैक्स अधिकारी को कि हम उनकी तरफ से काम करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, जैसी कि उन्होंने शिकायत की है ।

दूसरे उन्होंने मुरादाबाद के बर्तनों के बारे में कहा तो उसके बारे में भी मैं निवेदन कर दूं कि २५ हजार तक जो एक्जम्पशन है, वह उन लोगों के लिए ही है । आगे के बाद क्या हो, वे मुझे बता दें । २५,००० से अगर वे ज्यादा करना चाहते हैं और मुनासिब हुआ तो बैठकर विचार कर लेंगे ।

जहां तक इसे प्रवर समिति भेजने का प्रश्न है, जिन बातों के लिए वे इसे प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं, वे सब यहां पर आ चुकी हैं, इसलिये इसे वहां भेजने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक अर्ज करना है

श्री बलबीर सिंह—

क्या माननीय सदस्य कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं ? मैं तो खड़ा हुआ हूं, बैठा नहीं हूं ।

इसलिए माननीय सदस्य से मैं फिर निवेदन करता हूं कि वे प्रवर समिति में इसे भेजने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

*श्री कृष्ण स्वरूप—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं, मैं उनका आभारी हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि जो सुझाव आये हैं, वे उन पर विचार करें, विशेष रूप से जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ३० प्रतिशत चीजें ऐसी रह गयी हैं जिन पर बहुसूत्री कर है। मेरी प्रार्थना है कि इन ३० प्रतिशत चीजों पर भी वे सिंगिल प्वाइंट कर दें जिससे चोरी न हो और लोगों को भी सुविधा हो जाय । दूसरी प्रार्थना मेरी यह भी है कि बिक्री-कर को सरल बनाया जाय ताकि जो लोग अनपढ़ हैं, वे इससे परेशान न हों ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे । वहां पर इस पर पूर्ण रूप से विचार हो जाय जिससे जो लैक्युना रह गये हैं और जिनके कारण बार-बार इसमें संशोधन लाने पड़ते हैं, वे न आयें । होता यह है कि हमारे यहां एक ऐक्ट बनता है और हाई कोर्ट में उसे लौटा देते हैं और फिर सरकार को संशोधन लाने पड़ते हैं । यह इस बात को प्रकट करता है कि जो मूल अधिनियम बनाये जाते हैं वे जल्दबाजी में बनते हैं । अतः एक बार इसको गम्भीरतापूर्वक विचार करके पूरा अधिनियम लाया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो । वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का अग्रेतर संशोधन करने और तद्धीन किये गये कतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई०की धारा ३—क का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३—क में उपधारा (१)—

(१) शब्द "क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा बिक्रियों के क्रम में किसी भी ऐसी बिक्री को छोड़ कर जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" के स्थान पर शब्द "सिवाय बिक्री के एक ऐसे स्थल पर, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और शब्द "कर नहीं लगेगा," के पश्चात् कामा तथा शब्द "और ऐसी घोषणा इस बात के होते हुए भी की जा सकती है कि उस माल या उस वर्ग के माल की एक से अधिक स्थल पर बिक्री सम्भव नहीं है अथवा वह प्रचलित व्यापारिक प्रथा के अनुसार एक से अधिक स्थल पर साधारणतया नहीं बेचा जाता" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायं;

(२) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायें, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये अलंकृत या कटावदार कांच की चूड़ियां, सादी कांच की चूड़ियों से भिन्न समझी जायेंगी, और तदनुसार, इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि अलंकृत या कटावदार कांच की चूड़ियों की बिक्री के निर्दिष्ट स्थल पर केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि सादे रूप में कांच की उन चूड़ियों की बिक्री के निर्दिष्ट स्थल पर पहले ही कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका था।"

धारा ३—घ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३—घ की उपधारा (१) के वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण १ संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण १ के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण २—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये विखंडित या संसाधित अनाज, जैसे कि दाल के रूप में, ऐसे अनाज से, जो अविखंडित या असंसाधित हो, भिन्न समझे जायेंगे और तदनुसार इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि विखंडित या संसाधित अनाज के प्रथम क्रय के सम्बन्ध में केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि अविखंडित या असंसाधित रूप में उन अनाजों के

प्रथम क्रय के संबंध में पहले ही कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका था ।"

धारा ४—क के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ४—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"४—क (१) धारा ३ या उपधारा ३—क में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की उपधारा (२) में यथानिर्दिष्ट राय हो तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी माल के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि उस माल के निर्माता का विक्रय धन पांच वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के दौरान जो निर्दिष्ट की जाय, बिक्री-कर से मुक्त रहेगा या उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन घोषणा तब की जा सकती है यदि राज्य सरकार की राय में—

(क) निर्दिष्ट माल का उत्पादन बढ़ाने के लिये; या

(ख) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे जिलों का, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, विकास करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो ।

(३) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह—

(क) सामान्यतया सभी उपरोक्त माल के सम्बन्ध में जो उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् निर्मित किया गया हो, उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन कर से छूट दे या कर की दर में कमी करें ; या

(ख) उपरोक्त माल में से केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय व किसी ऐसी इकाई में जिसमें ऐसे दिनांक के पश्चात्, जो दिनांक उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व या पश्चात् हो सकता है व जो निर्दिष्ट किया जाय, उत्पादन प्रारम्भ हो, निर्मित किया जाय, उपधारा (२) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कर से छूट दे या कर की दर में कमी करे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "नयी इकाई का तात्पर्य किसी ऐसे कारखाने या कर्मशाला से है जिसमें ऐसी मशीन, उपसाधनों या संघटक पुर्जों का प्रयोग हो जो उत्तर प्रदेश में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में पहले से ही प्रयोग में न लाये गये हों और न उसमें प्रयोग किये जाने के लिये अर्जित किये गये हों, किन्तु इसके अन्तर्गत वही माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला या किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला का कोई परिवर्द्धन या प्रसार सम्मिलित नहीं है ।"

धारा ७—घ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ७—घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

कर दायित्व के संबंध में राजीनामा

"७—घ—(१) कोई व्यापारी जिसका विक्रय धन किसी कर निर्धारण वर्ष में २५,००० रुपये से अधिक न हो, कर निर्धारण वर्ष की प्रथम तिमाही की समाप्ति के पूर्व कर निर्धारक अधिकारी को यह आवेदन दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन

उसके द्वारा देय कर के बदले में उसे राजीनामों के रूप में धनराशि, जिसे आगे राजीनामा शुल्क कहा गया है, देने की अनुज्ञा दी जाय, और यदि कर निर्धारक अधिकारी को यह समाधान हो जाय कि विक्रय धन २५,००० रुपये से अधिक होने की सम्भावना नहीं है तो वह ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यापारियों पर लागू न होगी, अर्थात्—

(क) उन माल से, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे, भिन्न माल के निर्माता;

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसे माल का, जिनके सम्बन्ध में धारा ३-क, ३—कक या धारा ३—घ के अधीन विज्ञप्ति इस घोषणा के साथ तत्समय प्रवृत्त हो कि उस माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर कर, सिवाय आयातकर्त्ता द्वारा बिक्री के प्रथम स्थल पर, देय नहीं होगा, आयात करने वाले व्यापारी;

(ग) अनियमित व्यापारी ।

(२) राजीनामा शुल्क कर निर्धारण वर्ष में व्यापारी के विक्रय धन, जो ऐसी रीति से अवधारित किया जायगा जो नियत की जाय, के २ प्रतिशत की दर से अवधारित किया जायगा ।

(३) कर निर्धारक अधिकारी, व्यापारी द्वारा देय राजीनामा शुल्क अवधारित करने का आदेश देने के पूर्व उसके भू-गृहादि का (अर्थात् कोई ऐसा कार्यालय, दुकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी जिसमें व्यापारी अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में साधारणतया माल या बहियां, लेख-पत्र या लेखा रखता हो) विस्तृत रूप से सर्वेक्षण करेगा ।

(४) यदि ऐसे सर्वेक्षण या प्राप्त किसी अन्य सूचना के आधार पर कर निर्धारक अधिकारी को यह समाधान हो जाय कि व्यापारी का विक्रय धन २५,००० रुपये से अधिक होने की सम्भावना है या व्यापारी उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी वर्ग का है तो कर निर्धारक अधिकारी राजीनामे के लिये व्यापारी का आवेदन-पत्र अस्वीकार कर देगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर का निर्धारण करेगा ।

(५) कोई व्यापारी जिसे कर के बदले में राजीनामा शुल्क देने की अनुज्ञा दी गयी हो, वर्ष के दौरान अपने द्वारा किये गये सभी क्रय के संबंध में वाउचर रखेगा और ऐसे अभिलेख भी रखेगा, जिसमें वह अपने द्वारा की गयी बिक्री का दैनिक योग लिखेगा ।

(६) इस धारा के अधीन अवधारित राजीनामा शुल्क या इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये व्यापारी द्वारा देय कर समझा जायगा और, विशेष रूप से, वह उसी रीति से वसूल किया जा सकेगा जैसे कि अधिनियम के अधीन निर्धारित करे ।"

नयी धारा १२—क का बढ़ाया जाना

६—मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्:—

साबित करने का भार

"१२—क—किन्हीं कर निर्धारण कार्यवाहियों में, जब कोई तथ्य विशेषतः करदाता के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा, और विशेष रूप से, ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो मामले को धारा

३–क, धारा ३–घ, धारा ४, धारा ४–क, धारा ४–ख या धारा ७–घ में उल्लिखित किसी भी अपवाद, छूट या मुक्ति के अन्तर्गत लाती हो, उसी पर होगा, और कर निर्धारक अधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव को उपधारण करेगा । "

वैधीकरण

७—किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ३–क या धारा ३–घ के अधीन जारी की गयी या तात्पर्यित प्रत्येक विज्ञप्ति इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के अधीन जारी की गयी समझी जायगी और उसका इस प्रकार निर्वचन किया जायगा और वह वैध समझी जायगी या सदैव से वैध समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार ऐसी विज्ञप्ति के तात्पर्यित अनुसरण में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई क्रिया (जिसके अन्तर्गत कोई दिया गया आदेश, की गयी कार्यवाही, क्षेत्राधिकार का प्रयोग, किया गया कर निर्धारण या लगाया गया, वसूल किया गया या दिया गया कर भी है) जो ऐसी विज्ञप्ति के अनुसरण में वैध रूप से और विधिवत् किया गया या की गयी और सदैव वैध रूप से या विधिवत् किया गया या की गयी समझी जायगी ।

उ०प्र०अध्यादेश २,१९७० का निरसन

८—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से खंड ८ तक, तथा खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलबीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७०†

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय । मान्यवर, यह विधेयक जो सदन के समक्ष पेश है यह पहले आर्डिनेन्स के रूप में था । इस बिल के द्वारा कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं किया

†२ मार्च, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जा रहा है। केवल २–३ मामूली से संशोधन हैं और वे इसलिये किये गये हैं जिससे कि जनता को और अधिक सुविधा हो तथा महापालिका को भी अपना कार्य करने में सहूलियत हो। काम में और अधिक सरलता लाने तथा समय भी कम से कम लगने के खयाल से यह बिल लाया गया है। पहली चीज तो इस बिल में यह की जा रही है कि पहले पंच साला कर निर्धारण सारे शहर का एक साथ किया जाता था और वह कार्य पूरा होने पर पूरी सूची एक साथ प्रकाशित की जाती थी और उसके बाद आब्जेक्शन्स मांगे जाते थे और तब सारे आब्जेक्शन्स आदि का फैसला एक साथ किया जाता था। इस तरह से काम बहुत बढ़ जाता था और काम में बहुत देर भी लगती थी। कार्यकर्त्ताओं को भी काम करने में बड़ी परेशानी होती थी। जनता को भी परेशानी होती थी। अब हमने इस बिल के द्वारा यह किया है कि हर वार्ड की अलग-अलग सूची तैयार होगी और तैयार होने के बाद वह प्रकाशित की जायेगी और उस पर आब्जेक्शन्स मांगे जायेंगे। इससे काम का दबाव कम होगा, जनता और कर्मचारियों को भी सुविधा होगी। तो अब इसके द्वारा हर वार्ड का फैसला अलग-अलग हो सकेगा।

दूसरी चीज हमने यह की है कि कर निर्धारण के बाद वह कब से वसूल किया जाय। उसके लिये यह किया है कि कर निर्धारण का फैसला अगर पहली अप्रैल से पहले हो जाय तो वह पहली अप्रैल से वसूल किया जाय। अगर पहली अप्रैल के बाद, लेकिन अक्तूबर से पहले हो तो वह पहली अक्तूबर से वसूल किया जाय। इस समय भी कर दो किश्तों में वसूल किया जाता है एक अप्रैल में तथा दूसरा अक्तूबर में।

तीसरी चीज यह की गयी है कि इलाहाबाद नगर महापालिका का समय बढ़ाया गया है। आपको मालूम है कि उसको सुपरसीड किया गया था। चूंकि अभी तक वहां सूची बन कर तैयार नहीं हुई है, इसलिये इसके समय को और बढ़ाने की आवश्यकता आ पड़ी। इस बिल द्वारा उसका समय बढ़ाया गया है।

इस तरह से यह जितने भी संशोधन हैं वे ऐसे हैं कि जिनके लिये इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे लायक दोस्त, जिन्होंने प्रवर समिति वाला प्रस्ताव रखा है वे उसे वापस ले लेंगे और इस बिल को पास होने देंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किन कारणों से मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहता हूं। हमारे मंत्री जो एडवोकेट हैं। वे जानते होंगे कि जितने भी हमारे आई० पी० सी०, सी० आर० पी० सी, सी० पी० सी० आदि कानून हैं उनमें कभी संशोधन लाने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। मगर हमारे यहां जो कानून बनते हैं उनमें हर साल संशोधन लाने की जरूरत पड़ जाती है। आखिर उसका कारण क्या है? हम जो भी कानून यहां पास कराते हैं वह इतनी जल्दबाजी में कराते हैं कि उस पर अच्छी तरह से विचार नहीं हो पाता। उसमें गलतियां रह जाती हैं और जिसके कारण फिर दोबारा संशोधन लाना पड़ जाता है। मान्यवर, मैं सर्वप्रथम इलाहाबाद का जिक्र, जो इसमें आया है, करना चाहता हूं। ५–६ वर्ष पहले वहां की नगर महापालिका को सुपरसीड कर दिया गया है। इसका कारण यही है कि हमारी सरकार फौरन इलेक्शन नहीं कराना चाहती। इसी के कारण एड-मिनिस्ट्रेशन में दूषित वातावरण बन जाता है। इसी सदन में बट साहब के ऊपर लगातार अनेक सदस्यों द्वारा अनेकानेक गम्भीर आरोप लगाये गये थे। इसका कारण यही था कि उनके ऊपर आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा---]

किसी का नियंत्रण नहीं है। नगर महापालिका के सुपरसीड कर दिये जाने से, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को नाकाम कर दिये जाने से अधिकारी ही नगर के होलसोल मालिक हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह निरंकुश हो जाते हैं और वह अपनी निरंकुशता के कारण सब कुछ उचित, अनुचित करने लगते हैं। आज वहां पर ऐसे अधिकारियों का बोलबाला बहुत बढ़ गया है। इसलिये इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये कि अधिक दिन तक किसी भी नगरपालिका को सुपरसीड न रखा जाये। मंत्री जी ने कहा कि वार्ड्स की सूची तैयार नहीं है। मैं कहता हूं सूचियां उतनी उपयोगी नहीं हैं जितना नगरपालिका का शासन जनता के द्वारा होना। बड़े-बड़े अधिकारियों पर कोई अंकुश न होने के कारण बड़े-बड़े नगरों में और कैंटोनमेंट टाउन्स में जनता के सामने बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। जो कारपोरेशन के चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें अपने-अपने क्षेत्र की दशा की जानकारी होती है और वह अपने कार्यों के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी भी रहते हैं, जनता के सामने वह जवाबदेह रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से नगर महापालिका को छोड़ देने से वहां पर कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि असेसमेंट के जो अधिकारी होते हैं, चाहे वे जल मकान आदि किसी के हों, उनको इस प्रकार के अधिकार दे दिये गये हैं कि वे उचित अनुपात से इनमें वृद्धि नहीं करते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि प्रभावशाली आदमी उसका फायदा उठा लेता है, किन्तु गरीब आदमी कहीं अपनी बात नहीं रख पाता है और वह नुकसान उठाता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिलों को प्रवर समिति के समक्ष अवश्य रखा जाना चाहिये, अन्यथा जिस उद्देश्य के लिये हम इसे कर रहे हैं, वह पूरा नहीं हो सकेगा।

धन्यवाद।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मुझे भी समय चाहिये। मैं इलाहाबाद नगर से ही आता हूं। घड़ी से देख कर सिर्फ मुझे ५ मिनट का आप समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके सभी नेताओं ने एक राय से यह कार्यक्रम निर्धारित किया है। संशोधन के कुछ खण्ड पर बहस होगी, फिर पूरे पर। अब खण्डों पर भी थोड़ा समय मिल जायगा। संशोधन को मंत्री जी स्वीकार कर लें, इस पर बहस चले या न चले? समय अनावश्यक व्यय न हो, इस लिये मैं मंत्री जी से पूछूंगा।

श्री अनवार अहमद---

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें अभी अपनी तकरीर में कहीं हैं, मेरे खयाल में उनका कोई सम्बन्ध इस बिल से नहीं है। उन्होंने जो बातें कहीं हैं, ये वे कठिनाइयां हैं जिनके सम्बन्ध में नगर महापालिका के लोगों को हुआ करती हैं। उन कठिनाइयों पर तो विचार किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इस बिल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक उनका यह कहना है कि असेसमेंट अधिकारी तंग करते हैं, अगर ऐसे अधिकारियों के बारे में कोई बात सामने लाई जाय और माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन जो बिल इस समय पेश है उसका कोई सम्बन्ध उनकी तकरीर से नहीं है। इसलिये मेरे खयाल में इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत नहीं है न किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

श्री राम गोपाल संड---

उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद नगरपालिका को यह गौरव प्राप्त है कि राजर्षि टंडन, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री लालबहादुर शास्त्री जैसे उसके नगर प्रमुख होते रहे। मुझे भी १९५६

में इस बात का सौभाग्य प्राप्त रहा। मैं लगभग ६–७ साल तक वहां कारपोरेटर रहा। नगरपालिका को सुपरसीड हुये पांच साल हो गये। धर्मबीर जी भी सदस्य थे। वहां पर चुनाव नहीं कराया गया। यहां तक किया कि अनुदान खर्च करके, एक योजना बनायी और २ करोड़ रुपये कर्जा कर लिया गया, मनमाने ढंग से सड़कें बनवायी गयीं। उसका परिणाम यह हुआ कि सारे इलाहाबाद के अन्दर, समाजवादी दल ने, जनसंघ ने, विरोधी दलों ने एक बड़ा भारी आन्दोलन किया, भूख हड़ताल की कि मनमाना शासन किया जा रहा है। पांच सौ का पांच हजार और आठ सौ का सात हजार, इस प्रकार १५ गुना भवन और जल कर का असेंसमेंट किया गया। यह आवाहन किया गया कि २९ तारीख को इलाहाबाद बन्द रहेगा। मैं बधाई दूंगा माननीय चन्द्रभानु गुप्त को कि उन्होंने विशेष विमान द्वारा स्वायत्त शासन मंत्री, मंगलाप्रसाद जी को इलाहाबाद भेजा। हम लोग, जिनमें मैं भी था, बुलाये गये। जिलाधीश के कमरे में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने लिख कर दिया कि अब इलाहाबाद के अन्दर क्विक्विनियल असेंसमेंट नहीं होगा जब तक यहां की जनता के चुने हुये प्रतिनिधि नहीं आयंगे। ऐसा लिखित मुझे, संयुक्त समाजवादी दल इलाहाबाद के नेता श्री जायसवाल को और प्रजासमाजवादी दल के श्री पाठक को दिया गया। मैं यह प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्री जी से कि कहा गया कि वार्डों की तालिका नहीं बनायी गयी। मैं कहता हूं लिस्ट पूरी है। न जाने क्यों, विरोधी दल के लोगों का इलाहाबाद में बहुमत है इसलिये नगरपालिका का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। ४ वर्ष ११ महीने जहां लिखा हुआ है, वहां संशोधन है ४ वर्ष आठ महीने कर दिया जाय। प्रजातन्त्र की मांग है, इलाहाबाद में चुनाव की तिथि की घोषणा करें और आने वाले एक दो महीनों में चुनाव हो जाय जिससे जनता के चुने हुए लोग आएं और १२ कार्यकारिणी के लोग आयें। उनको अधिकार है कि असेंसमेंट के बारे में विचार करें। जिससे इलाहाबाद की जनता के साथ न्याय किया जा सके। इलाहाबाद में मध्यम श्रेणी के लोग रहते हैं। उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इलाहाबाद में जल्द से जल्द चुनाव करवायें। मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं, इलाहाबाद के जनता की मांग थी कि श्री महमूद बट्ट साहब का स्थानांतरण हो, वह उन्होंने मान लिया, अब वह लखनऊ आ गये हैं। वह कैसा काम करेंगे यह सामने आयेगा।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही महमूद बट्ट का ट्रांसफर कर दिया। इसके लिये इलाहाबाद की जनता आपको बहुत मुबारकबाद दे रही है। बट्ट जी ने वहां इलाहाबाद में पिछले २, ३ महीने में तानाशाही रवइया अपना कर पंचसाला कर जनता के ऊपर लगाया था। जिस मकान का ५०० रुपया था उसका कर ४ और ५ हजार मनमाने ढंग से कर बढ़ाया। बहरहाल यहां से गुप्ता जी ने आदेश भेजा कि इनके शासनकाल में वहां पर असेंसमेंट स्टे हो जाना चाहिये। तो वह स्टे हुआ। अब हम लोगों को मालूम नहीं है कि कब वहां पर चुनाव होगा। जैसा कि संड जी ने बताया कि वहां पर चुनाव के बाद कर निर्धारण होगा किन्तु पता नहीं है कि वहां के लिये कब चुनाव कराये जायंगे। आज जो यह विधेयक यहां पर पेश किया गया है इसमें इलाहाबाद का समय बढ़ाने की चर्चा की गयी है। इससे लगता है कि आप इलाहाबाद में चुनाव फिर टालना चाहते हैं। वहां पर नगर महापालिका ५, ६ साल से सुपरसीड है। ६८ में और जगह जब चुनाव कराये गये लेकिन इलाहाबाद में हिन्दू मुसलिम दंगा हो जाने की वजह से चुनाव नहीं हो सके लेकिन अब तो दो साल से वहां पर नार्मल हालत है। कोई झगड़ा नहीं है। वोटर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और इलाहाबाद की जनता चाहती है लेकिन फिर भी यह सरकार वहां पर चुनाव नहीं करा रही है तो यह बात समझ में नहीं आती है। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इलाहाबाद की ओर ध्यान देकर वहां पर चुनाव कराये जायं। इससे जनतन्त्र की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय[

रक्षा होगी। मई या जून में वहां पर चुनाव करा दिये जायं तो अच्छा रहेगा। इन शब्दों के साथ में इसे प्रवर समिति में जाने के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संशोधन का समर्थन करता हूं। जनतन्त्र में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति जनतान्त्रिक संस्थाओं की हत्या करने का विचार नहीं करेगा। बदकिस्मती से इस उत्तर प्रदेश में यह एक परम्परा बन गई है। स्वायत्त शासन की संस्थाओं को निलम्बित करना, इनको समाप्त करना और अधिकारियों के द्वारा इनका प्रशासन किया जाना एक प्रणाली बन गई है। चाहे किसी की भी सरकार हो इस परम्परा पर चलना निन्दनीय है, इसका विरोध होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद या और हमारी नगर महापालिका जहां पर चुनाव होना है वहां पर शीघ्र से शीघ्र एक महीने के अन्दर चुनाव होने चाहिये। जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में वहां का शासन आना चाहिये। मैं अपने मित्र की राय से इत्तफाक नहीं करता कि माननीय मुख्य मंत्री ने महमूद बट्ट का इलाहाबाद से ट्रान्सफर करके कोई अच्छा काम किया है। मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि वहां से महमूद बट्ट को लखनऊ में लाकर गलत काम किया गया है। यह अच्छे अधिकारी हैं और बिना किसी पक्षपात के काम करना चाहते हैं। उनकी निष्पक्षता में किसी तरह का कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के अफसर बहुत कम हैं। यदि उन्होंने इलाहाबाद की गन्दगी को साफ किया है तो वहां से ऐसे आदमी का अभी ट्रान्सफर करना उचित नहीं था। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि महमूद बट्ट जैसा आदमी अगर गांवों के काम करने लगे और वहां के काम इनको दिये जायं तो गांव के लोग इनसे डरने लगेंगे। आज ऐसे बहुत से निकम्मे अफसर पड़े हुये हैं जो बिलकुल भी जनता के लाभ की बात सोच नहीं सकते हैं। यदि आई० जी० को मुख्य मन्त्री जी ने हटाया है तो मैं उनको इसके लिये धन्यवाद देता हूं। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऐसे आई० जी० बनाये गये हैं कि जिनकी ईमानदारी में किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता है और वह स्वयं लड़कर भी ईमानदारी के लिये कुछ करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे ईमानदार लोग विभागों के अध्यक्ष बनाये जायं। विभागीय सचिव के पदों पर नियुक्त किये जायं। इसी प्रकार से महमूद बट्ट को भी अच्छे स्थान पर आप रखें तो वह काम करके दिखा सकता है। उसको प्लानिंग में रखिये तो प्लानिंग के काम बहुत समुचित ढंग से वह अन्जाम देगा जिससे सरकार के काम में तरक्की होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब खण्डों पर विचार होगा। (श्री हरिनाथ तिवारी से) आप सारे संशोधन एक साथ ही प्रस्तुत कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड २, ३ तथा ४

२—उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २०८ में, शब्द "निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर," के स्थान पर शब्द "जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी कक्ष के लिये निर्धारण सूची, जिसमें धारा २०७ के खण्ड (क) से (ङ) तक के ब्योरे दिये हों, तैयार हो जायं तब" रख दिये जायें, और जहां-जहां पर शब्द "सूची" या शब्द "ऐसी सूची" आये हों उनके स्थान पर शब्द "उक्त सूची" रख दिये जायें। उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २, १९५९ की धारा २०८ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २०९ की उपधारा (१) में शब्द "सूची में दर्ज" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २०८ में उल्लिखित सूची में दर्ज" रख दिये जायें। धारा २०९ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा २१० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्— धारा २१० का संशोधन

"२१०—(१) नगर या उसके किसी कक्ष के लिये, जैसी भी दशा हो, सूची से सम्बन्धित आपत्तियों का निबटारा हो जाने के पश्चात्, समिति या सम्बन्धित उप-समिति, यदि कोई हो, का सभापति उक्त सूची को और धारा २०९ की उपधारा (३) के अधीन उसमें किये गये सभी संशोधनों को भी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत करेगा।

(२) इस प्रकार प्रमाणीकृत प्रत्येक सूची महापालिका के कार्यालय में जमा कर दी जायगी।

(३) जब सम्पूर्ण नगर की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय तब वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध घोषित कर दी जायगी।"

श्री हरिनाथ तिवारी—

मैं खंड २, ३ तथा ४ का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप अन्त में कर लेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ तथा ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—मूल अधिनियम की धारा २११ में उपधारा (२) में, शब्द "नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाले पहली अप्रैल तक" के स्थान पर शब्द "नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली अप्रैल अथवा पहली अक्तूबर, जो भी पहले हो, तक" रख दिये जायं। धारा २११ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

उ० प्र० अधिनियम संख्या ४, १९६६ का संशोधन

६—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ में धारा २ के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "तीन वर्ष ग्यारह महीने" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष और ग्यारह महीने" रख दिये जायें।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में "४ वर्ष और ११ महीने" के स्थान पर "४ वर्ष और ८ महीने" रख दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यह मासूम-सा संशोधन है लेकिन उनको जान लेना चाहिये कि यह अल्पकालिक व्यवस्था थी और यह उनकी अल्पकालिक व्यवस्था सन् ६० से चल रही है और ५, ६ साल समाप्त होने पर भी वह सूची नहीं तैयार करा सके, उसके लिये उनको थोड़ा-सा समय चाहिये। मेरा निवेदन है कि अगर वह चाहते तो सूची बना सकते थे। एक ओर आप स्वयं मानते हैं कि इलाहाबाद में महा-निर्वाचन उसी सूची पर हुआ तो अगर आप नगरमहापालिका का चुनाव भी उसी सूची पर कराना चाहते तो करा लेते क्योंकि सूची में कोई परिवर्तन नहीं है। लिहाजा यह कहना कि सूची तैयार नहीं हो सकी है, गलत है। फिर भी हम कहते हैं दरअसल में यदि आपकी नीयत साफ है तो क्यों दिसम्बर तक लेते हैं? जल्दी से जल्दी चुनाव करा दीजिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि डेमोक्रसी का हनन हो रहा है। आपने वहां के प्रशासक का ट्रांसफर कर दिया है। उसके लिये हम उनकी सराहना करते हैं। कई केस उनके जमाने में चले हैं, किसी का मर्डर करा दिया, किसी की दुकान खत्म करा दी, किसी का कुछ करा दिया और किसी का कुछ करा दिया। उनके कार्यों से जनता त्रस्त थी। मंत्री ने कहा है कि यह बहुत ही मामूली संशोधन है लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है, वह निर्वाचन रोकना चाहते हैं। आप हमारे संशोधन को मान लें और हम तो चाहते हैं कि सितम्बर में ही चुनाव करा दें। यह कहना गलत है कि सूची तैयार नहीं है। हम मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि वे इस संशोधन को मान लेने की कृपा करें।

श्री अनवार अहमद—

मान्यवर, जहां तक चुनाव का संबंध है कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि चुनाव जल्दी से जल्दी न हों। सरकार की कोशिश यही है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायं। इस संशोधन का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा चुनाव कराये जायेंगे और सरकार उनके कराने में कोई भी रुकावट नहीं डालेगी। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे साथी विश्वास करें कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायेंगे।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

श्री धर्मवीर—

यही तो प्रश्न है। इसी पर हम कहना चाहते थे।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप आसन ग्रहण करें। वैसे जब आप उठे थे तो मैंने आपको समय देने के लिये सोचा था। लेकिन यदि आप इसी पर बोलना चाहते हैं तो पहले माननीय धर्मवीर जी बोल लें।

श्री धर्मवीर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के माध्यम से मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनका कहना सही है कि कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव स्थगित हों। लेकिन ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि जब आपने चार नगर महापलिकाओं के चुनाव कराये तो उस समय इलाहाबाद का रह गया और उसके चुनाव नहीं हो सके। ऐसी परिस्थिति आती रही कि सरकार चुनाव नहीं करा सकी।

वहां दो विषम परिस्थितियां हैं। एक तो कर निर्धारण की और दूसरी शहर के विकास की। कुछ सदस्यों की राय अलग हो सकती है लेकिन मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासक के बारे में कई बार सदन में चर्चा हुई और लोगों ने अपनी राय जाहिर की। मेरी भी अपनी राय उनके बारे में अच्छी थी। मुख्य मंत्री जी जो उनको यहां लाये हैं वह उचित दृष्टिकोण से लाये हैं और अब सब लोग उनकी कार्य कुशलता से अवगत हो जायेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है उनकी मुख्य नगर अधिकारी के पद पर नियुक्ति की है। उनकी ईमानदारी और कार्य कुशलता आपके सामने आ जायगी। इसलिये इसके बारे में यहां टीका-टिप्पणी करना बेकार है। पिछली बार जब सवाल आया था तो मैंने उस समय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि इलाहाबाद में ऐसे व्यक्ति को भेजा जाय जिसने ५ साल पहले इलाहाबाद देखा हो वह आज जाकर देखे तो बता सकता है कि कितनी कार्यकुशलता के साथ उन्होंने शहर का विकास किया है। जहां कर निर्धारण की बात है वह बड़ी भयावह स्थिति है क्योंकि इलाहाबाद नगर महापालिका का चुनाव १९५९ में हुआ था उसके अन्तर्गत इलाहाबाद जिले के कई क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित कर दिया गया था। वहां की जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा असेसमेंट किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो असेसमेंट हुआ है, उसमें बड़ी ज्यादती हुई है। उसका दोष मैं सारा श्री महमूद बट को नहीं देता हूं। मैंने इस बात को जानने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि इसमें उन अधिकारियों का अधिक दोष है जिन्होंने असेसमेंट किया है। उन्होंने उसमें पक्षपात किया है। एक मकान का उन्होंने ५०० रुपया असेसमेंट किया है तो बगल के मकान का ही ५ हजार कर दिया है, जिसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं दिया जा सकता। कायदा यह है कि अगर मकान में कोई ऐडीशन या आल्टरेशन नहीं हुआ है तो उस मकान पर २५ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रख कर वहां जो कर बढ़ाया गया है वह बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। देहाती क्षेत्र जो शामिल किये गये हैं उनमें बहुत लापरवाही असेसमेंट करने में बरती गयी है। किसी गरीब के पास एक मकान है जो कच्चा है और जिसमें ४–५ कोठरियां हैं और उसके पास ही एक दूसरा मकान है जो पक्का बना हुआ है और उसमें बड़े-बड़े ४–५ कमरे हैं दोनों को ही एक ही प्रकार से असेस कर दिया है। इसलिये तत्काल सरकार ने इन्टरफियर करके असेसमेंट को रुकवा दिया। अगर चुनाव नहीं होते तो आदेश यह जारी किये गये हैं कि वहां पर जो असेसमेंट होगा वह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जायगा। इसलिये अगर आप चुनाव दिसम्बर तक ले जाते हैं तो असेसमेंट टल जायगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप एक साहसिक कदम उठाकर चुनाव फौरन करा दें। मेरी अपनी राय है अगर दिसम्बर तक चुनाव टाला गया तो दिसम्बर तक असेसमेंट भी रुक जायगा। असेसमेंट के द्वारा महापालिका की जो आमदनी बढ़नी चाहिये वह भी नहीं बढ़ पायेगी और हो सकता है वह अपने कर्मचारियों का वेतन भी न दे पाये।

[श्री धर्मवीर]

कर्मचारियों की महंगाई और भत्ते की मांग चल रही है, वह भी नहीं दे पायेंगे। स्वीपर्स की भी तनख्वाह और वर्दी वगैरा की मांगे चल रही हैं, उन पर भी मेरा खयाल है तब तक विचार नहीं हो पायेगा। विकास के कार्य भी रुके रहेंगे। इसलिये मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर वे बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करें।

जहां तक चुनाव सूची का सवाल है वह तैयार है। उसके तैयार न होने की दुहाई देकर इलेक्शन न कराया जाना उचित नहीं है। सूची तैयार है इसलिये अप्रैल या मई में आप चुनाव करा दीजिये। सारे दलों के लोग अब ऊब गये हैं और आपको जल्द से जल्द प्रशासन को जन प्रतिनिधियों को दे देना चाहिये। इसलिये आप इसमें दिसम्बर के बजाय जुलाई रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी इस विषय में चाहें तो माननीय मुख्य मंत्री जी से सलाह कर लें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर ठीक से विचार करें और शीघ्र से शीघ्र चुनाव की तिथि निश्चित कर दें और माननीय सदस्य भी तब अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री राजितराम पांडेय---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और उनके साथ इस्तदुआ भी करूंगा कि इलाहाबाद में पिछले दो तीन सालों में जितनी गड़बड़ी हुई है शायद उतनी बड़ी गड़बड़ी बर्तानिया हुकूमत के जमाने में भी न हुई होगी। श्रीमन्, चरण सिंह साहब की सरकार है और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि उनका प्रशासन करने का ढंग अच्छा है। भले ही इलाहाबाद के बड़े लोगों ने महमूद बट के वहां से आने पर उनको धन्यवाद न दिया हो लेकिन वहां का रिक्शावाला और गरीब आदमी चरण सिंह साहब को आज धन्यवाद दे रहा है। उनको मालूम नहीं है कि बट के जमाने में औरतों को भी बड़ी तकलीफ रही है। श्रीमन, यह सारा दोष कि आज तू तू मैं मैं हो रही है वहां पर चुनाव न कराने के कारण ही है। इसीलिये वहां पर तानाशाही हुई थी। मैंने मंत्री जी से भी कहा था कि आप बी० के० डी० के लीडर हैं और आपके पास गरीब आदमी हैं लेकिन आप पर जूं नहीं रेंग रही है जो इतना बड़ा जुर्म हो रहा है। और वहां पर चुनाव हुये होते और जम्हूरियत कायम हुई होती तो वहां इतनी तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा था कि अगर आपको बट साहब से सफाई कराना है तो आप लखनऊ में करावें। अगर बट ने सिविल लाइन की सड़क सजाई तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इलाहाबाद नगर पालिका को खोखला कर दिया है। जब आप चुनाव करायेंगे तो जो लोग काम करने जायेंगे उनके लिये प्रशासन चलाना मुश्किल हो जावेगा। उस पर कर्जा लद गया है। उन्होंने सिविल लाइन की सड़क सजाई है लेकिन उन्होंने जहां से संड साहब चुनकर आये हैं वहां के लिये क्या किया है? इसी तरह से शहर के दूसरे मुहल्ले हैं, वहां के लिये उन्होंने क्या किया है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि "कराया जायगा" यह शब्द आप निकाल दें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि श्रीमन, आज आप इस कुर्सी पर हैं और चूंकि यह हटती रहती है इसलिये इलाहाबाद का चुनाव जल्द से जल्द करा दें। "होगा" का "गा" वाला शब्द आप निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ में "४ वर्ष और ११ महीने" के स्थान पर "४ वर्ष और ८ महीने" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

७—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश नं० १०, १९६९ का निरसन

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अनवार अहमद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९†

खाद्य तथा रसद् उपमंत्री (श्री राम किंकर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ में पास हुआ था और उसके तहत इसकी अवधि १९६४ तक थी। फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा विधान मंडल ने उसकी अवधि दो वर्ष के लिये बढ़ा कर १९६६ तक कर दी और तीसरी मर्तबा जब कि प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन था, राष्ट्रपति ने अधिनियम संख्या ३६, १९६८ की अवधि को १४ दिसम्बर, १९७० तक के लिये बढ़ा दिया। लेकिन संविधान के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि उसे विधान मंडल में लाया जाय और उसे पास कराया जाय। इसीलिये यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कोई खास बात नहीं है। पहले यह ६ वर्ष तक के लिये था, अब इसको ८ वर्ष के लिये कहा गया है। इस प्रकार १४ दिसम्बर, १९७० तक के लिये इसकी अवधि बढ़ा दी जाय। इसकी नियमावली है और सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं की चल और अचल सम्पत्ति का नुकसान और हस्तान्तरण न हो, इस अधिनियम में ये सारी चीजें हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत मंडल आयुक्त नियुक्त किये गये हैं और १५ जिलों में सहायक मंडल आयुक्त नियुक्त

†५ मार्च, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामकिंकर]

किये गये हैं और इनवेस्टीगेशन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। वे सारे काम को देखते हैं कि किसी प्रकार से इन धार्मिक संस्थाओं की चल और अचल सम्पत्ति को क्षति न पहुंचे। केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन एक पब्लिक ट्रस्ट बिल है। जब वह बन जायेगा और पारित हो जायेगा तब हम उस रोशनी में देखेंगे कि हमें क्या करना है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसलिये सदन से मेरा निवेदन है कि इसकी अवधि को बढ़ाया जाय।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं इसमें यह संशोधन पेश करता हूं। उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

मान्यवर, यह सन् १९६२ में पास किया हुआ एक अस्थायी अधिकार था। ८ साल गुजर गये और अभी तक सरकार कोई व्यापक विधान न ला सकी। इसके उद्देश्य और कारण में बतलाया गया है कि अभी तक व्यापक विधान को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। क्या ८ साल काफी नहीं था इसके लिये? और इसी बीच में भारत सरकार ने एक पब्लिक ट्रस्ट बिल तैयार किया है। मैं बनारस कांस्टीटुएंसी को रेप्रेजेंट करता हूं। बनारस भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और वहां पर मन्दिरों की भरमार है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में, जितने मन्दिर बनारस में हैं उतने और कहीं नहीं हैं। इनका ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका एक नमूना मैं आपको बतलाना चाहता हूं। डेढ़ दो सौ साल पुराना वहां पर एक बैजनाथ धाम मन्दिर है जिसके चारों तरफ उसकी तमाम प्रापर्टी व कमरे हैं। आज से ४७--४८ साल पहले श्री चन्द्रशेखर आजाद उस मन्दिर के बोर्डिंग हाउस में एक होस्टलर की तरह से रहते थे। उनके वहां रहने के कारण हम उस स्थान को अपना तीर्थ स्थल मानते हैं जहां काकोरी केस के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी जाकर १५–१६ दिन तक टिके थे। उसी बैजनाथ मन्दिर में श्री अशफाक उल्ला खां भी जाकर रहे थे। उस मन्दिर में अशफाकउल्ला खां, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी भी गये थे। झांसी के डा० भगवान दास माहौर तथा सदाशिव राव जो पुराने क्रान्तिकारी थे, जब मैं उन लोगों को लेकर चन्द्र शेखर आजाद कहां रहते थे दिखलाने के लिये गया तो वे जिस लाज में रहते थे उसको उन्हें दिखलाया। इस समय वहां की क्या हालत है? चारों तरफ से लाज अलग कर टुकड़ा कर दिया गया है और डिफरेंट पार्टीज को बेंच दिया गया है। वहां पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। ट्रस्ट बना कर आज भी वहां पर बिक्री जारी है और उसकी कोई रोकथाम नहीं है। पिछले चुनाव होने के दो तीन महीने के बाद की बात है। मेरे मोहल्ले के पास काली मठ का मन्दिर भी है। वहां पर भी लाखों की सम्पत्ति है। जब मैं एक बार यहां से बनारस पहुंचा तो कुछ लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि कानपुर के एक परिपूर्णानन्द जी वर्मा हैं जो कई आर्म्ड सिपाहियों को लाकर काली मठ के मन्दिर पर कब्जा कर लिये हैं। मन्दिर में दो सिपाहियों का पहरा भी है। कोई आदमी ताला को तोड़ कर कब्जा नहीं कर सकता है। चल सम्पत्ति को मन्दिर के अन्दर रख कर ताला लगा दिया है। मैं खुद उनको साथ लेकर वहां गया और महन्त से बातें की। मैंने मन्दिर के कागज-पत्रों को भी देखा। उनको देखने से मालूम हुआ कि हाई कोर्ट में इससे संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है और उसके आर्डर्स हैं कि इस पर किसी को कब्जा नहीं दिया जाय जब तक कि मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में। मैं कोतवाल साहब से भी मिला और वहां के एस० एस० पी०, श्री राधेश्याम शर्मा को भी फोन किया। रात ज्यादा हो गई थी। सुबह मैंने श्री राम बहादुर सक्सेना, जिला मजिस्ट्रेट को फोन किया और हाई कोर्ट का जजमेंट भी बताया। मैंने कहा कि वह कब्जा नहीं कर सकते हैं इससे कन्टेम्पट आफ कोर्ट हो जायगा। ऐसी ही सलाह मैंने मन्दिर के महन्त को भी दी। उन्होंने कहा कि २४ घन्टे का सवाल है मैं जरा एस० एस० पी० से बातचीत कर लूं। मैं उसी दिन लखनऊ वापस आ गया और वहां पर १०,

१२ दिन रह कर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि महन्त या पुजारियों ने कुछ नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। महन्त ने बताया कि यहां मन्दिर का चढ़ावा करीब ४५० रु० सिटी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जमा है। उन्होंने कहा कि मैं यह देख रहा था कि वह चढ़ावा हमको देते हैं या ट्रस्ट को देते हैं। यह सुन कर मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा जो पुलिस के दो सिपाही वहां पर पहरा दे रहे थे उनको चाय पिलाने के लिये ले जाओ। जब वह चले गये, क्योंकि मैं पुलिस के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, मैंने हथौड़ा लिया और मन्दिर का ताला तोड़ डाला। जो वहां के किरायेदार थे उन्होंने इस में हमारा साथ नहीं दिया। हथोड़ा एक महिला ने दिया। हमने लोगों से कहा कि तुम्हारे रहते ताला फिर नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मस्जिद में तो ताला नहीं लगता है फिर ताला लगाने की चेष्टा हुई। यह सब कार्य श्री परिपूर्णानन्द वर्मा तथा उनके साथियों का था, जो उनके पिट्ठू थे। महिलाओं ने रेजिस्ट किया खून खच्चर हो गया। वे भी थाने में पहुंचे और मैं भी पहुंचा। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों पर हाथ चलाते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ८ साल से अब तक यह विधेयक क्यों नहीं बना? यह ८ साल तक क्यों लटका रहा? क्या यहां पर भी आई०सी०एस० बैठे हुए हैं? यह कार्य तो लीगल रिमेम्ब्रेंसर का था। वे तो नान-टेक्निकल नहीं थे और न ऐसी ही बात है कि उन्हें वकालत का ज्ञान नहीं था। मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता है कि इस डिपार्टमेंट का अधिकारी भी एक आई० सी० एस० की तरह था जो इतने दिन तक बैठा रहा और कानून नहीं बनाया।

अभी हम ट्रेन में जा रहे थे। रास्ते में एक इन्जीनियर साहब मिले। उनसे मेरी बात हुयी, उन्होंने कहा कि वे रुड़की में पढ़ते थे।

श्री उपाध्यक्ष--

इस विषय पर दूसरे लोग भी बोलेंगे। आप संक्षिप्त करें।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी--

तो इसको जल्दबाजी में न किया जाये। इसको थोड़ा समय दिया जाये और विवेकपूर्वक इस पर विचार किया जाये। जैसा कि सुझाव दिया गया है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मैंने संशोधन को पढ़ तो दिया ही है। वह आपके सामने है। उसे पास कराने की कृपा करें।

*श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे यह समय दिया है। इस संशोधन के समर्थन में मैं कुछ बातें मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सार्वजनिक हिन्दू नाम जो उसमें रख दिया गया है उसी में मन्त्री जी सुधार करें। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक कामों और परम्पराओं के लिये प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है और आज भी उसके लिये प्रसिद्ध है। तमाम भारतवर्ष के लोग इस प्रदेश के मन्दिरों को और अन्य हिन्दू संस्थाओं को देखने आते हैं। यहां पर दक्षिण भारत से भी लोग आया करते हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि आज तक उन मूर्तियों, उन संस्थाओं और उन मन्दिरों को ठीक हालत में नहीं रखा गया है। उनकी प्रशंसा और बहबूदी को ध्यान में रखते हुए उनका उचित रखरखाव आवश्यक था। मेरी समझ में यह राज्य सरकार का पुनीत कर्त्तव्य है कि वह उनकी रक्षा करे, उचित संरक्षण प्रदान करे और उनको सदन गिरने से बचाये। उनकी सुन्दरता को बढ़ाने के लिये, उनके आकर्षण पैदा करने के लिये जो कुछ भी आवश्यक हो, इस सरकार को करते रहना चाहिये। उनकी निगरानी करना सरकार का कर्त्तव्य है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चरण]

साथ ही साथ में उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री जी से कह देना चाहता हूं कि विधेयक को इतने दिन तक रोके रहना सरकार के लिये मुनासिब नहीं था। जो हमारी धार्मिक संस्थायें हैं वहां पर हजारों–लाखों की संख्या में दर्शनार्थी जाते हैं, परन्तु उनकी सुख-सुविधा को देखने का कोई प्रबन्ध नहीं है। दर्शनार्थियों और पुजारियों की सुख सुविधा को देखता ही नहीं है और न किसी का उधर ख्याल जाता है। वहां पर कुछ व्यक्ति हैं जिनका कब्जा व्यक्तिगत रूप से उन संस्थाओं पर हो गया है। इन धार्मिक संस्थाओं को बहुत दिनों से वे अपने कब्जे में किये हुये हैं और इस कारण दर्शनार्थियों और पुजारियों को जो सुविधायें मिलनी चाहिये वे नहीं मिल रही हैं। मैंने स्वयं कई स्थानों का चित्रण किया है और देखा है स्वयं जा-जाकर कि उन यात्रियों की आपदाओं, विपदाओं और कठिनाइयों को नहीं देखा जाता है। उनको नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। मैंने देखा है कि हजारों की संख्या में यात्री बैठे हुए हैं और अगर वर्षा होने लगी तो उनके बचाव का कोई प्रबन्ध नहीं है। अगर आंधी आ जाय, पत्थर पड़ने लगे या तूफान आ जाये, तो यात्रियों के बचाव की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात मन्त्री महोदय से कह देना चाहूंगा कि इस विधेयक में सुधार करें और जैसा कि बख्शी जी ने कहा है इसको प्रवर समिति के अधिकार में दे दें। इसमें विशेष जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष ध्यान देना ही इस संबंध में अधिक उपयुक्त होगा। इसलिये इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए इस विधेयक के बारे में अपने स्पष्ट शब्दों से यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि जैसे माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल के विषय में कहा है कि भारत सरकार ने एक पब्लिक ट्रस्ट बिल तैयार किया है और अब वह अति शीघ्र कार्य रूप में परिणत होगा। सिर्फ दिसम्बर ७० तक के लिये ही मंजूर किया जा रहा है और जहां तक इस बिल की मंशा है, इसका उद्देश्य है उसको देखते हुये जितनी भी अनियमिततायें होती हैं उन पर रोक रखने के लिये इस बिल का स्वागत करना चाहिये। यह बात दूसरी है कि हम विरोध पक्ष में हैं इसलिये विरोध करें। अन्यथा हिन्दू संस्कृति के नाम पर, सार्वजनिक संस्थाओं के नाम पर जो लूट हो रही है उसे रोकने के लिये जितने भी कदम उठाये जायं वे कम हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन बद्रीनाथ और केदारनाथ की कमेटी आज से नहीं सन् ३९ से है। इन कमेटी का एक विधान बना दिया गया है। यह बिल प्राइवेट संस्थाओं से भी संबंधित है। लेकिन आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी संस्था है जिस पर संपूर्ण भारतवर्ष की आस्था टिकी हुई है लेकिन फिर भी वहां अनेक प्रकार की अनियमिततायें होती हैं। इन अनियमितताओं को किस प्रकार रोका जाय इस लिये मैं एक-एक करके एक-एक विषय की ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे बड़ी गड़बड़ी वहां प्रसाद की होती है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि प्रतिदिन डेढ़ मन से दो मन तक का प्रसाद अर्थात् चावल पकता है। उसके लिये रुपया जमा करवाया जाता है।

एक दूसरी प्रथा है जिसको कहते हैं 'अटका'। जितने भी यात्री और दर्शनार्थी बद्रीनाथ पहुंचते हैं उन्हें अटका के लिये निमंत्रित किया जाता है। उसमें कम से कम तीस रुपया देना पड़ता है। वह रुपया जमा कर दिया जाता है और उस रुपये का जो ब्याज होता है उसके आधार पर उन्हें प्रसाद भेजा जाता है। यह अटका लाखों में जमा होता है लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। वह अटका केवल अटके में ही लगा हुआ है। दूसरी प्रथा अभिषेक की है। १५१ रु० का अभिषेक प्रत्येक आदमी से आता है सिर्फ इसलिये कि दर्शन करने के लिये सामने बैठ जायं। तीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी और बैठ सकते हैं। इस तरह पांच अभिषेक होते हैं और प्रत्येक अभिषेक में ४५–४५ आदमी बैठते हैं। इससे काफी रुपया आता है जिसके हिस्सेदार हैं रावल साहब। इन्हें दस प्रतिशत मिलता है। बाकी हिस्सा कहां जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं। इसके बारे में कई दफा चर्चा उठाई गयी लेकिन वहां के अधिकारि वर्ग और सरकार पता नहीं क्यों मौन है। यह प्रश्न संदिग्ध बना हुआ है। एकाउन्टेन्ट खरे साहब थे जिनके ऊपर आज भी मुकदमा चल रहा है लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। वहां पुरुषोत्तम बगवारी एक अधिकारी थे। पता चला कि पौने सात लाख रुपया देहरादून के एक बैंक में जमा किया। तत्कालीन मंत्री माननीय मंगला प्रसाद जी थे जिनकी हिस्ट्री है कि जब से वह कमेटी बनी वे उसमें हैं। उस समय के मुख्य कार्याधिकारी महोदय श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी थे। वह रुपया वहां जमा कर दिया गया। आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। इससे भी बढ़ कर एक और करिश्मा वहां देखिये। वहां १५ मेम्बर होते हैं। वह कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं इनमें न जाकर मैं यह बताऊंगा कि वह करते क्या हैं। पिछले वर्ष एक मीटिंग में वहां के एक मेम्बर को बम्बई जाने के लिये निमंत्रण दिया गया। हम सब लोग तो तीसरे दर्जे में बैठ कर आज भी जाने के लिये तैयार हैं लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वह महाशय हवाई जहाज से बम्बई पहुंचे। उनका हवाई जहाज का बिल तीन हजार रुपया हुआ और सारा बिल ८ हजार का, जो भुगतान कर दिया गया। एक और व्यवस्था कर दी गयी है। बदरीनाथ समिति के जितने भी मेम्बर हैं उन्होंने एक नयी खोज की है। मैं समझता हूं कि हमारे टूरिस्ट विभाग को उनसे शिक्षा लेनी चाहिये। उन्होंने ५ आदमियों को इसलिये इस वर्ष नियुक्त किया है कि वे सारे भारतवर्ष में भ्रमण करेंगे और जितने भी धार्मिक भावना के लोग हैं उनके पास जा जा कर बदरीनाथ और केदारनाथ के लिये चन्दा इकट्ठा करेंगे और उनको वहां आने के लिये कहेंगे। और आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि सब के लिये फर्स्ट क्लास से लेकर हवाई जहाज तक की व्यवस्था का पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि हमारी ये धार्मिक संस्थायें जो इस प्रकार से विलासिता की ओर बढ़ती चली जा रही हैं इसका अन्त क्या होगा। हमारे वहां मुख्य अधिकारी हैं जिनको १२ सौ रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, टी० ए०, डी० ए० मिलता है और आवास की व्यवस्था फ्री वहां भी और लखनऊ में भी। अब हिसाब में गड़बड़ी चल रही है इसलिये उन्होंने टी० ए०, डी० ए० का बिल तो नहीं बनाया है लेकिन अग्रिम धनराशि अपनी जेब में पहले ही रख ली है जिसे वह जिस प्रकार चाहें सदुपयोग, लेकिन मेरे शब्दों में दुरुपयोग, कर सकते हैं।

एक और प्रश्न है रावल का। रावल केवल केरल से आता था और आज भी आता है। लेकिन उसके लिये कुछ शर्तें थीं—वह आजन्म ब्रह्मचारी रहेगा, नियम के अनुसार मंदिर की पूजा पाठ करेगा, किसी प्रकार के ऐशोआराम में नहीं रहेगा। परन्तु वर्तमान रावल साहब की पहली विशेषता तो यह है कि सिर्फ मंदिर में पहुंचने पर ही धोती, कुरता पहनते हैं अन्यथा एक अच्छे अंग्रेज की तरह दिखायी देते हैं। मैं नहीं कहता कि वह ऐसा क्यों करते हैं लेकिन जो इससे भी मुख्य बात है वह यह कि कहां तो रावल को आजन्म ब्रह्मचारी रहना चाहिये लेकिन इनके साथ राज-अम्मा नामक एक बहुत ही सुन्दर विदुषी हर समय रहा करती है। यह बदरीनाथ की सेवा करने वाले राव ल महोदय हैं जिनको तनख्वाह अलग मिलती है, अटका, जिसका मैंने अभी वर्णन किया, १० परसेंट उसमें से मिलता है और पूजा करने का १० परसेंट अलग मिलता है। अब उन्होंने एक और काम शुरू कर दिया है। अब कमरे में पूजा होती है। तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इन धार्मिक संस्थाओं के भीतर जो अनियमिततायें हो रही है अगर वे सब समाप्त हो जायं और जनता को विश्वास होने लगे, जैसे सब लोगों का विश्वास भी है, हम चाहते हैं कि इन धार्मिक संस्थाओं में जो आज अनियमिततायें चल रही हैं वे समाप्त हो जायं। हमारा विश्वास भारतीय संस्कृत के प्रति अटूट है हम चाहते हैं कि वह टूटने न पाये। मैं सरकार का ध्यान जो हमारी सब से बड़ी बद्रीनाथ केदारनाथ की धार्मिक संस्था है उसकी ओर आकृष्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आगे जून में जो वहां की कमेटी है उसका कार्यालय समाप्त होने वाला है, उसको समाप्त कर के नई समिति का गठन किया जाय ताकि अनियमिततायें न हों और

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

लोगों के हृदय में हमारी जो धार्मिक संस्कृति है जो हमारी परम्परायें हैं उनके प्रति कोई अनास्था या अविश्वास न हो । अतः मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इन दोषों को समझ कर उचित कदम उठाये जायं । अन्त में इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इसकी भावनायें बहुत अच्छी हैं क्योंकि इसके द्वारा जो अनियमिततायें हैं जो कुकर्म हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आपके दल के लोगों ने कहा था कि ४ बजे तक आज ही सब विधेयक पूरे करने हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मेरे नाम तो संशोधन है अभी इस पर बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी दूसरे और विधेयक भी आगे हैं उनमें भी समय लगेगा, आपका ही प्रस्ताव था कि ४ बजे तक सब हो जायं ।

श्री हरिनाथ तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी माननीय नौटियाल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इन धार्मिक संस्थाओं में और एक्ट में जो अव्यवस्था है उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया । उन की बातों से यह सिद्ध होता है कि इन संस्थाओं में जो सरकार ने ले ली हैं वहां पहले से भी ज्यादा गड़बड़ी हो रही है । आपने वहां की दशा को बहुत विस्तार से बताया । यह ठीक है कि ऐसे संशोधन से बल मिलता है । यह धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति अपव्यय निवारण का विधेयक सन् ६२ में बनाया गया था और इसे अब ८ वर्ष हो गये हैं । आप देख रहे हैं कि यह लगातार जितने भी आर्डिनेन्स आये या यह बिल रखे गये हैं, सब समय बढ़ाने के ही हैं, चाहे वह टेम्पोररी रेन्ट कंट्रोल का विधेयक हो, उत्तर प्रदेश महापालिका संशोधन विधेयक हो, या उत्तर प्रदेश जिला परिषदों का विधेयक हो, या मुसलिम वक्फ्स का विधेयक हो, सभी में सरकार की तरफ से समय बढ़ाने की मांग की गई है । आप देखें कि सदन का अधिवेशन पिछले साल केवल ३०--३२ दिन ही हुआ और पूरे साल खाली रहा, हमारे यहां जो यह अफसरों की विधि विभाग और ड्राफ्टर्स की फौज बैठी है वह क्या किया करती है । ६२ में यह ऐक्ट बना था और आज ८ साल हो गये कुछ नहीं होता और समय बढ़ाया जाता है । अगर वाकई कोई अपव्यय रोका गया होता तो हम अवश्य समय बढ़ाने की बात स्वीकार करते । 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' माननीय मंत्री जी स्वच्छ प्रशासन लायेंगे क्या इससे यह बात जाहिर होती है ? वह गलत चल रहे हैं और जब उन का स्वयं का ही एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है तो इन संस्थाओं का तो वह सत्यानाश ही कर देंगे । अभी माननीय सदस्य ने बताया कि अधिकारी उड़ते है तो उन का खर्च ३ हजार का होता है, अगर वह महंत होते तो २ आने भी खर्च न होते और उनको उनके शिष्य ही ले जाते और संस्था का खर्च बच जाता । उस तरफ से एक ब्योरा देना चाहिये कि इन ८ वर्षों में हमने इतने संशोधन लिये हैं और उनसे हमने कितनी बचत कर ली है । ये केवल समय चाहते हैं । मेरी तो निश्चित राय है कि अब आपको समय नहीं मिलना चाहिये और जैसा कि संशोधन में प्रार्थना की गयी है इसको प्रवर समिति में भेज कर एक स्थायी विधेयक सदन के समक्ष आये जिसमें सारी चीजों को एक साथ रख दिया जाय और बार-बार संशोधन लाने की आवश्यकता न हो ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मायन्वर, मेरी प्रार्थना है कि माननीय कल्यान सिंह जी के बोलने के उपरान्त मुझे ५ मिनट का समय दे दिया जाय जिसमें मैं भी अपने विचार इस महत्वपूर्ण विधेयक पर रख सकूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन, इस पर हमारे दल के किसी सदस्य को आपने मौका नहीं दिया है । कृपया मुझे बोलने दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके दल के कई सदस्य बोल चुके हैं ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय नौटियाल जी ने, उपाध्यक्ष महोदय, वहां का एक चित्र उपस्थित किया है कि किस प्रकार का "अटका" होता है । लाखों रुपया आता है । हमारी सरकार इसको उसी रूप में रखना चाहती है तो कैसे यह जो "अटका" है उसका "खटका" मिटेगा । श्रीमन्, १९६२ में यह विधेयक आया था । १९५५ से १९६२ तक अर्थात् ७ वर्ष तक यह सलैक्ट कमेटी में पड़ा रहा । यह कमेटी के सदस्यों ने सारे देश के तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और लगभग १ १/२ या २ लाख रुपया खर्च हुआ और जब यह विधेयक आया तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम इसे केवल २ वर्ष के लिये ला रहे हैं । सन् १९६४ में समय बढ़ा और फिर १९६६ में समय बढ़ा । अब फिर समय बढ़ाने की मांग है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सरकार एक कोम्प्रिहैन्सिव बिल नहीं ला सकी और कौम्प्रिहैन्सिव ऐक्ट न बना सकी । जहां तक इस बिल के उद्देश्य और कारण का सम्बन्ध है उसमें दो मत नहीं हो सकते हैं । सार्वजनकि धार्मिक संस्थाओं में धन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको तो रोकना ही चाहिये लेकिन सरकार के ऊपर मेरा निश्चित आरोप है कि वह टालमटोल की नीति अपना रही है । भारत सरकार के बारे में कहा गया है कि वे कोई पब्लिक ट्रस्ट बिल बनाने जा रहे हैं लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे विषय पर विचार ही न कर सके और केन्द्रीय सरकार ही विचार करे । उत्तर प्रदेश और मामलों में भी, उदाहरणार्थ गरीबी में भी नेतृत्व कर रहा है और इस मामले में भी सारे प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है । उत्तर प्रदेश की सरकार एक आदर्श प्रस्तुत करे और ऐसा कम्प्रीहैन्सिव बिल लाये जिसके द्वारा प्रदेश के अन्दर हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है, अव्यवस्था हो रही है वह रोकी जा सके । किन्तु जब तक एक कौम्प्रीहैन्सिव बिल नहीं आयेगा, तो बार-बार केवल समय बढ़ाने से समस्या नहीं हल हो सकती ।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बख्शी जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

जिन हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के बारे में यह विधेयक लाया गया है, मेरी समझ में हिन्दू धार्मिक संस्थायें अपने को कोई संस्था कहने के लायक नहीं रह गयी हैं । इसमें कहा गया है कि इसमें हिन्दुस्तान के हिन्दुओं का हित है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी काशी नगरी का रहने वाला हूं । वहां भी धर्म की बड़ी प्रतिष्ठा है लेकिन क्या होता है धर्म की आड़ में आज यह किसी से छिपा नहीं है । वहां पर ७ लाश कांड हुआ है और वे सबके सब मद्रास के रहने वाले थे । वहां पर सारे देश के लोग आते हैं, दर्शनार्थ, उनके साथ क्या व्यवहार होता है वह किसी से छिपा नहीं है । मैं यह आवश्यकता समझता हूं कि जल्दी में इस संशोधन को न लाया जाय । इसे सोच समझकर लाया जाय तकि भविष्य में इसमें कोई गल्ती न रहे ।

[श्री निहाला सिंह]

बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में माननीय नौटियाल साहब ने सारी बातें सदन के समक्ष रख दी हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं भी निवेदन कर दूं। जो मैंने देखा वह यह है कि इन धार्मिक संस्थाओं में पैसे की लूट है, व्यभिचार के अड्डे हैं और अब सारे देश में हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां बेची जाती हैं। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब पैसे के लालच में हम हिन्दू ही मूर्तियों को देश और विदेश में बेचे जा रहे हैं और उसका सेन्टर दिल्ली में है जो हमारे देश की राजधानी है तो कैसे भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। जब हम पैसे के लालच में अपने देवी देवताओं की मूर्तियां तक बेच सकते हैं तो एक दिन वह भी आ सकता है कि जब हम पैसे के लालच में अपने वृद्ध माता पिता को भी बेच सकते हैं। हमें चाहिये कि विधेयक लाने के पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करें और गम्भीरता से सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं किसी एक विशिष्ट धर्म के विषय में नहीं कहता हूं मैं हर धर्म के बारे में कह रहा हूं। आज आप किसी मठ या मन्दिर में जायें तो पायेंगे कि वहां पर अब क्या हो रहा है। वहां पर शराब के अड्डे हैं, जुएं के अड्डे हैं और वहां पर अनैतिकता का व्यापार होता है। आप चाहे काशी में जायें, मथुरा में जायें, प्रयाग में जायें या अयोध्या में जायें, सब जगह की हालत एक सी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन तीर्थ-स्थानों की जांच के लिये ऐसा कोई जांच आयोग बिठा दें जो जांच करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दे कि कहां-कहां भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको किस प्रकार रोका जा सकता है। उसके बाद अगर इस विधेयक को पेश किया जाय तो अधिक अच्छा होगा। चौधरी साहब तो भ्रष्टाचार दूर करने का बहुत बड़ा नारा लगाते थे, अगर वे इन धार्मिक संस्थानों से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कदम उठाये तो उनको बड़ा भारी यश प्राप्त होगा। मान्यवर, चौधरी चरणसिंह के नाम में जो शब्द "चरण" है तो चरण तो इतिहास में दो आये थे---एक तो कलयुग में चला था कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण आदि, और एक चरण अंगद का था। अब इन दोनों चरणों में से माननीय मुख्य मंत्री का कौन सा चरण है? अगर सचमुच में कलयुग का अंतिम चरण है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना, वे भ्रष्टाचार दूर नहीं कर पायेंगे। किन्तु अगर अंगद का चरण है तो वे यह काम कर ले जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन धार्मिक संस्थानों में से भ्रष्टाचार दूर करायें, इसी से आपको यश मिलेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला। सचमुच में इसका प्रसंग बड़ा ही दुखद है। जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा, सन् ६२ का बना हुआ यह एक्ट है, मगर अभी तक इसके नियम आदि नहीं बन सके और यह लागू नहीं हुआ। २ लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ और यह लागू नहीं हो सका, न नियम ही बन सके। यह श्रीमन्, बड़ी दुखद बात है। जिस प्रकार मान्यवर, इन्होंने सीलिंग एक्ट बनाया नहीं, मगर पहले से कह दिया कि हम सीलिंग ऐक्ट लायेंगे, इतनी सीमा निर्धारित करेंगे, मगर कह कर किया कुछ नहीं। नतीजा क्या हुआ? पहले से ही उनकी घोषणा हो जाने के कारण सारी प्रापर्टी का पहले से इन्तजाम हो गया। वहीं इस बिल का भी हुआ। कई साल पहले यह ऐक्ट बना दिया और उसे लागू न करके लोगों को यह मौका दिया कि वे सारी जायदाद को नष्ट कर डालें। मन्दिरों से संबंधित अधिकारियों ने सारी जायदाद को नष्ट कर दिया। इस समय उत्तर प्रदेश में ६०-७० फीसदी जायदाद ऐसी है जो या तो बिक गई है, या रेहन पड़ी है, या मार्टगेज हो गयी है।

एक सदस्य---

यह किस सरकार के जमाने में हुआ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

किसी सरकार के जमाने में हुआ हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन धार्मिक संस्थाओं का इतना अहित हुआ है कि मैं कह नहीं सकता। धड़ाधड़ पट्टे हुए हैं। बनारस के

मन्दिरों के बारे में कहा गया । किसी के चरित्र के बारे में भी कहा गया, मैं एक बात पूछता हूं । मान्यवर, आज हम यह क्यों भूल जाते हैं कि डकैत ही डकती डालता है । वह भी जब डकैती डालने जाता है तो भगवान से प्रार्थना करके जाता है कि हे भगवन मैं डकैती डालने जा रहा हूं, कहीं रास्ते में पकड़ा न जाऊं, राजीखुशी घर वापस आऊं । वह भी भगवान का सहारा लेता है । अगर आज मंदिरों में बैठ कर कोई दुराचार करता है तो मन्दिरों का दोष नहीं है । आज किस जगह चरित्र का ह्रास नहीं हुआ है ? हर जगह चरित्र में गिरावट आयी है । यहां पर भी जो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं वे ७० हजार आदमियों से कह कर आते हैं कि हमारा यह-यह प्रोग्राम है, हमको वोट दो । जब यहां आता है तो उन ७० हजार वोटरों की आंखों में धूल झोंक कर इधर से उधर चला जाता है । आज नैतिकता कहां रह गयी है ? तो श्रीमन्, आज चारो तरफ जनरल गिरावट आयी है । एक जमाना यह भी था कि चोर और डकैत भी अपने को छिपाने के लिये खद्दर की धोती और कुर्ता टोपी पहन लेता था । इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहनने वाले सभी डकैत थे । आज कितने चोर और डकैत हैं जिन्होंने साधुओं का सहारा लिया है । जाने कितने ऐसे हैं जो राम राम करते हैं, रामायण पढ़ते हैं लेकिन मंदिरों में रहते हैं, जब आप कह दीजिये मंदिर भ्रष्ट हैं, मंदिर भ्रष्ट हो गये । इसीलिये यह प्रवर समिति को सिपुर्द किया गया है । जो धर्म प्रिय देश है, जो कहता है धर्म का राज्य हो, रूल आफ ला हो, उसके बारे में इस प्रकार की भावना व्यक्त करना ठीक नहीं है । जिस धर्म ने सबसे पहले रूल आफ ला को स्वीकार किया है उस धर्म की सरकार द्वारा इतनी उपेक्षा बड़ी लज्जा की बात है । मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि आज इस धर्म की रक्षा के लिये हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है । यदि आप अपने को धर्म निरपेक्ष कहते हैं तो सिविल कोड को क्यों नहीं बनाया आजतक एक तरफ उन्होंने चार बीबियों के रखने पर कुछ रोक नहीं लगाई । मैं किसी पर भी कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, किन्तु मुझे विवश होकर यह सब कहना पड़ रहा है । इधर की बातों की जन भावनाओं को आप नष्ट करना चाहते हैं, आप हमारी भावना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं । मैं पूंछना चाहता हूं कि आज १७ वर्ष हो गये, लेकिन आपने ९० प्रतिशत धर्मप्रिय जनता के लिये क्या किया, उनकी किसी भावनाओं के प्रति आपने कौन सा आदर प्रकट किया ? आपको चाहिये था कि आप बहुत पहले कानून बनाते । एक मुदालियर कमेटी बैठी थी, किन्तु आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी । आपकी भी कमेटी बैठी, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई । कमेटी बनाकर मामले को टालने में यह सरकारें बड़ी कुशल रही हैं । धर्म के मामले में सभी ने लात लगाई है । नहीं तो क्या कारण था कि जिन मंदिरों पर लाखों-लाखों की लागत लगी थी, सम्पत्ति लगी थी, उनके सम्बन्ध में कोई कानून आज तक नहीं लागू किया गया । क्या ही अच्छा होता यदि इस प्रकार का कानून बनता किसी मंदिर के प्रबन्धक को खाने पीने का खर्च दिया जाय, किन्तु अमुक गलतियां करेगा तो उसको निकाल दिया जायगा और उसकी सम्पत्ति चढ़ावे का पूरा हिसाब रखा जावेगा तथा उसे धर्म के प्रचार के लिये, भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिये, दर्शन की प्रगति के लिये, गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा व्यय व भोजन देने के लिये तथा निराश्रित लोगों की भरण-पोषण के लिये खर्च किया जायगा । यह किसका दोष है ? यह तो मानव जीवन की दुर्बलता है खाना, पीना और मौज उड़ाना । उस पर आपको प्रतिबन्ध कानून द्वारा लगाना चाहिये था । यदि इस प्रकार का उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा, तो उसका परिणाम स्वाभाविक रूप से यही होगा यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है, मंदिरों को दोष देने से काम नहीं चलेगा ।

सेक्युलरिज्म का अर्थ यदि सरकार यह लगाती है कि धर्म को नष्ट कर दो, तो ठीक है । मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं कहता हूं यह बड़ा ही गहन विषय है कि उनकी प्रापर्टी कैसे बचे १६ आने में चौदह आने तो वह नष्ट हो गई है, और उसका सदुपयोग कैसे हो । आप को ऐसा कानून बनाना चाहिये था कि उनसे सभी गरीब लोगों को चाहे वे किसी धर्म के हों, भोजन मिलता, तो कितना अच्छा होता ? लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया । आपने कुछ दिन झगड़े में बिता दिया, कुछ दिन पाकिस्तान के झगड़े में बिता दिया, कुछ दिन अपने आपसी झगड़े में बिता दिया । आपने धार्मिक संस्थाओं के बारे में घोर उपेक्षा की है, खास कर हिन्दू मंदिरों, ग्रन्थों,

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]]

संस्कृति के बारे में आपने गम्भीर रूप से उपेक्षा की है। इसके लिये मैं इनको कभी बख्श नहीं सकता। आज भी मैंने अखबारों में पढ़ा पाकिस्तान में हिन्दू मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है, उनको गंदा किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। आपको इसके लिये जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिये था, नहीं किया। इस ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज यह मौका आया है, कुछ तो काम करें। दूसरी तरफ रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो करें। दुनिया में जाकर यहां के लोगों की भावना को व्यक्त करें। दुनिया से डर के हम चलें, सरकार की यह भावना हमें पसन्द नहीं है। आप दूसरी जगह अपना रोष दिखावें। सात्विक तरीके से रोष दिखाइये ताकि उन प्रिय और पवित्र चीजों को उसी आदर और पवित्रता की भावना से वे देखें और यहां जो धरोहर बची है, उसकी रक्षा करें, उस जीवन दर्शन और रोशनी की रक्षा करें। उसका सदुपयोग करने के लिये नियम बनायें, बोर्ड बनायें या ट्रस्ट बनायें। इससे समाज का कल्याण होगा। किसी ने मखोल किया कि हिन्दू धर्म में यह होता है। बड़ी तारीफ की बात की। अगर हम कह दें कि हमारे बुजुर्ग बहुत खराब हैं, तो बहुत तारीफ की बात है। किसी ने स्वामी विवेकानन्द से पूछा कि आप मंदिरों की बड़ी तारीफ करते हैं। हम सुनते हैं कि अयोध्या के मंदिरों में बैठ कर रंडियां नाचती हैं। ठीक कहते हो। तुम्हारी ऐसी भावना है। हम यह कहते हैं कि सबसे पवित्र भावना मंदिर में रहती है। रंडियों को पवित्र करना चाहिये। इसी बहाने हम उनको ले जाते हैं। आज हम लोग अपनी धरोहर की रक्षा नहीं कर पाते। सारी बातें प्रवर समिति के सुपुर्द हों और जो धरोहर बची है हम उसकी रक्षा करें, उसका सदुपयोग करें। जिन माननीय सदस्य ने भावना व्यक्त की है कि ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी करते हैं, वे गड़बड़ियां दूर हों, हम सहमत हैं। गड़बड़ियां होती हैं इससे इन्कार नहीं है लेकिन हम दुर्लक्ष्य न करें।

श्री राम किंकर—

उपाध्यक्ष महोदय....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

हम लोग यहां नये नये आये हैं। हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। हम शिकायत आपसे ही करना चाहते हैं। बदनाम कर रही है मुझे यह रिवाजे नौ, साकी निगाहे लुत्फ उधर है इधर नहीं।

श्री रामकिंकर—

मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने प्रस्तुत विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मेरे बुजुर्ग बख्शी साहब ने संकेत किया काशी नगरी की धार्मिक संस्थाओं का।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। यह नियम है यहां, कि कोई लिखित चीज पढ़ नहीं सकता। लेकिन उन्होंने भाषण की शुरुआत की है एक किताब से या पत्रिका से। इस पर मैं व्यवस्था चाहता था।

श्री रामकिंकर—

एक माननीय सदस्य ने यह बताया कि धार्मिक तीर्थ यात्रियों को कठिनाई उठानी पड़ती है। उनकी दिक्कतें हैं। उनको सुविधा मिलनी चाहिये। माननीय नौटियाल साहब ने कुछ गम्भीर आरोपों की ओर संकेत किया। मैं बड़ा अनुगृहीत हूं। अगर वह लिखित शिकायत दें तो मैं जांच करवाऊंगा और कार्यवाही करूंगा। लेकिन इस विधेयक में ऐसी बात नहीं है। केवल अवधि बढ़ाने की है। यह अवधि १४ दिसम्बर, १९७० तक है। कोई समय भी

अधिक नहीं है । जैसा मैंने पहले बताया एक विधेयक पब्लिक ट्रस्ट बिल केन्द्रीय सरकार का है जब वह कानूनी रूप धारण कर लेगा तो हम विचार करेंगे और जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनका ध्यान रखेंगे । इसलिये प्रवर समिति में भेजने का कोई सवाल नहीं उठता ।

जब विधेयक इस तरह से आयेगा तब हम उस पर विचार करेंगे । मैं आदरणीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रवर समिति वाले अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का यह सुझाव है कि मैं अपना संशोधन वापस कर लूं तो मैं इसको वापस नहीं कर रहा हूं । यह बहुत ही अहम मसला है । मैं इस पर अधिक बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे नेता माधव बाबू ने बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया है । मैं इसको वापस नहीं कर रहा हूं । मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लें तो यह झगड़ा सब खत्म हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे) ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २,३,१, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की अवधि को और बढ़ाने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "आठ वर्ष" रख दिये जायें ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३६, १९६८ का निरसन

३—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, १९६८, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

श्री कल्यान सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ के खंड २ की तीसरी पंक्ति में "आठ वर्ष" के स्थान पर "सात वर्ष १० माह" कर दिया जाय यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

बातें सारी आ चुकी है। मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया कि यह मेरा सांकेतिक संशोधन है। केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से रख रहा हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि चूंकि भारत सरकार इस प्रकार का बिल ला रही है तो तब तक के लिये १४ दिसम्बर, १९७० तक इसकी अवधि बढ़ाना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात सन् १९६२ में भी जब यह विधेयक आया था तो कही गई थी कि भारत सरकार इस प्रकार का विधेयक ला रही है। उस समय सरकार इसको २ साल के लिए पास करना चाहती थी। मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि इसको आप भारत सरकार के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। सब माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं और इस प्रश्न का महत्व प्रकट कर दिया है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्पष्ट आश्वासन दें कि अब १४ दिसम्बर, १९७० के पश्चात् फिर इसकी कोई अवधि नहीं बढ़ाई जायगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार काम्प्रेहैन्सिव बिल लाकर उन तमाम दोषों को दूर करने का प्रयास करेगी तो इस समय बताये गये हैं।

श्री रामकिंकर—

उपाध्यक्ष महोदय, दि पब्लिक ट्रस्ट बिल केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है और जैसे ही वह पास हो जायगा तो हम भी सोचेंगे। अब उसमें कितना समय लगेगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जो शिकायत अब बतलाई जा रही है सरकार वह सब समझ रही है। यह सरकार केवल थोड़े दिनों से आई है। लिहाजा कोशिश करेंगे कि यह जल्दी से जल्दी कानून का रूप धारण कर लें और वृहत् कानून बने।

श्री कल्यान सिंह—

मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया इसलिये मैं इसे वापस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ की तीसरी पंक्ति में "आठ वर्ष" के स्थान पर "सात वर्ष १० माह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, प्रस्तावना, और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम किंकर—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९†

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

यह एक छोटासा विधेयक है और सन् ४७ से बराबर चला आ रहा है । बिजली का उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है और सरकार उस पर कंट्रोल रखना चाहती है । लाइसेंसीज पर सरकार कंट्रोल इसलिये रखना चाहती है कि वे ६० दिन का नोटिस देकर कभी भी रेट बढ़ा सकते हैं । किसानों को बिजली में प्राथमिकता देने के लिए कंट्रोल की आवश्यकता है । अब ५ वर्ष के लिए यानी ३० सितम्बर, ७३ तक इसकी मियाद बढ़ाने के लिए यह विधेयक लाया गया है ।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टैम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।)

अभी हाल ही में मिर्जापुर की सप्लाई कम्पनी ने इतनी धांधली की है कि हजारों लोगों के कनेक्शन काट दिये । भूख-हड़ताल वहां चल रही है । जितनी बिजली कम्पनियां हैं उनको सरकार ले ले । लिहाजा इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करके जो भी इसमें खामियां हैं उनको दूर करने के लिए मेरा यह संशोधन है जिसे सदन स्वीकार करेगा ।

श्री राम प्रसाद देशमुख—

जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है वह मेरी समझ में नहीं आया । इसमें तो केवल कंट्रोल की बात ही नहीं थी बल्कि कम्पनियां रेट न बढ़ा सकें इसकी बात भी है। कुछ वह गड़बड़ियां करती हैं । इसमें कोई बात नहीं है प्रवर समिति में ले जाने की हम तो कम्पनियों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं जिससे वे कंज्यूमर्स के साथ गड़बड़ी न कर सकें । दूसरा उद्देश्य यह था कि कम्पनियां जो रोस्टरिंग वगैरा करती हैं उसको रोका जाय ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, हर एक विधेयक के ऊपर हम कह चुके हैं कि सदन बहुत कम बैठता है और पूरा वर्ष अधिकारियों के पास रहता है। क्यों नहीं वे एक काम्प्रीहेंसिव बिल बना कर सदन के सामने रखते । खाली यह कह देना कि यह काश्तकार के हित में है, इससे काम नहीं चल सकता । इसलिये इसको प्रवर समिति में जाने दीजिये ताकि उनके कान खुलें और यदि समुचित विधेयक लाना है तो एक बार में आ जाय, बार-बार न लाना पड़े ।

---

†५ मार्च, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है उसके पक्ष में मैं कहना चाहता हूं मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिर्जापुर में ओबरा विद्युत् गृह बना है। जहां से प्रकाश मिलता है उस नगर की हालत सदन में रखना चाहता हूं। वहां पर बिजली के वितरण की व्यवस्था एक प्राइवेट कम्पनी करती है जहां राष्ट्रीयकरण की बात की जाती है और सरकार चाहती है कि उसके राजकोष में पैसा बढ़े वहां आश्चर्य की बात यह है राज्य विद्युत् परिषद् ने १३ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का ठेका दे रखा है और तीन लाख जनता जो वहां रहती है उसको ४० नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लाइट और फेन के लिए बिजली दी जाती है। अभी हाल में राज्य विद्युत् परिषद् ने कम्पनी को नोटिस दिया कि उसके ऊपर सात लाख रुपये का बकाया है और जनता को भी नोटिस दिया है कि बिजली की सप्लाई बन्द कर देंगे। लेकिन वहां की जनता ने पहली फरवरी, १९७० से आन्दोलन आरम्भ कर दिया है और कहा है कि बिजली कम्पनी का भुगतान हम नहीं करेंगे। उसका कारण यह दिया गया है कि मीटर दोषपूर्ण हैं, बिजली का कंजम्पशन ज्यादा दिखाया जाता है, जहां एक यूनिट खर्च होना चाहिये वहां तीन यूनिट खर्च होते हैं और दूर-दूर क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंचाई जा रही है। बिजली की सप्लाई दोषपूर्ण है। इन गड़बड़ियों की वजह से बिजली कम्पनी को ३६ लाख रुपया सालाना कमा रही है। फिर भी उसके ऊपर सात लाख रुपया बकाया है। कलेक्टर के यहां जनता ने विवाद प्रस्तुत कर दिया है कि इस तरह से कम्पनी धांधली करती है। इस तरह रेनुकोट और ओबरा की जनता बरबाद हो रही है। वहां उद्योग-धंधे नष्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। जनता का शोषण हो रहा है। राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ठेकेदार को तो १३ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है और जनता को ४० पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है। मैंने विद्युत् मंत्री जी को भी प्रार्थना-पत्र दिया है और जिलाधीश को भी ६—७ हजार दरख्वास्तें दी गई हैं। श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमि० को सरकार जल्द से जल्द अपने हाथ में ले ले। इससे सरकार को भी लाभ होगा और जनता को भी राहत मिलेगी वहां की बेरोजगारी दूर होगी। यह ऐसा प्रदेश है जहां पर आये दिन अकाल और सूखा का प्रकोप होता रहता है। भूखी मातायें अपने नन्हें मुन्ने बच्चों तक को बेंच देती हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी मैंने इस बात को कहा था कि भूखी माताओं को, गरीबी और भूख से मजबूर होकर, पशुओं की तरह से बेगार करनी पड़ती है। अगर इस स्थिति को न संभाला गया तो वहां पर आग भड़केगी और तब उसको कोई रोक नहीं पायेगा। ज्वालामुखी को फूटने से बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त कर दें।

श्री विजय बहादुर सिंह—

मैं आपकी बात मानना चाहता हूं, आपकी मर्यादा करना चाहता हूं लेकिन मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जायें।

श्री विजय बहादुर सिंह—

मैं आपका भी आदर करना चाहता हूं और अपने नेता का भी आदर करना चाहता हूं। लेकिन मुझे दो मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जब हम खड़े हैं तो आपको बैठ जाना चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मुझे कितना समय दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट में भी अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं ।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मुझे भी बोलने का समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, मैंने श्री कल्पनाथ सिंह को बुलाया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बड़े संक्षेप में अपना भाषण दिया । जो बिल उन्होंने पेश किया है, अगर मैं ठीक समझा हूं तो सन् ४७ का जो ऐक्ट है, राष्ट्रपति के शासन काल में जिसकी मियाद को बढ़ाया गया था, उसकी मियाद और आगे बढ़ाने के लिये लाया गया है ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

श्रीमन्, मैंने यह कहा था कि यह ऐक्ट सन् ४७ का बनाया हुआ है । उसकी मियाद हर साल बढ़ायी जाती रही है । अब हम उसी को आगे के लिए बढ़ा रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर दें, तब सब बातें कह दें । मैंने आपसे दो मिनट के लिए कहा इसलिये सवा दो मिनट हो जायं तो रोक दें । मैं यह कह रहा हूं कि पहली बात मैं उत्तर में यह जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे कारण हैं कि १९४७ के ऐक्ट में राष्ट्रपति के शासन काल में टेम्पोरेरी तौर पर ५ साल के लिए बढ़ाने की आवश्यकता हुई । कौन से ऐसे कारण हैं कि इस ऐक्ट को परमानेंट शक्ल में सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । दूसरी बात यह है कि क्या कारण हैं जिसके कारण इसमें लिखा हुआ है कि बिजली के उत्पादन, सम्भरण तथा वितरण और उसके वाणिज्य तथा व्यवसाय पर नियंत्रण करने की व्यवस्था की गई है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का सरकार का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर बतलावें कि किन कारणों से सदन से मंत्री जी स्वीकृति चाहते हैं । आप कहते हैं कि जो वाणिज्य तथा व्यवसाय सरकार ने अपने हाथ में ले रक्खे हैं और दूसरे व्यवसाय प्राइवेट हैं उस पर सरकार नियंत्रण रखना चाहती है । मैं जानना चाहता हूं कि कौन से तुलनात्मक दृष्टि से कारण हैं कि जो सरकारी नियंत्रण में बिजली कम्पनियां है या निगम चलाता है उनमें उनमें मंत्री जी क्या कठिनाई है । तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी की जानकारी में ऐसा है कि इन प्राइवेट कम्पनियों में मीटर रीडिंग ठीक से नहीं होती हैं । क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बिजली की भी चोरी होती है । अगर ऐसा होता है तो किस तरह से होता है और कैसे वह इसे रोकने की व्यवस्था करेंगे । तो यह तीन बातें मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं । अगर इन तीन कारणों से मंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया है तो मैं समझता हूं कि जो बख्शी जी का संशोधन है कि यह प्रवर समिति में जाय और विचार-विमर्श हो ठीक है । बढ़ी हुई परिधि में यह आवे और यह सदन उसको पास करे । मेरी समझ में इसमें कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने अभी यह कहा कि एक साल के अन्दर यह प्रस्ताव पास हो सकता था तो जब यह चाहें इसको ले लें और पास करा लें । अगर दूसरे ऐक्ट की शक्ल में लाने के लिए

[श्री कल्पनाथ सिंह]

प्रवर समिति वाले चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इन प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी इसको कबूल कर लें कि यह प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजित राम पांडेय बोलेंगे । आप विषय पर कृपया बोलिये ।

श्री राजित राम पांडेय—

मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं और यहां लायर्स बहुत हैं, फंसा लेते हैं । यह बिजली का विषय है । हमारा जिला बिजली के भ्रष्टाचार का शिकार है और बिजली का आप कानून बनाना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मेरी गुजारिश यह है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है और आपका कानून बड़ा लचर है । किसानों को आप बिजली देना चाहते हैं और मुख्य मंत्री जी किसानों के नेता है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां पम्पिंग सेट और ट्यूबवेल किसानों ने लगाये हैं और इस सम्बन्ध में इलाहाबाद जिले में बडा भ्रष्टाचार है । वहां के सहायक इंजीनियर ने कार्मशियल स्कीम निकाली जिसके अन्तर्गत किसानों को पांच-पांच सौ रुपये घूस देने पड़े । बिजली के लिये आप घूस लेते हैं और घूस का कानून बनाये हुये हैं । कर्मशियल स्कीम के नाम पर सरकार किसानों को लूटती है । पांच सौ रुपये घूस देने के लिये भी किसानों को दो-दो सौ रुपये घूस देने पड़ते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि चूंकि यहां स्वच्छ प्रशासन आने वाला है जिसकी बड़ी डींग हांकी जाती है, आपके बिजली के महकमे में बड़ी जबरदस्त भ्रष्टाचार व घूसखोरी इलाहाबाद में है ।

दूसरी बात यह है कि वहां दो सौ और चार सौ रुपये देने के बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है । विकास के नाम जो आप किसानों को बिजली के लिये राहत देते हैं, वह एक ढोंग है । आपने किसानों को एक तरह से बांड के जरिये बांध दिया है । आपने यह कर दिया है कि जो ७ हार्स पावर का कनेक्शन बिजली का लेगा उसे साल में ९०० रु० देना पड़ेगा । बरसात शुरू हुई और किसान को पम्पिंग सेट के लिये बिजली मिली । किसान की फसल तो बरसात में खत्म हो गयी, उसका गेहूं, मटर, चना ओले की वजह से खतम हो गया फिर भी ९०० रुपये उसे बिजली के नाम पर देना पड़ेगा, चाहे वह अपने खेत को सींचें या न सींचे । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें संशोधन कीजिये और जो कानून आपने बनाया है उसमें से ९०० रुपये के बंधन को हटा दीजिये कि चाहे कोई पानी खर्च करे या न करे लेकिन उसे उतना रुपया देना ही पड़ेगा ।

तीसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले इलाहाबाद के लिये जो कोटा था उसे बन्द कर दिया गया । ३०० का कोटा दिया गया था । बुन्देलखंड को बिजली नहीं दी गयी, देहरादून को बिजली नहीं दी गयी । मेरठ और पश्चिमी जिले तो बर्तानिया के समय से आगे रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों ने हमेशा बगावत की, अंग्रेजी के जमाने में खास कर इलाहाबाद ने बड़ी जबरदस्त बगावत की । श्रीमन, मैं तो देहाती आदमी हूं और इसीलिये देहात से चुन कर यहां भेजा गया हूं कि बिजली, पानी और खाद का जो भी सवाल हो उसके सम्बन्ध में सदन को बतलाऊं । मैं उसे बिना कहे मानूंगा नहीं, चाहे आपको इसके लिये मुझे सदन से निकालना ही पड़े । किसानों ने अपनी बात कहने के लिये ही मुझे चुन कर यहां भेजा है । मैं किसानों में ही रहता हूं और उनके जो जजबात हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । चौधरी साहब से मैं खाने की बात कहता हूं, गरीबों को राहत देने की बात कहता हूं और इनके शासन में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात कहता हूं । इलाहाबाद की करीब डेढ़ हजार एप्लीकेशंस पड़ी हैं बिजली के कनेक्शन के लिये और सरकार कहती है कि इसके लिये बात करो । मैंने तमाम लोगों को बिजली के लिये तकावी के नाम पर पैसे दिलवाये । ५–६ हजार लोगों को पम्पिंग सेट लगाने के लिये बिजली मिलनी चाहिये । उसमें जो पैसा उनका लगा है उसके लिये उनको सूद देना

पड़ता है लेकिन इलाहाबाद के किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिला और जिनको मिला भी उनको इसके लिये ५–५ और ६–६ सौ रुपये घूस में देने पड़े। वहां जो आज इंजीनियर है वह इतनी बेरहमी से किसानों को लूट रहा है जिसकी कोई इन्तहा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

अब कोई और नयी बात तो आपको कहनी नहीं है ?

श्री राजित राम पांडेय––

नयी बात यह कहनी है कि चूंकि एक अच्छी सरकार आयी है और स्वच्छ प्रशासन आया है इसलिये मैं चाहता हूं कि उन कर्मचारियों को हटाया जाय जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

एक बात और यह कहनी है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वे जितने भी बिजली के सामान हैं उनको बेंच रहे हैं। इसलिये मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसके लिये वे एक इनक्वायरी कमेटी बिठायें क्योंकि बिजली विभाग में बड़ा ही भ्रष्टाचार है। वे सारा समान तो बेचवा डालते हैं और बराबर यही कहते हैं कि बिजली के महकमें में घाटा ही घाटा हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक कमेटी बिठा कर इस बिजली के मामले में जो घपला किया जाता है और बड़े बड़े अधिकारियों को जिनको २, ३ हजार रुपया दिया जाता है और बिजली के खिलाफ जो भ्रष्टाचार है उसका निवारण करवाने के लिये प्रयत्न करेंगे। लोग हजारों रुपये का घपला करते हैं।

श्री रामप्रसाद देशमुख––

मान्यवर, यहां पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं कि चोरी होती है, गड़बड़ियां होती हैं और कन्ज्यूमर्स को उससे कितना कष्ट होता है साथ ही साथ जो कर्मचारी जिस तरह से इसमें बेइमानी करते हैं उनका स्वागत करता हूं और इसके लिये उनका कृतज्ञ हूं। मान्यवर, मैं भी इस बात को जानता हूं कि इसमें कहां पर और कौन सी खराबियां हैं। हमारा जो बिजली बोर्ड है उसकी भी कुछ समस्यायें हैं। इसी कारण से अध्यादेश भिजवाया गया था कि इन पर नियंत्रण हो सके और चूंकि इतने शीघ्र विधेयक नहीं आ पा रहा था। इसलिये यह किया गया। माननीय सदस्य ने जैसा कहा तो यह आपका ही विभाग था और उनको मालूम है कि क्या नहीं होता है। इसमें कोई खास बात नहीं थी। हमने कम्पनियों को कहा कि वे ले ली जायं परन्तु जहां पर हमारा एग्रीमेंट हो चुका है वहां तो समय पर ही यह होगा परन्तु यदि उनके यहां गड़बड़ी होती है जो गलत कदम उठाते हैं उनको हम ले लें। जो कम्पनियां चल रही है उन को इस गवर्नमेंट ने नहीं दिया और उनके साथ एग्रीमेंट के आधार पर वे काम कर रही हैं परन्तु अगर किसी प्रकार का घपला वह करती हैं तो हमारी सरकार उनको लेने में कोई कमी नहीं करेगी।

श्री विजय बहादुर सिंह––

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में कम्पनी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जा रहा है।

श्री राजित राम पांडेय––

क्या आपकी भी यह शिकायत थी ?

श्री रामप्रसाद देशमुख––

किसानों के साथ अन्याय होता है। यह बोर्ड है और उसके सामने शिकायत आती है। संविद की जब गवर्नमेंट थी उस समय भी मैंने किसी को नहीं छोड़ा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज भी जो गड़बड़ियां होगी जो हमारे सामने आयेंगी मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यह जो विधेयक है उसमें यह तो एक छोटी सी चीज है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह तो मियाद बढ़ानी ही पड़ेगी। जो कम्पनियां गड़बड़ियां कर रही है, जो रेट

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

की बात है और जिसको यह कह रहे हैं। हम किसान के उत्पादन के लिये कह रहे हैं, वह मालूम नहीं किसको बिजली देंगे या नहीं उसी को कन्ट्रोल करने के लिये मैं विधेयक लाया हूं। मैं भी उसी स्थान पर रहता हूं जहां पर आप रहते हैं और उनकी ये दिक्कतें मुझको भी विदित हैं।

एक सदस्य—

कारण क्या था।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

कारण तो यह है कि कन्ट्रोल की बात है, किसी भी चीज पर नियंत्रण रखना, गड़बड़ी न हो, ज्यादती हो रही है उसको रोकने के लिये। जो आपके सामने विधेयक रखा है, आर्डिनेन्स भेजा था क्या उनको आपने पढ़ा नहीं, जो आपने सवाल उठाया। मीटर के बारे में हमारे सामने समस्या आई है। हम सोच रहे हैं कि इस विषय में क्या-क्या करना चाहिये। आप लोगों के जो सुझाव आयेंगे उसको हम मानेंगे। हम चाहते हैं कि जो आपका संशोधन है उसको आप वापस ले लें।

श्री शतीन्द्र नाथ बख्शी—

मैं तो मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष जी, आपके मार्फत यह अनुरोध करूंगा कि वह यह हमारा संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९।

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७

यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफस कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को सीमित अवधि के लिये जारी रखने का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७ की धारा १ का संशोधन

२—यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में अंक "१९६८" के स्थान पर अंक "१९७३" रख दिये जायं।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २६, १९६८ का निरसन।

३—उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (जारी रखने का) अधिनियम, १९६८ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामप्रसाद देशमुख—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री निस्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कल भी समय निकल गया था। अब नियम ५१ का समय है।

प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था बिगड़ने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब जो कार्य बच गया है, कल होगा।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुयी स्थिति के बारे में प्राप्त हुयी थी। उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत आज जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं, व इस प्रकार हैं:—

(१) सर्वश्री हिम्मत सिंह, शचीन्द्र नाथ बख्शी तथा राम निहोर राम ने फतेहगढ़ के व्यापारियों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के बारे में सूचना दी है।

(२) माननीय राम गोपाल संड ने इलाहाबाद में नक्सलपंथियों द्वारा खलिहान लूटने व खेत जलाने के बारे में सूचना दी है।

[श्री उपाध्यक्ष]

(३) श्री गोविन्द सिंह नेगी ने गढ़वाल में बूढ़ा ग्राम में कुष्ट रोग पीड़ित एक स्त्री को जिन्दा जलाने के बारे में सूचना दी है।

(४) श्री कन्हैयालाल सोनकर ने इलाहाबाद के करछना तहसील के नायब तहसीलदार द्वारा मशीनों की नीलामी में गड़बड़ी करने के संबंध में सूचना दी है।

इन सूचनाओं पर संबंधित मन्त्री दिनांक १२-३-७० या १३-३-७० तक सूचना प्राप्त करके संक्षेप में वक्तव्य दे सकें तो दे दें।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह कहें कि संबंधित मन्त्री वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

जी, वक्तव्य देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी ने सीरिया सरकार द्वारा कक्षा ८ के लिये एक आपत्तिजनक पुस्तक प्रकाशित करने के बारे में तथा

(२) श्री शम्भू नाथ चौधरी ने आश्रम पद्धति स्कूल, लखनऊ में एक छात्रा के शील भंग किये जाने के बारे में सूचनायें दी थीं।

इन सूचनाओं को संबंधित मंत्रियों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया है।

शेष सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया गया है जो इस प्रकार है—

(१) सर्व श्री त्रिवेणी सहाय, मोहन लाल कपूर, कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा सूबेदार प्रसाद ने सूचना दी थी कि एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन पर पड़ने वाली ५०० रु० की स्टैम्प ड्यूटी की समाप्ति की जाये।

(२) श्री रामधारी शास्त्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय में दो बलों में मारपीट के विषय में सूचना दी थी।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में एक सूचना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

वह कल का है। आप सुन लें।

श्री उमा नाथ सिंह, श्री सूबेदार प्रसाद ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में उत्तर स्नातकीय कक्षाओं के खोलने के सम्बन्ध में सूचना दी है। श्री श्याम सूरत उपाध्याय व श्री राम पूजन पटेल और राम गोपाल संड ने इलाहाबाद जिले में साम्प्रदायिक दंगे के विषय में सूचना दी है। श्री मोतीलाल देहलवी ने लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर के कर्मचारियों द्वारा अनशन से सम्बन्धित सूचना दी है। इन सूचनाओं पर माननीय सम्बन्धित मंत्री १२ या १३ तारीख को प्रश्नों के पश्चात् यदि सम्भव हो तो वक्तव्य दे दें। शेष सूचनायें स्वीकार नहीं की गयी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

एडवोकेट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। यह एक बहुत अहम मसला है। उसके ऊपर भूतपूर्व सरकार ने कुछ विचार व्यक्त किये थे कि ५०० रु० जो पड़ते

है उसे माफ कर रहे हैं। वह नीति विषयक होने के कारण उस पर विचार होना चाहिये। लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ७ ता० से १० ता० तक विधान सभा के सामने भूख हड़ताल की है। यह भीषण समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपसे निवेदन करूंगा कि आप अध्यक्ष जी से बात कर लें। जो प्रश्न अभी निर्णीत नहीं हैं और पुनः विचार की अपेक्षा रखते हैं उनके बारे में अध्यक्ष जी से बात कर लें।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह लक्ष्मी रतन काटन मिल का सवाल कई दिन से उलझा हुआ है। हमने नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था तो अध्यक्ष महोदय ने कमरे में मिलने के लिये आदेश दिया। लेकिन इस तरह केवल वक्तव्य होगा तो अनशनकारियों का जिनकी हालत खराब हो रही है क्या होगा। उनमें से कोई आदमी मर भी सकता है, क्योंकि कई दिन हो गये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला ऐसा है जिसमें चौधरी साहब का स्वच्छ प्रशासन एक इम्तिहान पर खड़ा है और इम्तिहान इसलिये कह रहा हूं कि यह मिल लाला राम रतन गुप्त का है जो शासक कांग्रेस के नेता हैं, इनका ३१ लाख रुपया सरकार ने माफ कर दिया है। श्री मोरारजी देसाई ने माफ कर दिया था परन्तु फिर भी यह मजदूरी का रुपया गबन किये हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

१२ या १३ को उस पर वक्तव्य होगा। यह निर्णय अध्यक्ष का है। अगर कोई असहमति है तो आप अध्यक्ष जी से बात कर लें। नीति सम्बन्धी ५१ व ५२ के मामलों पर वही निर्णय लेते हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था कि हमारे यहां जिला सीतापुर के परगना लहरपुर में एक डकैती १६/१७ नवम्बर को पड़ी.....।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके माननीय अध्यक्ष से बात कर लें।

श्री राम चरन (जिला आगरा)—

फर्रुखाबाद में जो दो आदमी मार डाले गये उस सम्बन्ध में नियम ५१ में मैंने दिया था लेकिन उसकी सूचना आपने नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अध्यक्ष से बात कर लें।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, एक लड़का मदनलाल ने आत्म हत्या कर ली है चूंकि उसको कहीं नौकरी नहीं मिली और आज प्रदेश और देश के लाखों नौजवानों की हालत यह है कि इंटरव्यू लिया जाता है मगर उनको नहीं लिया जाता, सिफारिश चलती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप माननीय अध्यक्ष से कहिये।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कल सदन उठने से पहले देवरिया जिले के पटेरवा थाने की हवालात में श्रीमती जगरिया की मृत्यु के बारे में चर्चा हो रही थी और बीच ही में सदन उठ गया था तो अध्यक्ष ने यह घोषणा की थी कि आज होगा लेकिन आज की कार्य सूची में है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्वतः समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अभी एक सदस्य ने कहा है कि एक युवक ने आत्म-हत्या की है और उन्होंने लोक महत्व के प्रश्न के अन्तर्गत वह प्रश्न दिया था। मैं समझता हूं कि यह एक विशेष समस्या सारे प्रान्त की है। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि लोक महत्व की परिभाषा क्या है आपके यहां ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय से बात कर लें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आप से इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि कल जब सदन उठा था तो एक प्रश्न सदन के सामने उपस्थित था और वह अधूरा रह गया था। अध्यक्ष जी ने उठते वक्त यह कहा था कि कल को यह प्रश्न जारी रहेगा जिसकी तरफ इशारा अभी शास्त्री जी ने किया। लेकिन खेद है कि वह आज की कार्य सूची में नहीं है।

आया वह जैसा कि अभी आपने कहा कि समाप्त हो गया तो क्या सरकारी पक्ष की ओर से आप के पास कोई तहरीर आई कि जिसके आधार पर आपने उसे समाप्त कर दिया या आपने अपनी तरफ से ही ऐसा निर्णय लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो सूची में नहीं देखा तो समझा कि समाप्त हो गया, वर्ना वह सूची में होता।

श्री रामधारी शास्त्री—

आप देख लें कल की कार्यवाही में अन्त में अध्यक्ष जी ने कहा था।

श्री रियासत हुसैन—

कल अध्यक्ष महोदय ने उठते वक्त साफ साफ कहा था कि इस पर विचार कल जारी रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है तो कल इसके बारे में बता दिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

हम समझते थे कि जब नियम ५१ की सूचनायें खत्म हो जायेंगी तो यह सबसे पहले लिया जायेगा लेकिन शास्त्री जी के कहने पर आपने कहा कि वह शायद समाप्त हो गया है तो क्या सरकार की तरफ से....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कोई इस पर निर्णय नहीं दे रहा था, आज की कार्यसूची में वह नहीं है इसलिये मैंने कहा लेकिन अगर अध्यक्ष जी ने उठते समय ऐसा कहा था तो मैं उनसे बात कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैंने भी एक दिया था उसके बारे में पता नहीं कि वह स्वीकार हुआ या खारिज हुआ। वहां पर तमाम कर्मचारी गिरफतार हुये हैं और धरना दिये बैठे हैं आप कृपया मंत्रीजी का वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर भी आप माननीय अध्यक्ष से चर्चा करके उनसे मंजूर करा के ले आवें।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, केवल एक बिल ही आज की कार्य सूची में शेष रह गया है, वह आप चाहें तो कल ले लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष जी, श्री महीलाल जी कहने जा रहे हैं कि आप उस एक शेष बिल को कल ले लें और इस समय नियम ५१ के वक्तव्य हो जाने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले महीलाल जी नें कहा था कि हमने सब नेताओं से बात करके तय किया है कि आज सारे विधेयक समाप्त हो जांय। अभी समय था इसलिये मैंने मुनासिब समझा था कि आज का कार्य चले लेकिन आप चाहते हैं तो यह विधेयक कल आयेगा।

आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन तथा स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

इस समय राज्य में निम्नलिखित आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज भारतीय चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध हैं:—

आयुर्वेदिक कालेज—

१—ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।

२—गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, कांगड़ी, हरिद्वार।

३—ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत।

४—बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी।

५—आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा।

६—साहू रामनारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज, बरेली।

यूनानी कालेज—

१—यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।

२—तकमिल उत्तालिब कालेज, लखनऊ।

[श्री अनवार अहमद]

इन कालेजों द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी में पंचवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम चलाया जाता है और इनके छात्रों को दी जाने वाली उपाधि भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त आठों कालेज निजी संस्थायें हैं, हालांकि ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार और ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के लिये सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट प्रशासक की हैसियत से नियुक्त हैं।

२—सन् १९६६ में भी उपर्युक्त कालिजों में से ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार, ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत, बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी तथा आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा के छात्रों ने अपनी वर्तमान मांगों को लेकर ही हड़ताल की थी। उस समय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था उसकी एक प्रतिलपि संलग्न है। अब इन कालेजों में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार, ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत, बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज झांसी तथा साहू रामनारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कालेज, बरेली में पुनः २९ जनवरी, १९७० से हड़ताल चल रही है।

३—छात्रों की मुख्य मांग यह है कि उनका सम्बन्ध भारतीय चिकित्सा परिषद् से समाप्त करके उन्हें किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराया जाय। यह मांग काफी पुरानी है। सन् १९६१ में श्री कृष्ण चन्द्र जोशी की अध्यक्षता में जो समिति इन संस्थाओं में की जांच करने के लिये शासन द्वारा गठित की गई थी उसकी संस्तुति भी थी कि इन संस्थाओं के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिये उन्हें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय। सरकार को यह संस्तुति सिद्धान्ततः मान्य है, पर इसका कार्यान्वित होना तभी सम्भव है जब कोई विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के विश्वविद्यालय उन्हें अपने से सम्बद्ध करने को तैयार हों।

४—जैसा कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा १४ अप्रैल, १९६६ को सदन में दिये गये वक्तव्य में स्पष्ट किया गया था कि इन कालेजों के छात्र कदाचित इस भ्रम में हैं कि इन संस्थाओं को किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने का निर्णय सरकार को लेना है। वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। इस मामले का अंतिम निर्णय उन विश्वविद्यालयों के ही हाथ में है जो उन्हें सम्बद्ध करेंगे। ये विश्वविद्यालय चूंकि स्वतंत्र (आटोनामस) संस्थायें हैं अतः शासन उन्हें इस दशा में बाध्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही इन कालेजो को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने की जिम्मेदारी संस्थाओं के प्रबन्धकों की ही है। उन्हे ही इस सम्बन्ध में सीधे विश्वविद्यालय से बात करनी चाहिये। तदनुसार इन संस्थाओं को परामर्श दिया गया था कि वे इस निमित्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय, जिसके कार्य क्षेत्र में वे स्थित हों, को एक प्रार्थना-पत्र भेज दें साथ ही सम्बन्धित विश्वविद्यालयों अर्थात् आगरा, मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को भी शासन की ओर से चिकित्सा विभाग द्वारा यह निवेदन किया गया था कि वे उक्त संस्थाओं के सम्बद्धीकरण की मांगों को प्राप्त होने पर उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस निमित्त अपने यहां आयुर्वेदिक यूनानी फैकल्टी भी स्थापित करें।

५—शासन द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद भी केवल कानपुर विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालय ने विभिन्न कारणों से अपने यहां आयुर्वेदिक एवं यूनानी की फैकल्टी स्थापित करने और उक्त कालेजों को अपने से सम्बद्ध करने में असमर्थता प्रकट कर दी थी। इसके फलस्वरूप एक समय कानपुर विश्वविद्यालय में ही आयुर्वेदिक और यूनानी की फैकल्टी स्थापित कराके उक्त समस्त आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों को सम्बद्ध करने की बात सोची जा रही थी। इस सम्बन्ध में कानपुर विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया जानने के लिये उन्हें शासन द्वारा एक पत्र भेजा गया था। उक्त विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु ऐसा करने के लिये उक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र को बृहत करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है।

६—कुछ समय पूर्व से इस विषय पर चिकित्सा और शिक्षा विभाग के बीच विचार विमर्श होता रहा है। अन्ततः शासन ने अब यह निर्णय लिया न कि उपर्युक्त कालेजों को सम्बन्धित

विश्वविद्यालय जिनके कार्यक्षेत्र में वे स्थित हैं से सम्बद्ध कराने हेतु शासन द्वारा पुनः यथेष्ट प्रयत्न किया जाय । इस प्रसंग में शासन के शिक्षा विभाग की ओर से कानपुर, मेरठ तथा आगरा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को अनुरोध किया जा रहा है कि वे कृपया अपने यहां आयुर्वेदिक/यूनानी की एक फैक्लटी सृजित करके अपने कार्यक्षेत्र में स्थित कथित प्राइवेट आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों को उससे सम्बद्ध करने की व्यवस्था करें । इस स्थित से अवगत कराने की दृष्टि से सर्वसाधारण को जानकारी हेतु हाल हीं में स्वास्थ्य सचिव द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है ।

७—उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यद्यपि छात्रों की इस मांग को कार्यान्वित करने का दायित्व सीधे शासन के ऊपर नहीं है। फिर भी शासन उनकी मांग को पूर्ण कराने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

८—इस विषय में यह भी बताना अवश्यक है कि छात्रों की मांग का उनके भविष्य से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है क्योंकि प्राइवेट या सरकारी नौकरी आदि के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त डिग्री को सरकार की निगाह में वही मान्यता है जो किसी विश्वविद्यालय कि डिग्री की है । दोनों प्रकार के स्तानकों को इस मामले में इस समय समान सुविधा और अवसर उपलब्ध हैं ।

९—पिछले दो तीन वर्षों से उपर्युक्त कालिजों को उनकी तथा उनसे संबद्ध अस्पतालों की क्रमोन्नति के संबंध में उन्हें अतिरिक्त स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु प्लान योजनान्तर्गत लाखों रुपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया गया है । उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि सरकार इन कालेजों की ओर उपेक्षा की नीति बरत रही है ।

१०—छात्रों की एक मांग यह भी है कि बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी को सरकार अपने संरक्षणों में ले ले, क्योंकि इस संस्था का कार्य एवं स्तर संतोषजनक नहीं है । इस संबंध में यह कहना है कि शासन का विचार पहले इस कालेज को चैरिटेबुल एन्डाऊमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत लेकर उसकी प्रबन्ध व्यवस्था हेतु कोई योजना सुनिश्चित करने का था, जिसमें जिला अधिकारी को वहां का पदेन प्रशासक नियुक्त किया जा सके । इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शासन ने एक प्राथमिक विज्ञप्ति भी असाधारण गजट द्वारा १४ नवम्बर, १९६७ को जारी की थी । उक्त विज्ञप्ति के जारी होने पर कालेज के व्यवस्थापकों ने कालेज को शासन को सौंपने से पूर्व कालेज संबंधी देनदारियों (लाइबिलेटीज) की पूर्ति हेतु शासन से अनुदान की मांग की थी। उनके कथानुसार ३१ मार्च, १९६८ तक कालेज संबंधी देनदारियों के भुगतान हेतु ७५,००० रु० की आवश्यकता थी । किन्तु कालेज के लेखाओं आदि का संपरीक्षण कराने से ऐसा प्रतीत हुआ है कि कालेज संबंधी लेनदारियों तथा देनदारियों की स्थिति कुछ अस्पष्ट सी है । अतः केवल कालेज के व्यवस्थापकों द्वारा प्रस्तुत देनदारियों के स्थिति की सही मानना व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता । कालेज के लेखाओं में कई वित्तीय अनिमिताएं भी पाई गई थी । यही नहीं कालेज में योग्य अध्यापकों, आवश्यक साज-सज्जा तथा उपकरण की भी नितान्त कमी पाई गई । कालेज का भवन भी अधुरा एवं अपूर्ण पाया गया । उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य के सीमित आर्थिक साधनों को दृष्टि में रखते हुए संबंधित कालेज को शासकीय नियंत्रण में लेना उचित नहीं समझा गया । अतः शासन द्वारा अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि इस कालेज को शासकीय नियंत्रण में नहीं लिया जाय । तदनुसार शासन द्वारा इस मामले में १४ जनवरी, १९६७ को जारी की गई विज्ञप्ति को भी एक अन्य शासकीय विज्ञप्ति संख्या ५९४९ सी/पांच-३०४-६५, दिनांक ६ नवम्बर, १९६९ में द्विखण्डित कर दिया गया है ।

११—जहां तक बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के व्यवस्थापकों द्वारा छात्रों से निर्धारित दर से अधिक शिक्षण शुल्क आदि लिये जाने संबंधी छात्रों की शिकायत का संबंध है उस

[श्री अनवार अहमद]

पर आयुर्वेद निदेशक आख्या मांगी गई है। इस संबंध निदेशक में निदेशक को शीघ्र आख्या भेजने हेतु भी स्मरण कराया गया है।

[सन् १९६६ में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य निम्न प्रकार है]

भारतीय चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध राज्य के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के विषय में स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

इस समय राज्य में निम्नलिखित पांच कालिज भारतीय चिकित्सा परिषद् से संबद्ध हैं :—

१—गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।

२—ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार।

३—ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत।

४—बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी।

५—आयुर्वेदिक कालिज, अतर्रा, बांदा।

इन कालिजों द्वारा आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दी जाती है जो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये पांचों कालेज प्राइवेट संस्थाएं है, हालांकि ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालिज, हरिद्वार और ललित हरि आयुर्वेदिक कालेजों के लिये संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट प्रशासक की हैसियत से नियुक्त हैं। इन कालिजों की कुल छात्र संख्या ५४३ है।

२—१२ मार्च, १९६६ से ललित हरि कालिज, पीलीभीत के छात्रों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी और आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा के छात्र भी इस हड़ताल में शामिल हुए। गुरुकुल आयुर्वेदिक कालिज, हरिद्वार के छात्रों ने सामान्यतया इस हड़ताल में भाग नहीं लिया। दो छात्रों ने २९ मार्च, १९६६ से भूख हड़ताल भी की थी और उसे उन्होंने ३ अप्रैल, १९६६ को समाप्त कर दिया। आम हड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है।

३—इन संस्थाओं के छात्रों की मुख्य मांग यह है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् से उनका संबंध समाप्त करके उन्हें किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाय। ऐसी मांग पहले भी की गई थी और १९६१ में श्री कृष्ण चन्द्र जोशी की अध्यक्षता में जो समिति इन संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिये बनी थी, उसकी सिफारिश भी थी कि संस्थाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये उन्हें विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाय, सरकार को यह सिफारिश सिद्धान्ततः मान्य है। पर इसका कार्यान्वित होना तभी संभव है जब कि कोई विश्वविद्यालय उन्हें अपने से संबद्ध करने को तैयार हो।

४—शायद इन कालिजों के छात्र इस भ्रम में है कि इन संस्थाओं को किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कराने का निर्णय सरकार को लेना है। वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। इस मसले का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालयों के ही हाथ में है जो स्वतंत्र (आटोनामस) संस्थाएं हैं। साथ ही इन्हें विश्वविद्यालय से संबद्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी संस्था के प्रबन्धकों की है। उन्हें ही इस विषय में विश्वविद्यालयों से सीधे बात करनी है। संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों को सलाह दे दी गई है कि वे इस दिशा में प्रयास करें और आगरा विश्वविद्यालय से निवेदन किया गया है कि ये संस्थाएं अगर इस मामले में उनसे मांग करें तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय। संस्थाओं की ओर से विश्वविद्यालय के पास प्रार्थना पत्र पहुंच जाने पर अगर किसी स्थिति में सरकार की मदद की जरूरत हुई तो उस पर विचार किया जायगा।

५—इस विषय में यह भी कहना आवश्यक है कि इन संस्थाओं का स्तर किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने से ही ऊंचा नहीं हो सकता। उसके लिये शिक्षा और चिकित्सालय संबंधी दूसरे

साधनों और सुविधाओं की भी जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पिछले वर्षों में अनुदान आदि से इन संस्थाओं की स्थिति सुधारने की पूरी-पूरी कोशिश की गई है। पिछले साल (१९६५–६६) में ललित हरि कालेज, पीलीभीत और ऋषिकुल कालेज, हरिद्वार को कुल १,९८,८०० रु० का विशेष अनुदान देकर उन्हें अपग्रेड किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में भी एक संस्था अन्य अपग्रेड करने का प्राविधान है। ऐसे प्रयासों से जैसे जैसे संस्थाओं का स्तर ऊंचा होता जाता है, वैसे ही वैसे उन्हें विश्वविद्यालयों से संबद्ध कराने की संभावना बढ़ती जाती है।

६—इस विषय में यह भी बताना आवश्यक है कि वर्तमान छात्रों की इस मांग का उनके भविष्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस या सरकारी नौकरी आदि के लिये बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से मान्यता प्राप्त डिग्री को सरकार की निगाह में वही मान्यता है जो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की है, दोनों प्रकार के स्नातकों को इस मामलें में इस समय समान सुविधा और अवसर उपलब्ध हैं।

७—छात्रों की एक मांग यह भी है कि बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालिज को सरकार अपने संरक्षण में ले लें। यह मांग इस कारण की गयी है कि इस संस्था का स्तर और कार्य संतोषजनक नहीं समझा जा रहा है। इस संस्था के भविष्य के बारे में सरकार विचार कर रही है।

८—इन संस्थाओं की पिछले वर्षों में जैसी प्रगति हुई है और उनके स्तर को उठाने की जो चेष्टाएं की गई है, उन्हें देखते हुए यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि सरकार उनकी ओर उपेक्षा की नीति बरत रही है। सरकार की नीति यही है कि ये संस्थाएं उचित ढंग से विकसित हों और उन्हें यथासंभव समुचित सहायता दी जाय। विद्यार्थियों की यह हड़ताल कुछ भ्रमपूर्ण धारणाओं पर आधारित है और उन्हें सही स्थिति समझाने की पूरे तौर से कोशिश की गई है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कानपुर विश्वविद्यालय इन विद्यालयों को सम्बद्ध करने को तैयार है, तो कानपुर विश्वविद्यालय अधिनियम में कानपुर विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र बढ़ाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक कानपुर विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का सवाल है, इसके लिए पहले शिक्षा विभाग से बात करना आवश्यक है। शिक्षा विभाग का ख्याल यह है कि जिन विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत जो आयुर्वेदिक कालेज आते हैं, उन्हीं को उसमें जाना चाहिये। इसलिये शिक्षा विभाग को इस बारे में दुबारा लिखा गया है। यदि इस पर वह तैयार नहीं होते तो अवश्य इसका कार्य क्षेत्र बढा दिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर) धन्यवाद जो आपने समय दिया। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जिन लोगों के नाम से यह नोटिस है, उनको पहले आप अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके सुन लें। आप को देख लेना चाहिये कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह उचित है या नहीं। आपके कहने के हिसाब से सही है या नहीं। जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये तब कहना चाहिये। आपको मालूम होना चाहिये माननीय गोबिन्द सिंह का नाम था।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

किन्तु आपको उसी क्रम से लेना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष—

इतना नहीं हो सकता । आपको धैर्य रखना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब तक अन्य विश्वविद्यालयों से बातचीत हो रही है, हमारे प्रदेश के गवर्नर, जो विश्वविद्यालयों के कुलपति है, को क्या कठिनाई है कि विश्वविद्यालयों से इस बात को स्वीकार करा लिया जाए कि वह अपने यहां एक फैकल्टी इसके लिए कायम कर दें और उन्हें सम्बद्ध कर लें ? और जब तक यह स्वीकार न हो तब तक आप कानपुर विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर इसका हल निकाल लें ?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है, इस संबंध में मुझे केवल इतना कहना है कि यूनिवर्सिटीज आटोनामस बाडीज हुआ करती है। उन पर कोई जोर नहीं दिया जा सकता है। केवल उनसे अनुरोध किया जा सकता है । यदि करने को तैयार नहीं है तो दूसरी दिशा में सोचा जा सकता है ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे-जैसा उनके उत्तर में है कि वह सिद्धांतः मानते हैं कि ये विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होने चाहिये और यह भी मानते हैं कि सन् ६१ से उनकी मांग चली आ रही है और यह भी मानते हैं कि हड़ताल जारी है, तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन क्यों नहीं कर दिया जाता है?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है, मैंने इस दिशा में पूरा प्रयत्न किया है और आज सुबह भी छात्रों का एक डेपुटेशन हमसे मिला है । उनसे बातों के बाद मुझे यकीन है कि छात्रों को यकीन हो गया होगा कि सरकार की तरफ से देर करने का कोई प्रश्न नहीं है और जितनी जल्दी हो सकें उतनी जल्दी सरकार उसका हल निकालने को तैयार हैं । सभी कदम उठाये जायेंगे । अगर सब यूनिवर्सिटीज तैयार नहीं हैं तो कानपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट में तुरन्त संशोधन करने के बाद सारे आयुर्वेदिक कालेजों को उससे सम्बद्ध कर दिया जायेगा ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

विश्वविद्यालयों में नई फैकल्टी खोलने के लिए जो खर्च पड़ेगा क्या उसे वहन करने के लिए सरकार तैयार है ? और शासन का जो पत्र उन्हें गया था, उसमें यह उल्लेख है ?

श्री अनवार अहमद—

सरकार जब नयी फैकल्टी खोलने की बात करती है तो सरकार के सामने सारी बातें आती हैं । सरकार सोच समझ कर जो कार्यवाही करना उचित समझेगी करेगी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जो शासन से पत्र लिखा गया था उसमें क्या यह लिखा गया था कि नयी फैकल्टी के लिये जो खर्चा होगा सरकार वहन करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो आश्वासन दिया गया है, अब प्रश्न होता है उस पर आश्वासन की तरह से माना है या नहीं ।

श्री रामधारी शास्त्री—

अगर पहले ही पत्र में लिख दिया होता तो संभवतः सारे विश्वविद्यालय मान गये होते । असली कठिनाई पैसे की है उनके सामने ।

श्री अनवार अहमद—

यह कठिनाई नहीं है क्योंकि यह विश्वविद्यालयों को जान लेना चाहिये कि जब सरकार की ओर से ऐसी बात कही गयी है तो सरकार इस पर भी ध्यान दे सकती है । मैं सारे सदन को विश्वास दिला रहा हूं कि यह मामला ऐसा है जो बिलकुल निश्चित रूप से तय होने वाला है । जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कार्यवाही की जायगी । मेरे खयाल में सरकार की इस बात पर सदन को विश्वास करना चाहिये ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में झांसी आयुर्वेदिक कालेज के संबंध में बताया कि वहां उपकरण नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, साज-सज्जा नहीं है, ज्यादा पैसा लिया जाता है और उनके वक्तव्य से मालूम हुआ कि वहां पूर्ण अराजकता है। बच्चे वहां पर हड़ताल कर रहे हैं । तीव्र असंतोष व्याप्त है । जब ऐसी व्यवस्था है वहां पर तो सरकार क्या तुरन्त कोई ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो, सरकार की ओर से वहां प्रबन्धक जाय और सारे प्रबन्ध को अबने हाथ में ले ले ?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक माननीय सदस्य की बात का संबंध है मैं यह समझ पाया हूं कि उनका यह मतलब है कि कालेज में अराजकता फैली हुई है । ऐसी बात नहीं है । मेरा तात्पर्य यह है कि जो स्तर होना चाहिये वैसा नहीं है जिससे सरकार उसे अभी लेने में असमर्थ है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि छात्रों से यह कह दिया गया है या नहीं कि यदि कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेगी तो निश्चित रूप से सरकार प्राविधान द्वारा या ऐक्ट के द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ा देगी ?

श्री अनवार अहमद—

मैंने अभी सदन के सामने बयान दिया है और उन छात्रों से भी कह दिया है और सरकार के इस बात को कहने के बाद उनको पूरा यकीन है और सदन को भी यकीन करना चाहिये, सरकार की बात है, हवा में उड़ने वाली नहीं है, यह निश्चत रूप से पूरी होगी और किसी सदस्य को उसके पूरा करने में भ्रम नहीं होना चाहिये ।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी यह घोषणा कि यह आयुर्वेदिक कालेज जल्दी ही यूनिवर्सिटी में ले लेंगे इस बात को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं । साथ ही निवेदन करूंगा कि क्या इस निर्णय को १५-२० दिन के अन्दर अमल में लाने को तैयार हैं । (हंसी) क्या माननीय मंत्री जी....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने पूछा । वह प्रश्न का जवाब न दें तो दूसरी बात है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय मंत्री जी का आश्वासन स्वागत योग्य है । परन्तु अब तक का रेकार्ड यह है कि १९६१ से लेकर अब तक लगातार आश्वासन नहीं मिला है । मुझे मंत्री जी की नीयत पर शक कोई नहीं है पर मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आपने जो आश्वासन दिया है उसमें इतना और कह दें कि इस शिक्षा सत्र के अन्त तक इस समस्या का पूरी तरह से निपटारा हो जायगा ?

श्री अनवार अहमद---

मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि इस शिक्षा सत्र में ही वह समस्या निपट जाय ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा सवाल यह है कि इधर के लोगों को बराबर उठने बैठने पर भी आप मौका नहीं देते हैं तो इधर भी ध्यान दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

बात यह है कि यह जो प्रश्न है उसमें ३,४ ५ नाम दिये हैं तो उनके अधिकार की रक्षा करना भी मेरा कर्त्तव्य है । अगर आपकी तरफ से ऐसे प्रश्नों पर सवाल आयेगा और स्वीकृत होगा तो स्वभावतः आपको भी समय मिल जायगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले कई महीनों से आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के विद्यार्थियों ने निरन्तर बहुत सी शिकायतें की हैं, वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, फीस ज्यादा ली जाती है, वहां पर अत्यन्त कुप्रबन्ध है, तो अगर इस प्रकार की शिकायत मिली है तो वह कौन से कदम उन शिकायतों को दूर करने के लिए उठा रहे हैं ?

श्री अनवार अहमद---

मेरे वक्तव्य के आखिरी पैरा में यह स्पष्ट है । इस संबंध में जो शिकायतें आई हैं वे निदेशक को भेज दी गयी हैं कि वे शीघ्र ही उस पर रिपोर्ट दे और उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहन लाल कपूर---

जिस प्रकार लखनऊ का आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध है उसी प्रकार बाकी जो आयुर्वेदिक कालेजेज हैं उनको भी लखनऊ विश्वविद्यालय से क्यों सम्बद्ध नहीं कर दिया जाता है ?

श्री अनवार अहमद---

मैंने पहले ही बतलाया है कि जिस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जो आयुर्वेदिक कालेज आता है नियमानुसार वह उसी से सम्बद्ध हो सकता है । इसलिये लखनऊ विश्वविद्यालय से सभी आयुर्वेदिक कालेजेज को सम्बद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि झांसी आयुर्वेदिक कालेज के प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री धेलेकर ने सरकार को पत्र लिखा है कि वह उसे बिना मुआविजा सरकार को समर्पित करना चाहते हैं तो सरकार ने उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनवार अहमद---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार को मालूम है कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज से जो स्नातक निकलते हैं वे 'अ' श्रेणी में रजिस्टर किये जाते हैं और अन्य ६ आयुर्वेदिक कालेजेज से जो छात्र निकलते हैं उनको "ब" श्रेणी में रखा जाता है, जिसके कारण छात्रों में असंतोष है ?

श्री अनवार अहमद—

मेरे वक्तव्य में स्पष्ट है कि सरकार की तरफ से कोई मतभेद नहीं है, न वह कोई फर्क रखना चाहती है ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

पहले भी जो सरकारें आईं ये सब आश्वासन देती रहीं कि विचार किया जायगा और अब भी उसी प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है तो क्या इस आश्वासन पर सही ढंग से अमल किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि सरकार इसकी अवश्य व्यवस्था करेगी ।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

इस पर बहुत सदस्य बोलना चाहते हैं। क्या अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न पर और सदन का समय बढ़ायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन पर निर्भर करता है। सदन समय बढ़ाना चाहेगा तो उसे मान लिया जायगा । अगर सदन अधिक समय तक बैठना चाहता है तो सदन अधिक समय तक बैठेगा ।

श्री गोविन्द सिंह—

(कई सदस्यों के साथ) कल के लिये इसे मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न आज के लिये है। कल के लिए भी कई प्रश्न हैं। (व्यवधान) आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। अगर आप समय नहीं बढ़ायेंगे और चार के स्थान पर एक ही पर केन्द्रित हो जायेंगे तो कैसे हो सकता है। (व्यवधान) यह चर्चा का विषय आज है।

श्री अवधेश कुमार—

उपाध्यक्ष महोदय, देखिये आज मेरा भी नियम ५१ में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सत्य से परे है। अगर आज वह लिया जाता है तो ठीक है वरना कल लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप चाहें तो आज चारों ले लिये जायं । कल के लिए और परेशानी होगी । आज ही इनको समाप्त कर दें तो अच्छा है। अगर सारा समय इस तरह से लगा देंगे तो कैसे यह लिये जा सकते हैं । वैसे संतोषजनक जवाब मिल जाय तो आगे चलना चाहिये । सदन जितना समय चाहेगा उतना हो जायेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आप १५ मिनट का समय बढ़ा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझसे कहते हैं । मैं आप से ज्यादा चिंतित हूं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैंने ध्यान दिलाया था लेकिन यह चाहते नहीं हैं ।

प्रदेश में झुलसा एवं उपलवृष्टि से खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, २५ नवम्बर का नाम लिया गया है लेकिन मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें पूर्वी जिलों में जो नुकसान हुआ है उसमें उसका जिक्र नहीं है तथा हम लोगों के नाम भी नहीं है । इसलिये मालूम होता है कि खाद्य मंत्री ने इसको देखा नहीं है । यह अधूरा रह जायेगा । इसलिये इसको कल ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया गया । आप पहले वक्तव्य सुन तो लें ।

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

सदन का समय समाप्त हो गया है । आपने सदन का समय बढ़ाया नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सुझाव दिया कि यदि सदन चाहे तो समय बढ़ा सकता है अपनी ओर से । मैं १५ मिनट बढ़ा सकता हूं । खाद्य मंत्री जी को आप सुनने की कृपा करें ।

श्री श्रीपति मिश्र—

दिसम्बर १९६९ के प्रारम्भ में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति महसूस की गई और यह प्रवृत्ति अब तक जारी है । नवम्बर १९६९ के खाद्यान्नों के मासिक औसत बाजार भाव के आधार पर मुख्य मुख्य अनाजों के भाव में जो वृद्धि हुई है उसके अध्ययन करने से यह पता चलता है कि गेहूं के मूल्य में १७ रु० प्रति क्विन्टल, चावल के मूल्य में १६ रु० प्रति क्विन्टल, ज्वार के मूल्य में १३ रु० प्रति क्विन्टल, बाजरा के मूल्य में ८ रु० प्रति क्विन्टल, मक्का के मूल्य में १६ रु० प्रति क्विन्टल, जौ के मूल्य में ७ रु० प्रति क्विन्टल तथा चने के मूल्य में ९ रु०प्रति क्विन्टल अब तक वृद्धि हुई है । प्रति वर्ष यह देखा गया है कि दिसम्बर से मार्च तक के महीनों में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति हो जाती है । इसका मुख्य कारण यह है कि ये मास कमी वाले माह होने के कारण बाजार में अनाजों की आमद घट जाती है । जिसका विपरीत प्रभाव मूल्य वृद्धि पर पड़ता है । साधारणतः मूल्य वृद्धि की यह प्रवृत्ति इन महीनों में प्रति वर्ष देखी गई है और यह कोई नई बात नहीं है । इस वर्ष आवश्यकता से अधिक वृद्धि का कारण यह भी है कि फसल वर्ष १९६८–६९ में रबी अनाजों का उत्पादन फसल वर्ष १९६७–६८ की अपेक्षा कुछ कम हुआ प्रतीत होता है जिसका विपरीत प्रभाव बाजार अनाज की आमद पर पड़ने के कारण मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति में कुछ तेजी हो गई है । इसके अतिरिक्त इस वर्ष गेहूं का एक जोन जम्मू और कश्मीर से पश्चमी बंगाल तक हो जाने के कारण इस प्रदेश से पर्याप्त मात्रा में गेहूं बिहार, बंगाल और राजस्थान आदि प्रदेशों को जाता रहा है । भावों की प्रवृत्ति में पंजाब और हरियाना जो कि खाद्यान्नों में सरप्लस है, में भी बाद में तेजी आ गई है ।

२—व्यापारियों के स्टाक पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उनके द्वारा गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कोई ज्यादा स्टाक संग्रह करने की बात नहीं मालूम होती है। कुछ जिलों में झुलसा से इस वर्ष खड़ी रबी फसल को क्षति पहुंची है परन्तु फिर भी यह अनुमान है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रबी अनाजों की पैदावार अधिक होगी और नये अनाजों की बाजार में आमद प्रारम्भ होने पर बाजार में पर्याप्त गिरावट होगी। इस परिस्थिति व्यापारियों में द्वारा अनावश्यक तौर पर अनाज के भंडार बनाने आ प्रश्न नहीं उठता।

३—भावों की वृद्धि को देखते हुये सस्ते गल्ले के दुकानों पर, जो कि शहरों में स्थित हैं, गेहूं, गेहूं का आटा तथा चावल सदैव उपलब्ध रक्खा गया है। जनवरी के महिने में भारत सरकार की सहमति से राशन की मात्रा जो कि ५ किलोग्राम प्रति बयस्क प्रति माह था, एक किलो प्रति बयस्क प्रति माह और बढ़ा दिया गया और यह भी आदेश जारी कर दिये गये कि यदि उपभोक्ता चाहे तो सारा राशन ६ किलो गेहूं या आटे के रूप में ले सकता है लेकिन इसमें चावल की मात्रा केवल २ किलो रक्खी गई और अगर कोई चावल खरीदेगा तो चावल की मात्रा के बराबर गेहूं या गेहूं के आटे की कटौती कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिन नगरों की आबादी पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश में २० हजार से कम की थी उनमें भी अनौपचारिक राशनिंग की व्यवस्था कर दी गई है। जिसके फलस्वरूप इन नगरों में भी ६ किलोग्राम प्रति बयस्क प्रति माह की दर से गेहूं या गेहूं का आटा दिये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है। पूर्वी क्षेत्रों के ऐसे नगरों में तथा बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में यह व्यवस्था जो कि पहिले से ही थी चालू रखी गई है। हमारी सस्ते गल्ले के दुकानों से दिसम्बर में १३,१३६ टन, जनवरी में ३१,४२५ टन तथा फरवरी में ३४,४७७ टन गल्ला वितरित किया गया है। सस्ते गल्ले की दुकानों के अलावा खाद्यान्नों की उपलब्धता खुले बाजार में भी पर्याप्त रखी गई। रोलर फ्लावर मिल्स के एलाटमेन्ट में भी भारत सरकार की सहमति से वृद्धि करा दिया गया है। जनवरी से ३५,००० टन के हिसाब से प्रति माह गेहूं रोलर फ्लावर मिल्स को आटा बनाने के लिये दिया जा रहा है।

४—रोलर फ्लावर मिल्स जो आटा बनाती हैं उसको सस्ते गल्ले की दुकानों की आवश्यकतानुसार ले लिया जाता है और बाकी आटा बाजार में बिक्री के लिये छोड़ दिया जाता है। उपरोक्त अनाजों के अतिरिक्त १३,३०० टन आटा जनवरी में तथा १५,१०२ टन आटा फरवरी में सस्ते गल्ले के दुकानों द्वारा बेचा गया है।

५—खाद्यानों के भावों की स्थिति को देखते हुये भारत सरकार ट्रेड के जरिये अपने भंडार से लाल गेहूं पूर्वी जिलों में रिलीज कर रही है। यह गेहूं बिहार न चला जाय इसलिये इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अपेक्षा दुगुना गेहूं भारत सरकार ट्रेड के जरिये बिहार में भी रिलीज कर रहीं है। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वी अभावग्रस्त क्षेत्रों में लाल गेहूं बेचने के लिये अपने वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती के गोदामों से हर सप्ताह में दो बार टेंडर आमन्त्रित किये जा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पास इन स्थानों पर ७-३-७० तक लाल गेहूं खरीदने के लिये कुल २९ टेंडर प्राप्त हुए थे, जिसमें से २४ टेंडर १४०० टन गेहूं के लिये स्वीकार कर लिये गये हैं। उक्त मात्रा में से अब तक ट्रेड ने १९२.४ टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठा लिया है। ये टेंडर भारतीय खाद्य निगम द्वारा रु०८३.५० पैसे से रु० ८८.०० प्रति क्विन्टल तक के लिये स्वीकार किये गये हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाजार में टेंडर से लाल गेहूं की बिक्री का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन किया जा रहा है परन्तु यह आशा की जाती है कि उसका प्रभाव बाजार मूल्य पर अनुकूल पड़ेगा।

६—इस समय व्यापार के लिये प्रदेश से बाहर चावल भेजने का अनुमति नहीं दी जा रहा है। बार्डर एरिया तथा कुछ सीमावर्ती जिलों में चावल और धान का वहन केवल खाद्य नियंत्रकों के परमिट पर ही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं कि गलत तरीके से चावल का प्रदेश के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध रहे। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप खाद्यानों के मूल्य की वृद्धि रुक गई है और नयी फसल आने पर आशा है कि इसमें उचित गिरावट होगी।

[श्री श्रीपति मिश्र]

७---वनस्पति का भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर समुचित वितरण सुनिश्चित करने तथा चोर बाजारी, मुनाफाखोरी व अन्य असामाजिक कृत्यों के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार ने २६ दिसम्बर, १९६९ से उत्तर प्रदेश वनस्पति के व्यापारियों को लाइसेंस देने का आदेश १९६९ लागू कर दिया। इस आदेश के अन्तर्गत प्रत्येक थोक और फुटकर विक्रेता को लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। इस आदेश में यह भी प्राविधान है कि व्यापारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर वनस्पति नहीं बेचेगा तथा उसको स्टाक व बिक्री रजिस्टर रखना भी अनिवार्य है।

८---उक्त आदेश से सम्बन्धित प्रशासकीय आदेश १९ जनवरी, १९७० को समस्त जिलाधीशों को जारी किये गये। इस आदेश में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि यदि कोई व्यापारी अनियमितता करता हुआ पाया जाय तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय। जिलाधीशों से यह भी कहा गया है कि वनस्पति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये समय समय पर और विशेष कर उन अवसरों पर जब वनस्पति की मांग बढ़ जाती है (जैसे शादी और त्यौहारों के अवसर पर) कड़ी देखभाल रखी जाय।

९---केन्द्रीय शासन समय-समय पर वनस्पति के मूल्यों को कच्चे माल के भावों को ध्यान में रखते हुये घोषित करती है। इस प्रकार के अन्तिम निर्धारित मूल्य ८ फरवरी, १९७० को घोषित किये गये। वनस्पति के निर्माताओं का कथन है कि उस समय से कच्चे माल का मूल्य लगभग ४०० रु० प्रति मेट्रिक टन बढ़ गया है। इसके फलस्वरूप निर्धारित मूल्य पर वनस्पति का उत्पादन सम्भव नहीं है। इस तरह के प्रत्यावेदन निर्माताओं से राज्य सरकार को पहले भी प्राप्त हुए हैं, जो भारत सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेजे गये। ५ मार्च, १९७० को भी भारत सरकार को इस स्थिति से अवगत कराया गया और उनसे निवेदन किया गया कि पूर्ति की व्यवस्था ठीक करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें। इस पत्र का उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

१०---भारत सरकार के खाद्य विभाग के सचिव ९ मार्च, १९७० को एक मीटिंग के सिलसिले में यहां पधारे। उनका प्रदेश में व्याप्त वनस्पति की कमी की ओर विशेष कर ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने बताया कि यह समस्या किसी एक प्रदेश की नहीं है वरन् सारे देश की हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वनस्पति निर्माताओं का कहना है कि यदि उचित मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न किया गया तो वह २१ मार्च, १९७० से सब मिलें बन्द कर देंगे। उनसे यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में कुछ इस आशय की याचिक भी दायर की है कि उनको घाटे पर वनस्पति का उत्पादन करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।

११---यह स्पष्ट है कि वनस्पति का मूल्य निर्धारण और उपलब्धता सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही है। राज्य सरकार केवल यह कर सकती है कि जो माल प्रदेश में थोक या फुटकर विक्रेताओं को मिले उसका वितरण उपलब्धता के आधार पर जनता में करा दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ६ मार्च, १९७० को एक सेविग्राम समस्त जिलाधीशों को जारी किया गया जिस में इस बात पर बल दिया गया कि जिस व्यापारी के पास छिपा माल हो या अधिक मूल्य पर बेचता पाया जाय उसके विरुद्ध तुरन्त कानूनी कार्यवाही की जाय। जिलाधीशों को इस विषय में पूरे अधिकार लाइसेंसिंग आर्डर तथा यू० पी० उचित मूल्य तथा वितरण (खाद्य) आदेश १९६६ के अन्तर्गत प्रदान कर दिये गये हैं।

१२---इस प्रदेश की वनस्पति मिलें अपना उत्पादन निरन्तर गिरा रही हैं। शासन को यह भी सूचना मिली है कि कानपुर की एक बड़ी मिल ने जो पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में सप्लाई करती रही है, माल बनाना पूर्णतया बन्द कर दिया है।

१३—१२ मार्च, १९७० को प्रदेश में वनस्पति सप्लाई करने वाले निर्माताओं के प्रतिनिधियों एवं प्रमुख जिलाधीशों की एक बैठक भी बुलाई गई है जिसमें वनस्पति उत्पादन एवं वितरण की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक बिचार किया जायेगा ।

१४—इस समय वनस्पति की कमी की जो समस्या उत्पन्न हो गई है वह मुख्यतः वनस्पति निर्माताओं द्वारा वनस्पति के उत्पादन में कमी कर देने से हुई है । इस समस्या का निवारण तभी होगा जब वनस्पति के मिलों में पूरा उत्पादन फिर से होने लगेगा तथा उसकी सप्लाई बाजार में पहले की भांति होने लगे । प्रदेशीय शासन ने इस मामले ने कोई शिथिलता नहीं बरती है । सरकार इस ओर पूरी तरह जागरूक है तथा समस्या के निवारण हेतु हर सम्भव कदम उठा रही है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, या तो ६ बजे तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय या हम कल के लिये उठें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
११ मार्च, १९७० ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२४ पर)

प्रश्न संख्या १ में उल्लिखित अध्यापकों की सूची :—

१—सर्वश्री राम आसरे मिश्र
२—सूर्य प्रताप दुबे
३—विजय बहादुर
४—महन्त त्रिपाठी
५—श्रीपाल सिंह
६—लाल शरण दुबे
७—राम प्रताप
८—अवधेश कुमार सिंह
९—भवानी प्रसाद
१०—चन्द्रिका प्रसाद
११—राम नयन उपाध्याय
१२—लाल मुहम्मद
१३—मु० फारूक
१४—जगदम्बा प्रसाद
१५—मुस्तकीम
१६—राम करन
१७—बेदी दयाल
१८—मिठाई लाल
१९—श्याम बाबू
२०—शिवशंकर त्रिपाठी
२१—कृष्ण केवल
२२—राज कुमार
२३—राम पदारथ
२४—प्रहलाद सिंह
२५—राम दास
२६—श्रीराम पाण्डेय
२७—राम सूरत
२८—मलीन अहमद
२९—श्याम सुन्दर मिश्र
३०—प्रकाश स्वरूप
३१—राम चरन
३२—दुर्गादत्त पाण्डेय
३३—राम सेवक
३४—रधई राम
३५—तिलकधारी
३६—शिव नारायण लाल
३७—राम चरन मौर्य
३८—धरम राम
३९—चन्द्र प्रभात मिश्र
४०—राम दुलारे त्रिपाठी
४१—कमलेश प्रसाद
४२—तुलसीराम
४३—राधेश्याम सिंह
४४—बांके सिंह
४५—शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४५ पर)

१ जनवरी, १९६९ से ३० अगस्त, १९६९ तक तहसीलवार मुकदमों का दायरा व फैसला

	तहसील बदायूं		तहसील बिसौली		तहसील दातागंज	
	दायरा	फैसला	दायरा	फैसला	दायरा	फैसला
दुरुस्ती नक्शा ..	१२	६	१	१	१३	८
ठिया बन्दी ..	१९३	१४२	११८	७८	२२२	१९१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४९ पर)

सूची

ग्राम देवरूवा

१—श्री राम लखन
२—श्री दीना
३—श्री गया
४—श्री मिलन
५—श्री बच्चू
६—श्री झिनके
७—श्री महिपाल सिंह
८—श्री शिवनाथ
९—श्री भरोसे
१०—श्री झीगुर।

ग्राम खैरी शीतल प्रसाद

१—श्री नसरू
२—श्री सन्तोला
३—श्री चिनगद
४—श्री रामसरन
५—श्री परदेसी
६—श्री गफूर चौधरी
७—श्री आजीमुल्लाह
८—श्री फतेहबहादुर
९—श्री भोलई
१०—श्री सन्ते
११—श्री लोचन
१२—श्री कंतू
१३—श्री समुझ
१४—श्री बाहुलाह
१५—श्री पृथ्वी
१६—श्री भवई
१७—श्री भगनू
१८—श्री साधू
१९—श्री रामदीन
२०—श्री भदई राजाराम
२१—श्री जैराम
२२—श्री बाबूलाल
२३—श्री रामधनी
२४—श्री जुगेसर
२५—श्री भवानी
२६—श्री सन्ते
२७—श्री नरायन
२८—श्री प्रभू
२९—श्री बुझावन
३०—श्री नवीसदार
३१—श्री बेचू
३२—श्री लील
३३—श्री हरीराम
३४—श्री झब्बर
३५—श्री श्रीराम
३६—श्री कलप नाथ
३७—श्री भोलइ
३८—श्री शिवराज
३९—श्री रामदत्त
४०—श्री रामप्यारे
४१—श्री तुलसी
४२—श्री छोटेलाल
४३—श्री भोला
४४—श्री सीताराम
४५—श्री कल्लू
४६—श्री साऊ
४७—श्री सन्तराम
४८—श्रीमती लौसन जौजे मानिक चन्द
४९—श्री फतेह बहादुर
५०—श्रीमती हमीबुन निसा जौजे मानिकचंद
५१—श्री चिनकान
५२—श्री तिलकराम
५३—श्री अचलू
५४—श्री इसमाइल
५५—श्री वाढू

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५३ पर)

सूची

पद	कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
लिपिक	१०७	२
चपरासी	११४	५
चौकीदार	२	१
टाइपिस्ट	१	..

सत्यमेव जयते संसद

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६१ पर)

ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	व्यय किया राशि
श्री मोहन प्रसाद ..	अ---झाऊ की पूर्ति व भराई ब---बांस से ब्रेसिंग स---बिल्ली से ब्रेसिंग ..	६,०८३.००
श्री मोहन प्रसाद ..	अ---झाऊ की पूर्ति व भराई ब---बांस से ब्रेसिंग स---बल्ली से ब्रेसिंग।	६,२३४.००
श्री घनश्याम तिवारी ..	झाऊ की पूर्ति व भराई ..	२,५८१.००
श्री मोहन प्रसाद ..	बल्ली की जोड़ाई ..	१,०५०.००
श्री भीराम सिंह ..	अ---झाऊ की पूर्ति व भराई ब---बांस से ब्रेसिंग स---बल्ली से ब्रेसिंग ..	१,३८२.००
	द---बल्ली की जोड़ाई	
श्री बालकृष्ण प्रसाद ..	अ---झाऊ की पूर्ति व भराई ..	१,५३९.००
	ब---बांस से ब्रेसिंग स---बल्ली से ब्रेसिंग द---बांस की पूर्ति घ---बल्ली की जोड़ाई	
श्री नागेश्वर तिवारी ..	अ---झाऊ की पूर्ति व भराई ..	१,००२.००
	ब---मिटटी का कार्य	
श्री सिया राम ..	अ---छप्पर की बनवाई ..	७८९.००
	ब---ट्टर की बनवाई	
श्री राम सिंह ..	अ---मिटटी का कार्य ..	२,१११.००
	ब---क्रेट का बनाना व नदी के किनारे पर डालना। स---बोल्डरों को क्रेट से निकालना व ठीक किये गये क्रेटों में भरना।	
श्री सिया राम ..	अ--- तदैव ..	२,२४२.००
	ब---क्रेट का बनाना व नदी के किनारे पर डालना। स---मिटटी का कार्य।	
श्री परमात्मा नन्द सिंह	तदैव ब---बोल्डरों को क्रेट से निकालना व ठीक किये गये क्रेट में डालना। स---क्रेट का बनाना व नदी के किनारे डालना।	१,२१८.००

ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	व्यय किया राशि
श्री घनश्याम तिवारी ..	अ—मिटटी का कार्य .. ब—क्रेट को बनाना व नदी के किनारे पर डालना। स—बोल्डरों को क्रेट से निकालना व ठीक किये गये क्रेट में डालना।	७५४.००
श्री देव कृष्ण तिवारी ..	अ— तदैव .. ब—क्रेट को बनाना व नदी के किनारे पर डालना। स—बोल्डरों को क्रेट से निकालना व ठीक किये गये क्रेट में भरना।	७१२.००
श्री श्रीराम सिंह ..	अ— तदैव .. ब—क्रेट का बनाना व नदी के किनारे पर डालना। स—मिटटी का कार्य।	४,४७१.००
श्री रघुनाथ तिवारी ..	अ—मिटटी का कार्य .. ब—क्रेट का बनाना व नदी के किनारे डालना। स—बोल्डरों को क्रेट से निकालना व ठीक किये गये क्रेट में डालना।	३,२३०.००
श्री राजनारायन तिवारी ..	अ—क्रेट का बनाना व नदी के किनारे पर डालना। ब—बोल्डरों को क्रेट से निकालना व ठीक किये गये क्रेट में भरना। स—मिटटी का कार्य।	३,५१०.००
श्री मोहन प्रसाद ..	अ— तदैव .. ब—क्रेट का बनाना व नदी के किनारे पर डालना। स—बोल्डरों का क्रेट में से निकालना व ठीक किये गये क्रेट में डालना।	२,३४३.००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी—१६ एल० ए०—१९७०—८४५। (प्रो)